Par. S. 17. II. S. 53
285

अंक २
संख्या ८

शुक्रवार
१० अप्रैल, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २८१७—२८६७]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २८६८—२८८८]

(मूल्य ४ आने)

224 P.S.D..

लोक सभा

शुक्रवार, १० अप्रैल १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष–पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ओखा की बन्दरगाह (उन्नति)

*१२५५. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बम्बई की सरकार ने ओखा बन्दरगाह में कुछ आवश्यक उन्नति करने के लिये भारत सरकार से आर्थिक सहायता मांगी है, और

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ऐसी सहायता देने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि उस बन्दरगाह के विकास के लिये वहां की सरकार को सहायता के लिये कितनी रकम दी जा रही है ?

श्री अलगेशन : हम बीस लाख देने का विचार करते हैं।

डा० राम सुभग सिंह : उस उधार के लिये सूद की दर क्या होगी ? और वह उधार कब वापस लौटाया जायेगा ?

श्री अलगेशन : पहले दस वर्षों में इस पर कोई सूद नहीं होगा। तब यह रकम बीस बराबर की वार्षिक किश्तों में साढ़े चार प्रतिशत सूद की दर से वापिस ली जायेगी।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान् जी, मैं आंकड़े नहीं समझ सका।

उपाध्यक्ष महोदय : बीस लाख रुपये।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि दूसरे राज्यों की सरकारों ने भी इसी प्रकार के उधार मांगे हैं ?

श्री अलगेशन : दूसरे राज्यों की सरकारें भी छोटी बन्दरगाहों के विकास की योजनाओं का विचार कर रही हैं और केन्द्र उन को सहायता देने का विचार कर रहा है।

श्री वी० पी० नायर : यह विचार करने या न करने का प्रश्न नहीं है। मैं ने पूछा है कि क्या दूसरे राज्यों की सरकारों ने इस प्रकार के कर्ज़ के लिये केन्द्रीय सरकार से मांग की है ?

श्री अलगेशन : जी हां, उन की अपनी छोटी बन्दरगाहों के विकास की योजनायें हैं, और वे केन्द्र से सहायता चाहती हैं। और यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस उधार से उस बन्दरगाह में क्या कुछ विकास की आशा की गई है ?

श्री अलगेशन : इस रकम को निम्न बड़े कार्यों, विशेष मरम्मत और अदला बदली पर खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है ।

समुद्र से मिट्टी निकालने वाले यत्रों की सज्जा के लिये ४००,००० रुपये; उतरने वाली जगह की मरम्मत और उस की मज़बूती के लिये ८०,००० रुपये; बिजली की शक्ति इकट्ठी करने के लिये १००,००० रुपये; पानी इकट्ठा करने के लिये १२५,००० रुपये; भारी बोझा उठाने वाली मशीनों के लिये ३५०,००० रुपये; कारखाने की सज्जा के लिये ५०,००० रुपये; छोटी और बड़ी किश्तियों के लिये २७५,००० रुपये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस से अधिक विस्तार में नहीं जा सकते ।

श्री अलगेशन : वह विस्तार से पूछना चाहते थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु सदन तो नहीं चाहता । मैं सदन के समय में से इसे विस्तार से बतलाने की आज्ञा नहीं दे सकता ।

श्री नानादास : दूसरी और कौन सी राज्यों की सरकारें हैं जिन्हों ने इसी प्रकार से उधार मांगा है ?

श्री अलगेशन : सब सामुद्रिक सरकारों ने ।

श्री वी० पी० नायर : उपमंत्री महोदय के उत्तर के सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ट्रावनकोर कोचीन सरकार ने भी किसी बन्दरगाह की उन्नति के लिये उधार मांगा है ?

श्री अलगेशन : यदि सदस्य महोदय अलग प्रश्न करें, तो मैं ऐसा विचार करूंगा और इस सम्बन्धी जानकारी दे दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल ओखा सम्बन्धी ही है ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान् ! केवल पूर्ति के लिये ही उठाया गया है ।

श्री गिडवानी : क्या उधार पर कोई सूद नहीं लिया जायेगा ?

श्री अलगेशन : पहले दस वर्षों तक इस पर सूद नहीं लिया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ कहा जा रहा है, उसे माननीय सदस्य अवश्य ध्यान से सुनें । अगला प्रश्न ।

देहली में गेहूं का भाव

* १२५६. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आया देहली में गन्दम की वर्तमान भाव-स्थिति के सम्बन्ध में राज्य ने कोई निर्णय कर लिया है ?

(ख) पंजाब में एक सप्ताह भी फसल के अनुमान में घाटा होने के कारण वहां की सरकार के अपने वादे को पूरा करने की असमर्थता की अवस्था में देशीय गन्दम को इकट्ठा करने के क्या वैकल्पिक तरीके हैं ?

(ग) क्या प्रदाय को पुनः आयात गन्दम के रूप में डालना पड़ेगा ।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां । देहली में गन्दम और आटे की वर्तमान कीमतों को जारी रखने का निश्चय किया गया है ।

(ख) तथा (ग) । पंजाब, पैप्सू से यथासम्भव गन्दम देहली में लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । देहली में केन्द्रों द्वारा आयात गन्दम के कोठों को, जब कभी भी देशी गन्दम की उपलब्धता की पूर्ति के लिये आवश्यकता होगी, तुरन्त खोल दिया जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वही अवस्था अब भी देहली में वर्तमान है, जो यहां दो कीमतों के अर्थात् कन्ट्रोल की गन्दम और बाहर से मंगवाई हुई गन्दम के, लगाने से पहले थी ? और वे अवस्थायें कब तक चलने की आशा की जाती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जब तक राशन के अतिरिक्त अधिक मात्रा में गन्दम इकट्ठी नहीं की जाती, अतिरिक्त मूल्य लिया जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस तथ्य का विचार करते हुए कि देहली सरकार ने होटलों में चावल परोसे जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आया उन को अधिक मात्रा में गन्दम दी जायेगी ?

श्री किदवई : परन्तु वे चावल मांगते हैं, गन्दम नहीं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि दिल्ली में देशी गेहूं नहीं बल्कि बाहर का गेहूं दिया जाता है, जो कि ज्यादा दाम में उन को जा कर पड़ता है ।

श्री किदवई : बाहर के गेहूं इस सबब से दिया जाता है चूंकि देशी गेहूं दिल्ली पैदा नहीं करता ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पंजाब में फसलें खराब होने के कारण वह देहली में अपने वादे के अनुसार गन्दम नहीं भेज सके, क्या मैं पूछ सकता कि .....

श्री किदवई : यह बात ठीक नहीं है । पंजाब ने अपना वादा पूरा कर दिया है ।

पाकिस्तान द्वारा गन्दम की खरीद

***१२५८. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने सन् १९५२-५३ में भारत से कितनी मात्रा में गन्दम खरीदी है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो कितनी और कितने मूल्य की ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख) । हमारे और पाकिस्तान के बीच एक करार हुआ था, जिस के अनुसार हम ने पाकिस्तानी चावल के साथ ३८,५७८ टन गन्दम की अदला बदली की है । फैले हुए बाजार भाव के अनुसार गन्दम का मूल्य २२९ लाख रुपये था ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं यह प्रति मन मूल्य जान सकता हूं, जिस पर कि यह गन्दम पाकिस्तान को दी गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : चावल की मात्रा बतला दी गई है । मैं समझता हूं कि इस से हिसाब लगाया जा सकता है । यह आयात किये गये चावल से काफी कम कीमत थी ।

श्री दाभी : क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने हमारी गन्दम के बदले जो चावल दिया है, वह बहुत घटिया दर्जे का है ?

श्री किदवई : वही चावल पाकिस्तान ने जापान के साथ बदला है । उन्हों ने एक लाख टन गन्दम के बदले ५०,००० टन चावल दिया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि पाकिस्तानी चावल का बर्मा और चीन से मंगवाये गये चावल से कैसे मुकाबिला किया जायेगा ?

श्री किदवई : बर्मा, स्याम, चीन या दुनिया के और किसी देश से आयात चावल की अपेक्षा इस की कीमत बहुत कम होगी।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान को भेजी गई गन्दम देशी गन्दम थी अथवा मंगवाई हुई ?

श्री किदवई : रास्ते में से ही जहाज़ पाकिस्तान को भेज दिये गये थे।

श्री हेडा : इस बार इस सम्बन्ध का क्या भविष्य होगा ?

श्री किदवई : क्योंकि पाकिस्तान ने जापान के मुकाबले में १/२ के हिसाब से मूल्य घटाने का निश्चय कर लिया है, इसलिये हमें भविष्य में इस सम्बन्ध की कोई आवश्यकता नहीं रही।

बिहार में गन्ना बीजने वालों को मूल्य का भुगतान न होना

* १२५९. **श्री एल० एन० मिश्र** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सचाई है कि बिहार के बहुत से गन्ने बीजने वालों को, जिन्हों ने अपने क्षेत्र के बहुत से चीनी के कारखानों को गन्ना दिया, पिछले वर्ष कारखानों ने उन को गन्ने की कीमत नहीं चुकाई है।

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार को बिहार के चीनी के कारखानों के पास इस प्रकार से रखे रुपये का कुछ अनुमान है ?

(ग) क्या इन गन्ना उपजाने वालों को रकम की अदायगी करवाने के कुछ प्रयत्न किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग)। १९५१-५२ की फसल में कारखानों को दी गई गन्ने की कुल कीमत १०.१९ करोड़ रुपये में से १५-३-५३ तक केवल १.१५ लाख रुपये की देनगी नहीं हुई थी। यह शेष रकम केवल झगड़े वाले या न प्राप्त हुए गन्ने की रसीद सम्बन्धी है। और शीघ्र अदायगी करवाने के लिये और किसी प्रयत्न की आवश्यकता दिखाई नहीं पड़ती।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि गन्ना बीजने वालों को इस वर्ष भी कारखानों से आवश्यक आज्ञा पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, जिस के परिणामस्वरूप हजारों एकड़ गन्ने की फसल खेतों में खड़ी है और इस वर्तमान ऋतु के अन्त तक भी नहीं काटी जायेगी।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : यदि माननीय सदस्य मुझे इस सम्बन्धी विस्तार से पता दें, तो मैं उन्हें बिहार सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दूंगा।

श्री आल्तेकर : गन्ना भेज देने के कितने समय पश्चात् किसानों को रकम दी जाती है ?

श्री किदवई : कभी कभी उसी दिन, पर साधारणतया एक सप्ताह के अन्दर। परन्तु गत वर्ष उन को महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ी थी।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि सुगौली मिल के पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होने के कारण और एक पार्टनर के पाकिस्तान में चले जाने के कारण पार साल और इस साल शुगरकेन ग्रोअर्स को ईख के दाम नहीं मिले ?

श्री किदवई : आप की इत्तला गालिबन सही होगी, मुझे मालूम नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल सिंह—

श्री विभूति मिश्र : क्या अन्वेषण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानकारी दे रहा है। मैं ने पहले ही श्री जयपाल सिंह को पुकारा है।

श्री जयपाल सिंह : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ना देनगी की रकम एक करोड़ से अधिक है .....

श्री किदवई : डेढ़ लाख ।

श्री जयपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने कोई क्रिया करना आवश्यक क्यों नहीं समझा ?

श्री किदवई : कारण यह है कि रकम निस्सन्देह देनी है और अभी तक नहीं दी गई । परन्तु इस में कुछ झगड़े हैं और राज्य की सरकार उन की पड़ताल कर रही है ।

श्री नानादास : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास अन्य राज्यों से भी इसी प्रकार की शिकायतें आई हैं ?

श्री किदवई : किस सम्बन्ध में ?

श्री नानादास : इस अभिप्राय की कि..

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । प्रश्न केवल बिहार की ना देनगी के सम्बन्ध में ही है ।

श्री सारंगधर दास : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पिछली ऋतु में गन्ने की कीमत की देर से अदायगी के कारण, अथवा इस फसल के भी कारण ।

श्री किदवई : चालू ऋतु में नहीं ।

श्री सारंगधर दास : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस फसल की अपेक्षा आगे बीजी जाने वाली फसल का क्षेत्र कुछ कम होने की आशंका है ?

श्री किदवई : मेरा ऐसा विचार नहीं ।

रेलवे की आनाज की दुकानों से चावल का राशन

*१२६०. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे के कर्मचारियों को दक्षिणी रेलवे पर रेलवे की अनाज की दुकानों से चार औंस चावल का राशन दिया जाता है ? और यदि ऐसा है तो क्यों ?

(ख) क्या रेलवे कर्मचारियों की रेलवे की अनाज की दुकानों से उचित दामों पर १२ औंस चावल के राशन की मांग की गई है ? और यदि यह ठीक है, तो इस सम्बन्धी क्या कार्यवाही की गई है ? और

(ग) क्या रेलवे प्रशासन की यह नीति है कि वस्तुओं का संभरण रेलवे की अनाज की दुकानों और सहकारी विश्वासी संस्थाओं द्वारा प्रोत्साहित किया जाय ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे कर्मचारियों को, जिनको मद्रास राज्य स्थित रेलवे की अनाज की दुकानों से अनाज का राशन बिना रियायती कीमतों पर मिलता है, उन के अनाज के राशन में चार औंस चावल उसी राशन स्केल के अनुसार दिया जाता है, जिन को उसी क्षेत्र में काम करने वाली सरकारी उचित दामों वाली दुकानों से अन्य कर्मचारी प्राप्त करते हैं ।

(ख) इस प्रकार की मांग जून १९५२ में की गई थी किन्तु सरकार उचित दामों वाली दुकानों से भिन्न कीमत लागू करने के लिये सहमत नहीं हो सकी ।

(ग) रेलवे की अनाज की दुकानों में केवल कुछ सीमित वस्तुओं का ही लेन देन होता है और वह भी केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिये अभिप्रेय हैं, जिन्हें अनाज की दुकानों की रियायतों का अधिकार है । सरकार ने अनेक बार रेलवे में सहकारी-भण्डार खोलने के प्रोत्साहन देने की इच्छा प्रकट की है ।

श्री नम्बियार : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में रेलवे कर्मचारी चार औंस से अधिक राशन की मांग

कर रहे ह, क्योंकि मद्रास राज्य में अब राशन पद्धति समाप्त कर दी गई है ।

श्री अलगेशन : परन्तु उन को खुले बाजार में खरीदने की स्वतंत्रता है । चावल और दूसरी चीज़ें खुली मिल सकती हैं ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि उचित दामों वाली दुकानों वाली कीमतों और बाहर वाली कीमतों में कुछ अन्तर है ? यदि नहीं, तो रेलवे कर्मचारियों को अधिक राशन क्यों नहीं दिया जाता ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं। वे प्रश्न पूछ सकते हैं ? क्या कोई अन्तर है ?

श्री अलगेशन : जी हां, अन्तर है । कई स्थानों में यह कम है ।

सरदार ए० एस० सहगल क्या यह सच है कि ये सहकारी विश्वासी संस्थायें अच्छी तरह से काम नहीं चला सकती हैं, क्योंकि सरकार की ओर से इस योजना को सर्व प्रिय बनाने की कोई योग्य सहायता नहीं दी जा रही है ?

श्री अलगेशन : मैं नहीं समझ सका कि क्या माननीय सदस्य रेलवे सहकारी संस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : निस्सन्देह ।

श्री अलगेशन : अभी वर्तमान में ही एक पदाधिकारी ने इन सहकारी संस्थाओं के कार्यों की जांच पड़ताल की है और उस की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

श्री नम्बियार : इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि रेलवे अनाज की दुकानों से बाहर की दुकानों पर भाव तेज़ है, क्या इन अनाज की दुकानों से चार औंस से अधिक चावल का राशन मिल सकेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यरा सुझाव पेश कर रहे हैं, जिस पर सरकार विचार करेगी ।

श्री नम्बियार : यह मेरे प्रश्न का ही भाग है ।

श्री अलगेशन : जहां तक रियायती कार्ड वालों का प्रश्न है उन को राशन ठीक मिल रहा है जो अधिक हैं अर्थात सात औंस चावल और पांच औंस गन्दम और/या दालें ।

श्री वेंकटारमन : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे कर्मचारी जिन्हों ने अनाज की दुकानों की रियायतों का विकल्प लिया है, क्या उन को भी वही चार औंस राशन मिल रहा है, या उस से कुछ अधिक ? यदि ऐसा है, तो कितना ?

श्री अलगेशन : मैं ने अभी बतलाया कि उन को अधिक अर्थात् ७ औंस चावल और पांच औंस गन्दम तथा/अथवा दालें, मिल रही हैं ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रोस में रेलवे के कर्मचारियों को जो कोटा दिया जाता है, उन से कम या अधिक मात्रा में राशन कंट्रोल की दुकानों से दिया जाता है ?

श्री अलगेशन : वे बराबर हैं ।

श्री जयपाल सिंह : क्या मैं उन कारणों को जान सकता हूं कि सरकार रेलवे की इन अनाज की दुकानों को उत्तम दुकानें क्यों कहती है, जब कि माननीय मंत्री के दिये हुए उत्तर से स्पष्टतया पता चलता है कि ये अनुचित दुकानें हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे अपने हक में अनुचित हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार का इरादा है, कि इ

अनाज की दुकानों द्वारा इन रेलवे कर्मचारियों की आंशिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह नीति का विषय है। हम बड़े प्रश्नों में पड़ रहे हैं। अगला प्रश्न।

केन्द्रीय यात्रिक यातायात परामर्शदात्री समिति

*१२६१. **श्री एल० जे० सिंह :** (क) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में कोई केन्द्रीय यात्रिक-यातायात परामर्शदात्री समिति है ?

(ख) यदि कोई है, तो उस के क्या कर्त्तव्य हैं ?

(ग) भारत में कितने यात्रिक-यातायात केन्द्र हैं, और उन के क्या नाम हैं ?

(घ) सन् १९५२-५३ में भारत को विदेशी यात्रिक-यातायात से कितनी आमदनी हुई ?

(ङ) भारत में यात्रिकय-तायात केन्द्रों की वृद्धि के लिये क्या क्या विकास योजनायें बनाई गई हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख)। जी हां। यह समिति भारत में यात्रिक-यातायात की उन्नति सम्बन्धी सभी विषयों पर सरकार को सलाह देती है।

(ग) भारत से विशाल देश में, जो पुरातत्व सम्बन्धी स्मारक धन से भरपूर है यात्रिक हित के स्थानों की संख्या विचारनीय है। संभवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि साधारण भारत के कौन कौन से स्थानों की यात्रियों द्वारा सैर की जाती है ? यदि ऐसी बात है, तो उन के पड़ाओं में साधारण से स्थान आते हैं। आगरा, अजन्ता-अलोरा, बनारस, बम्बई, कलकत्ता, दार्जिलिंग, देहली, जयपुर, काश्मीर, मद्रास, मैसूर और सांची।

(घ) रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा किये गये नमूने के परिमापों के आधार पर १९५२ में यात्रिक व्यय २.५ करोड़ अनुमान किया जाता है। जनवरी, फरवरी और मार्च के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए।

(ङ) यात्रा केन्द्र का विकास इस की पहुंच और निवास सम्बन्धी सहूलियतों पर आश्रित है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना राज्य सरकार का काम है, और भारत सरकार वर्तमान में केवल समन्वय, और प्रचार की ओर ध्यान दे रही है। फिर भी भारत सरकार ने कई विशेष मामलों में महत्वपूर्ण आधारमूल यात्रा-केन्द्रों की जाने वाली सड़कों की बनावट और वृद्धि के लिये सहायता दी है।

श्री एल० जे० सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सन् १९५२ में भारत में कितने यात्री सैर के लिये आये, और उन में से कितने अमरीकन कितने रूसी, और कितने चीनी थे ?

श्री अलगेशन : १९५२ का जहां तक सम्बन्ध है, कुल यात्रियों की संख्या २५,४४८ है, जिस में अमरीकन ४,८८९ थे। इस समय मेरे पास दूसरे देश के यात्रियों की जानकारी नहीं है, अपितु मैं माननीय सदस्य को वह जानकारी दे सकता हूं।

श्री एल० जे० सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या न्यूयार्क में यात्रा-कार्यालय खोले जाने की बात सच है ? और यदि यह सच है, तो उस कार्यालय की क्या कार्यवाही है ?

श्री अलगेशन : इस के कार्यक्रम मुख्यतया अपने महत्वपूर्ण यात्रा-स्थलों को देखने के लिये प्रकाशना और प्रचार करना है।

श्री वी० पी० नायर : मैं पूछना चाहता हूं कि अमरीका के अतिरिक्त और किसी देश में भी इस प्रकार के यात्रा-स्थल हैं ?

श्री अलगेशन : अभी, नहीं, जी ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को इस बात का पता है कि बहुत से यात्री कुमारिन अन्तरीप की यात्रा करते हैं ? और क्या यह यात्रा केन्द्रों में शामिल की गई है ?

श्री अलगेशन : कुमारिन अन्तरीप इतना ही सुन्दर स्थान है कुछ लोग जाते हैं । परन्तु साधारणतया यात्री यहां सात या दस दिन के लिय आते हैं, इस लिये इन सब हित के स्थानों को शामिल करना संभव नहीं ।

डा० सुरेश चन्द्र : माननीय मंत्री ने अभी बतलाया कि अलोरा, अजन्ता और ऐसे ही कई अन्य स्थानों में भी विशेष सूविधायें दी गई हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि ये क्या विशेष सुविधायें हैं और उन स्थानों की सड़कों को, जहां बहुत अधिक मात्रा में यात्री आते हैं, बाल - रुध् बनाने के प्रयत्न किये गये हैं ।

श्री अलगेशन : मैं समझता हूं अजन्ता और अलोरा को जाने वाली सड़कें काफी अच्छी नहीं हैं । मुझे आशा है कि राज्य सरकार उन को संभालेगी ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यात्रिक यातायात के लिये पर्वतीय स्थानों के विकास की कोई विशेष योजनायें रखती है ? और क्या वे पर्वतीय स्थानों में खोले गये स्थानीय यात्रा-कार्यालयों को किसी प्रकार की सहायता दे रहे हैं ?

श्री अलगेशन : पर्वतीय स्थानों का यात्रा-केन्द्रों के रूप में विकास करना ऐसा विषय था जिसे अचिर काल में हुए सम्मेलन में विचारा गया था जिस में सब राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे सहायता देने का प्रश्न निस्सन्देह पूर्ण नहीं हुआ । परन्तु यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अच्छी तरह विचाराधीन है ।

श्री सारंगधर दास : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कनारक मन्दिर देखने के लिये पुरी से कनारक को जाने वाली सड़क के बनाने में सहायता दी जा रही है, अथवा पूर्णतया भारत सरकार द्वारा बनवाई जा रही है ?

श्री अलगेशन : बहुत हद तक इस को सहायता दी जा रही है । दूसरों को दी जाने वाली सहायता से भी यह अधिक सहायता है ।

सरदार हुक्म सिंह : सन् १९५२ में इस उद्योग से अपने देश को विदेश से क्या कमाई हुई ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह उत्तर में बतलाया जा चुका है, ढ़ाई करोड़ रुपये ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं पूछ सकता हूं कि यदि सरकार इसे उचित समझती है, कि यात्रा-ऋतु प्रारम्भ होने से पहले इन स्थानों की लगातार सफाई की जाये, और इन स्थानों में हित के स्थलों का प्रकाशन करने वाले नये इश्तिहार लगाये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब कार्य करने के लिये सुझाव हैं । सरकार सब बातों पर विचार करेगी ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जब त्रिवन्दरम को वायु पक्ष से मिलाया गया, तो पुरातत्व सम्बन्धी हितों के स्थानों को क्यों सम्मिलित नहीं किया गया ?

श्री अलगेशन : ऐसा नहीं कि उन को शामिल नहीं किया गया ? मैं ने केवल यही बतलाया कि यात्रियों का ठहराव थोड़ा होता है और वे सब स्थानों की यात्रा नहीं कर सकते ।

हम ने ट्रावनकोर-कोचीन तथा अन्य स्थानों के सम्बन्ध में भी प्रकाशन का सामान छपवाया ह। यह उन पर निर्भर है कि वे जाने के लिये कौन से स्थान चुनें। हम अपनी राय दे देते हैं।

श्री वैलायुधन : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यात्रिक-संघटना की काश्मीर को भी जाने वाले यात्रियों के बारे में कुछ कार्यवाहियां हैं ?

श्री अलगेशन : जी हां। काश्मीर सरकार हमारे साथ सहायक है। उन्हों ने यात्रा केन्द्र खोल दिया है और हम सब प्रकार के प्रकाशन और प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री एस० वी० रामास्वामी : सलेम जिले में मोटर बन्द भी एक.....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम भारत के तमाम महत्वपूर्ण स्थानों का विचार कर रहे हैं ?

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को इस बात का पता है कि लापरवाही के कारण अभी उचित काल में ही ऊटी और कोडेकानल दो प्रसिद्ध पर्वतीय स्थान बरबाद हो गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : यात्री वहां जाना नहीं चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले से ही, माननीय मंत्री ने बतला दिया है कि वह पर्वतीय स्थानों की बाबत राज्य सरकारों से विचार कर रहे हैं। हम यहां उन सब के विस्तार में नहीं पड सकते।

श्री एल० जे० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि एशिया और सुदूर पूर्व के प्रादेशिक यात्रा आयोग की बैठक हुई थी और यदि हुई थी तो वहां पर क्या चर्चा हुई थी ?

श्री अलगेशन : मैं आप के प्रश्न को समझ नहीं सका।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य हमारे अनुमान से कुछ अधिक शीघ्र बोल गये हैं। क्या वे अपने प्रश्न को दुहरायेंगे ?

श्री एल० जे० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं यदि एशिया तथा सुदूर पूर्व के प्रादेशिक यात्रा-आयोग की बैठक हुई थी ? और यदि हुई थी तो वहां क्या चर्चा की गई थी ?

श्री अलगेशन : मैं इस के लिये सूचना लेना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश में छोटी सिंचाई परियोजनायें

*१२६२. **श्री जांगड़े :** **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष १९५३-५४ के बारे में अपने राज्य की छोटी सिंचाई परियोजनाओं की सूची केन्द्रीय सरकार को दे दी है, यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : जी हां। चार योजनाओं पर विचार हो चुका है और उन को सहायता देना भी स्वीकृत हो चुका है, जिन पर २३,४५,११९ रुपये का उधार तथा १,४९,६६५ रुपये की देनी पड़ेगी। पांचवीं विशेष छोटी नहरी योजनाओं का कार्यक्रम है, जिस के लिये एक करोड़ रुपये की मांग की गई है ? इस में ६७ योजनायें शामिल हैं जिन में से २३ योजनायें वर्ष १९५२-५३ में अनुमोदित की गई हैं और ४४.४५ लाख रुपये की उधार भी मंजूर हो चुकी है। बाकी योजनाओं के लिये आर्थिक तथा उत्पादन सम्बन्धी विस्तार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जिन के आ जाने पर इन पर विचार किया जायेगा।

श्री जांगड़े : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जिन छोटी योजनाओं के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने आप के पास से अनुदान या

सहायता मांगी है उन योजनाओं से कुल कितने एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस के लिये सूचना लेना चाहता हूं ।

श्री अलगू राय शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसी तरह की किसी योजना के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कुछ मांग की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां । मांगा है, और दिया भी गया है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मांगा भी है और पाया भी है ।

श्री के० जी० देशमुख : मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं में से ये प्रोजैक्ट देश के किस भाग में मांगे गये हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : यह पता देना बहुत कठिन है क्योंकि मुझे सारे मध्य भारत के पूरे नक्शे को देखना पड़ेगा ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि इन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार ने जितनी अनुदान और सहायता दी है उस के अनुपात से मध्य प्रदेश सरकार कुल कितना रुपया खर्च कर रही है या करेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम समझते हैं कि जितना रुपया खर्च करना चाहिये, उतना वह खर्च करेगी ।

श्री किदवई : और शायद उस से भी ज्यादा खर्च करना पड़े ।

श्री अलगू राय शास्त्री : मैं यह जानना चाहता था कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस काम के लिये कितना रुपया दिया गया है और यह कि उस रुपये का कितना हिस्सा उन ज़िलों में खर्च होगा जो कि स्केर्यासिटी डिस्ट्रिक्ट्स (जल अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों) के नाम से मशहूर हैं ?

श्री किदवई : इस वक्त हमारे सामने कागज़ात मौजूद नहीं हैं । लेकिन आम तौर से लोगों की शिकायत है कि यू० पी० को बहुत ज्यादा रुपया दिया जाता है, और उस का ज्यादातर हिस्सा मशरकी अज़ला में खर्च होता है ।

श्री जांगड़े : क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में छोटी योजनाओं की संख्या कितनी है और वह कहां कहां है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं सूची देने के लिये असमर्थ हूं ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी उठ खड़े हुए —

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का मध्य प्रदेश में किस प्रकार से हित है ?

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना में ट्यूब वैल प्रोजैक्ट भी सम्मिलित है ? और मध्य प्रदेश सरकार ने इस के लिये कितना रुपया मांगा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह ट्यूब वैल से सम्बन्ध रखता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस योजना में ट्यूब वैल सम्मिलित नहीं हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्योंकि माननीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश का ब्यौरा दिया है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने अभी एक प्रश्न के लिये आज्ञा दी थी । मैं उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में और प्रश्नों के लिये आज्ञा नहीं दे सकता प्रश्न मध्य प्रदेश से सम्बन्ध रखता है, और हम उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान नहीं दे सकते ।

श्री जयपाल सिंह : नहरी योजना को छोटी योजना कैसे बनाया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो जानी बूझी बात है ।

श्री किदवई : जब खर्चा एक विशेष आंकड़े से कम हो ।

श्री जयपाल सिंह : वे आंकड़े क्या हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार इसे जानती है । यह एक विशेष रकम से कम होती है ।

इन्टैन्सिव ब्लौक योजनायें

*१२६३. **श्री जांगड़े :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने 'इन्टैन्सिव ब्लौक' योजनाओं को विभिन्न राज्यों में विशेषत: मध्य प्रदेश में आरम्भ कर दिया है ?

(ख) इन्टैन्सिव ब्लौक क्षेत्रों से किसानों को सामान्यत: क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि इन "इन्टैन्सिव ब्लौक" क्षेत्रों के बाहर वाले किसानों को कृषि सम्बन्धी कोई सुविधायें नहीं दी जातीं। उन में तकावी खेतों का सुधार तालाबों और कूंओं का खोदना खाद या बीजों का बांटना शामिल है ?

(घ) क्या सरकार को इस शिकायत के बारे में ये पता है कि "इन्टैन्सिव ब्लौक" योजना के अन्तर्गत स्वीकृत रुपये को पूरी तरह से काम में नहीं लाया जा रहा है और काफी रुपया अभी पड़ा हुआ है ?

(ङ) क्या इन "इन्टैन्सिव ब्लौकों" को किसी समय विकास ब्लौकों अथवा सामूहिक परियोजनाओं में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) स्थायी उन्नति वाली योजनाओं अर्थात् स्वकीय सिंचाई के तालाबों कूंओं तथा ज़मीन की सुधार आदि करने के लिये तथा बड़ी सज्जा को खरीदने के लिय राज्य सरकार के द्वारा दो से ले कर पन्द्रह वर्ष तक वापिस हो जाने वाले उधार दिये जायेंगे। आगामी वर्ष की ३० जून तक वापिस होने वाले छोटे छोटे उधार भी सप्लाई की योजनाओं अर्थात् बढ़िया बीज बांटने फरटीलाइज़र आदि बांटने के लिये दिये जायेंगे । ऊपरी वर्णित योजनाओं के लाभ रहित खर्च के भाग को पूरा करने के लिये सहायता भी दी जा रही है ।

(ग) राज्य सरकारों का अपने राज्य में तकावी और बीज तथा खाद बांटने का साधारण ढ़ंग होता है । यह केवल केन्द्रीय सरकार के अधिक अन्न उपजाओ धन-राशि की सहायता के कारण ही है कि इस सहायता से अधिक से अधिक लाभ उठाने की ओर विशेष ध्यान दिया गया । कार्य इन्टैन्सिव ब्लौक में केन्द्रित किया जाना चाहिये, जहां कि निलम्बन और केन्द्रीभूत प्रयत्न अधिक आसानी से प्राप्त किये जा सकें ।

(घ) नहीं, हमारे अनुभव ने सिद्ध किया है, कि मंजूर किये गये धन का मुख्य भाग प्रयोग में लाया जा चुका है ।

(ङ) जी हां । कम्युनिटी प्रौजैक्ट में कुछ इन्टैन्सिव ब्लौक लिये जा रहे हैं ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रत्येक एरिया (क्षेत्र) में किस आधार पर इन्टैंसिव ब्लौक्स की संख्या निर्धारित की जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : सूचना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस० एन० दास ।

श्री जांगड़े : आप ने मेरे प्रश्न का मतलब ही नहीं समझा । मैं ने कहा था कि वह मेरे प्रश्न को नहीं समझ सका ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने श्री एस० एन० दास को पुकार लिया है ।

श्री एस० एन० दास : इस इन्टैन्सिव ब्लौक स्कीम के प्रवेश करने से ले कर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या उन्नति का कोई अनुमान लगाया गया है कि इस स्कीम के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में क्या क्या उन्नति हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस का हिसाब लगाने के लिये अभी जल्दी है ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार जो रकम माइनर इरीगशन प्रोजैक्ट्स के लिये दे रही है क्या वह इन्टन्सिव ब्लौक में शामिल है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी, नहीं, वह तो अलग है ।

श्री दाभी : क्या मैं बम्बई राज्य में की इन्टैन्सिव ब्लौक क्षेत्रों के नाम जान सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी नाम बतलाना संभव नहीं है। यह बहुत बड़ी सूची है और प्रश्न भी मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में है ।

श्री टी० एन० सिंह : माननीय मंत्री ने बतलाया कि उन्नति का हिसाब लगाने के लिये अभी जल्दी है। क्या मैं जान सकता हूं कि यदि सरकार ने इन मामलों में सामयिक छः माही या वर्षीय रोध लगाया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मेरा विचार है कि देश की वर्तमान खुराक की अवस्था इन्टैन्सिव ब्लौक की सफलता की सूचक है ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं उत्तर को समझ नहीं सका

उपाध्यक्ष महोदय : देश की वर्तमान अवस्था इस की आज्ञा नहीं देती।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यही उत्तर हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं भी इस को समझ नहीं पाया । क्या माननीय मंत्री अपने उत्तर को दुहरायेंगे ?

श्री किदवई : मैं ने बतलाया कि अनाज की सुधरी हुई दशा देश में इन इन्टैन्सिव ब्लौक योजनाओं की सफलता की सूचक है ।

श्री सारंगधर दास : इस का ध्यान रखते हुए कि इन्टैन्सिव ब्लौक पद्धति के अस्तित्व को अब दो वर्ष से अधिक हो चुके हैं, क्या माननीय मंत्री हमें यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पहले वर्ष प्रति एकड़ कितनी पैदावार बढ़ी हैं, और कितनी दूसरे वर्ष ?

श्री किदवई : उड़ीसा में चावल की वृद्धि पिछले वर्ष की पैदावार से ५० प्रतिशत हो गई है ।

श्री सारंगधर दास : मैं समस्त भारत के ब्लौकों के बारे में बात कर रहा हूं गत दो वर्षों से प्रति वर्ष प्रति एकड़ पैदावार में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री किदवई : मैं ने बतलाया कि इस का परिणाम केवल उड़ीसा में ही हुआ है और चावल की पैदावार पिछले वर्ष से ५० प्रतिशत बढ़ गई है। और पिछले वर्ष उस से पहले वर्ष की अपेक्षा १५ प्रतिशत वृद्धि हुई थी ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन इन्टैन्सिव ब्लौक और कम्युनिटी प्रोजैक्ट के नीचे कितने प्रतिशत क्षेत्र आता है, जो कि खाद्य स्थिति पर प्रभाव डाल सके ?

श्री किदवई : मैं माननीय सदस्य से इन प्रश्नों के लिये निश्चित सूचना दें, और आंकड़े बतला दिये जायेंगे ।

पंडित लिंगराज मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि उड़ीसा में वृद्धि केवलतया इन्टैन्सिव ब्लौकों के कारण ही हुई है ?

श्री किदवई : हमें ऐसी ही आशा करनी चाहिये ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि मध्य प्रदेश में कुल कितने इन्टैन्सिव ब्लौक हैं और उन पर कुल कितनी रकम कर्ज या ग्रांट के रूप में दी गई है और प्रत्येक ब्लाक पर कितना रुपया व्यय किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : तमाम ब्लौकों की कुल संख्या ५६ है, और क्षेत्रफल ८,८४,००० एकड़ है, मैं व्यय सम्बन्धी आंकड़े नहीं बतला सकता ।

श्री जांगड़े : क्या यह सही है कि प्रत्येक इंटैन्सिव ब्लाक के लिये जितनी रकम खर्च के लिये निश्चित की जाती है, जब वह पूरी रकम व्यय नहीं होती है तो बची हुई रकम समाप्त हो जाती है और उस रकम को दूसरे इंटैन्सिव ब्लाक पर खर्च नहीं किया जा सकता और अगले वर्ष वह उसी इंटैन्सिव ब्लाक पर खर्च नहीं हो सकती ।

श्री किदवई : जितना रुपया दिया जाता है अगर उस से कम खर्च होता है तो वह दूसरे ब्लाक पर खर्च नहीं किया जा सकता । वह दूसरे साल के बजट में आ जाता है ।

श्री अलगू राय शास्त्री : आप ने इस प्रश्न के उत्तर में यह बतलाया है कि फ़ूड पोज़ीशन जैसी अब हो गई है उस की वजह से इंटैन्सिव ब्लाक की सफलता अपने आप स्पष्ट हो जाती है । अब में यह जानना चाहता हूं कि क्या फूड पोज़ीशन ऐसी हो गई है कि अब बाहर से अनाज मंगाना बन्द किया जा सके ?

श्री किदवई : यह एक दम से तो नहीं किया जा सकता । लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि जितना हम मंगाते हैं उतना खर्च नहीं होता और हमारा स्टाक बढ़ता जा रहा है और हम मंगाना भी कम करते जा रहे हैं । तीन साल पहले ४७ लाख टन मंगाया था उस के बाद पिछले साल ३९ लाख टन मंगाया था और इस साल २४ और २० लाख टन के दरम्यान मंगा रहे हैं । अगर हम बन्द कर देते हैं तो लोग एक दम शोर करना शुरू कर देंगे कि खाने की कमी हो जायेगी । इस लिये बन्द नहीं कर ते हैं । लेकिन हमारा इरादा है कि अगर यही हालत रही तो तीन चार साल के बाद बिल्कुल इम्पोर्ट करना बन्द कर देंगे ।

श्री चिनारिया : मैं जानना चाहता हूं कि इन इन्टैन्सिव ब्लौकों को स्थित करने लिये किन किन बातों का विचार किया जाता है ?

श्री किदवई : अधिक से अधिक उपज की संभावना का विचार किया जाता है ।

श्री जांगड़े उठे —

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने अनेक प्रश्नों की आज्ञा दे दी थी । अब अगला प्रश्न ।

पूर्वी नौवहन–निगम

*१२६४. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या **यातायात** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्वी नौवहन-निगम, जो १९५० में स्थापित किया गया था, ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है, और सरकार वर्ष १९५३-५४ में इस में कितना रुपया लगाने का विचार रखती है ?

(ख) देश की महत्वपूर्ण समुद्रपार व्यापारिक मार्गों के लिये भारतीय जहाज़ों को क्या सहूलियतें दी जाती हैं ?

(ग) क्या कम्पनी को अपने जन्म से अब तक कुछ लाभ हुआ है और यदि हां, तो कितना ?

(घ) क्या कम्पनी द्वारा इस के विस्तार की कोई योजना बनाई गई है ?

(ङ) यदि है, तो वह योजना क्या है ?

(च) सिन्दिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी के प्रबन्धक ऐजेन्टों और सरकार के द्वारा मूलधन में कितना भाग लगाया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पूर्वी नौवहन-निगम अपने प्रारम्भ से ही सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। भारत सरकार सन् १९५३-५४ में इस कारपोरेशन में ७४ लाख रुपये लगाने का विचार रखती है ।

(ख) भारतीय जहाज़ों को भी विदेशी व्यापार में दूसरे जहाज़ों की तरह ही साधारण व्यापारी आधार पर चलना पड़ता है ।

(ग) जी हां । लाभ की रकम निम्न प्रकार है :

	रुपये
१९५०-५१	१,३८,२५४
१९५१-५२	२२,५३,६३०

(घ) और (ङ) । कारपोरेशन ने अपने कार्य को / भारत सुदूर पूर्व और भारत / पूर्व अफरीका व्यापार को प्राप्त करने के लिये, विकास योजनायें बनाई हैं । तीन व्यापारी जहाज़ों को बनाने के लिये आज्ञायें दी जा चुकी हैं और इस से अधिक विस्तार की योजनायें विचाराधीन हैं ।

(च) कारपोरेशन का वर्तमान लगा हुआ मूलधन ३ करोड़ है, जिस में से ७४ प्रतिशत (२२२ लाख रुपये) भारत सरकार द्वारा लगाये गये हैं, और २६ प्रतिशत (७८ लाख रुपये) सिन्दिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटेड बम्बई द्वारा, जो कि कारपोरेशन के प्रबन्धक-एजेंट हैं ।

श्री के० के० बसु : इस पूर्वी नौवहन निगम द्वारा समुद्र पार का कितने प्रतिशत व्यापार किया जाता है ?

श्री अलगेशन : मैं इस के लिये सूचना चाहता हूं ।

श्री जयपाल सिंह : क्या यह पूर्वी नौवहन निगम बाल्टिक ऐक्सचेंज का सदस्य है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : बाल्टिक एक्सचेंज ? क्या यह बाल्टिक ऐक्सचेंज का सदस्य है ?

श्री अलगेशन : श्रीमान् जी, मैं नहीं जानता । मैं इस के लिये सूचना चाहता हूं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि अण्डेमान के व्यापार के लिये एक यात्रिक एवं खेप लदौनी जहाज़ बनाया जा रहा है ? यदि ऐसा है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह कितने टन का होगा, और वह स्थान कौन सा है जहां यह बनाया जायेगा ?

श्री अलगेशन : अण्डेमान के व्यापार के लिये भी एक जहाज बनाने का विचार है। मैं नहीं कह सकता कि जहाज बनने में कितना समय लगेगा ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने बतलाया कि तीन खेप लदौनी जहाज़ बनाने की आज्ञा दी जा चुकी है । क्या मैं पूछ सकता हूं कि किस फर्म और किस देश को आज्ञा दी गई है ? क्या वह अपने देश में ही किसी फर्म से बनवाये जा रहे हैं ?

श्री अलगेशन : वज़ीखापटम शिपयार्ड को आज्ञा दी गई है ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पूर्वी नौवहन-निगम सिन्दिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी से बिल्कुल विभिन्न है ? अर्थात् कि क्या सिन्दिया दोनों सिन्दिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी और पूर्वी नौवहन निगम का प्रबन्ध करता है ?

श्री अलगेशन : वे २६ प्रतिशत हिस्से रखते हैं, और वे ही पूर्वी नौवहन-निगम के प्रबन्धक-एजेंट हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सिन्दिया की प्रबन्धक ऐजेन्सी के सम्बन्ध में कम्पनी के कानूनों के उपबन्धों के अतिरिक्त कोई समय की सीमा निश्चित की गई है ?

श्री अलगेशन : मैं सूचना चाहता हूं ?

श्री जयपाल सिंह : पूर्वी नौवहन-निगम के पास कुल कितने टन की चीज़ें बनवाई हुई हैं ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, उन के अपने दो जहाज़ हैं। प्रत्येक का वज़न १०३१० डी डबल्यू टी टन है ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने बतलाया कि कम्पनी ठीक प्रकार से चल रही है और लाभ प्राप्त कर रही है । क्या मैं जान सकता हूं कि यदि १९५१-५२ से कोई लाभांश बांटा गया है ?

श्री अलगेशन : यहां मेरे पास जानकारी नहीं है । मैं केवल लाभ के आंकड़े बता सकता था । यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं बता सकूंगा ।

श्री वी० पी० नायर : इस धंधे से सरकार की पूंजी को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या प्रबन्धक-एजेंसी-आयोग के लिये कोई विशेष उपबन्ध बनाया गया है, और यदि है, वह क्या है ?

श्री अलगेशन : ये सब विस्तार की बातें हैं । मैं इन की जानकारी अपने पास यहां नहीं रखता ।

श्री केलप्पन : इस धंधे के मूल धन में सरकार के कुल कितने हिस्से हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने यह बात बतला दी है ।

श्री अलगेशन : ७४ प्रतिशत, २२२ लाख रुपये ।

श्री केलप्पन : कुल मूल धन कितना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : तीन करोड़ ।

श्री अलगेशन : मैं ने उत्तर में वह सब कुछ बतला दिया है ।

[हैदराबाद में सड़क यातायात की सेवा का विस्तार

*१२६५. **श्री विट्टल राव** : (क) क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद राज्य में सड़क यातायात सेवाओं के लिये आय-व्यय में रखे गये २२ लाख रुपय की राशि को सरकार किस प्रकार लगाने का प्रस्ताव रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : रेलवे के बजट में हैदराबाद राज्य में सड़क यातायात सेवाओं के लिये रखे गये २२ लाख रुपये का उपबन्ध प्रस्तावित राज्य के सड़क-यातायात निगम में लगाये हुए मूल धन में रेलवे का हिस्सा तुलनात्मक है ।

श्री विट्टल राव : मैं पूछना चाहता हूं कि जब रुपया दिया जायेगा तो क्या कोई सूद भी लिया जायेगा ?

श्री अलगेशन : रेलवे पूंजी लगा कर सड़क-यातायात-निगम की स्थापना में भाग ले रही है ।

पुर्तगाल रेलवे

*१२६६. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या रेलवे मंत्री दक्षिणी रेलवे द्वारा संचलित पुर्तगाल रेलवे की कुल लम्बाई बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) इस रेलवे की स्वामिनी कम्पनी कहां रजिस्टर हुई है ?

(ग) इस कम्पनी का करार कब समाप्त होने वाला है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ५१·०४ मील ।

(ख) इंगलैंड में।

(ग) डबल्यू० आई० पी० रेलवे की स्वामिनी कम्पनी और भारत सरकार के बीच करार, रेलवे चलाने के सम्बन्ध में १-१-१९५६ को समाप्त हो जायगा ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या अब करार स्थगित नहीं किया जा सकता ?

श्री अलगेशन : जी, नहीं ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : यह क्यों होना चाहिये ?

श्री जयपाल सिंह : इस के इंगलैंड में रजिस्टर होने से उन्नति होने के क्या कारण हैं ?

श्री अलगेशन : श्रीमान् जी, यह इंगलिस्तान में रजिस्टर हो चुकी है, और हम केवल कार्यवाहक एजेंट हैं। यह पुर्तगाली भारत में स्थित हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं पूछ सकता हूं यदि सरकार इस के कार्यवाहक एजेंट होने के नाते कुछ कमीशन प्राप्त करती है ?

श्री अलगेशन : जी, हां ।

बम्बई की उपनागरिक गाड़ियों में भीड़

*१२६७. **श्री गिडवानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक केन्द्रीय और पश्चिमी रेलवे पर, जनवरी, १९५३ से गाड़ियों के बढ़ जाने के बाद भी क्या बम्बई की उपनागरिक गाड़ियों में अधिक भीड़ है ?

(ख) यदि है, तो केन्द्रीय तथा पश्चिमी रेलवे की उपनागरिक गाड़ियों में भीड़ को घटाने के लिये कितने अधिक डिब्बों की आवश्यकता है ?

(ग) क्या और अधिक उपनागरिक डिब्बे १९५२-५३ में प्राप्त किये गये हैं, और क्या १९५३-५४ में और अधिक की आशा है ?

(घ) यदि ऐसा है तो कितने ?

(ङ) क्या और अधिक उपनागरिक डिब्बों के लिये आज्ञा दी जा रही है ?

(च) यदि ऐसा है, तो कितने के लिये और कब ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां।

(ख) भीड़ को पूर्णतया समाप्त करने के लिये कितने डिब्बों की आवश्यकता है, इस का ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है । साधारण अनुमान चालीस से अधिक है ।

(ग) तथा (घ) । जी हां । १९५२-५३ में पश्चिमी रेलवे द्वारा १६ प्राप्त किये गये थे । १९५३-५४ में कोई अपेक्षित नहीं ।

(ङ) तथा (च) । रोलिंग स्टोक कार्यक्रम की जांच पड़ताल की जा रही है और अधिक डिब्बों की आवश्यकता पर विचार किया जायगा । कार्यक्रम की बनावट पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

डाक के टिकट

*१२६८. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार विभाग ने समय समय पर टिकटों की जो सीरीज निकाली हैं उन में सब से अधिक लोकप्रिय कौन सी रही ;

(ख) वर्तमान सिरीज़ में अब तक कितने टिकट छप चुके हैं और वे कब तक चालू रहेंगे ;

(ग) इन का देशों और विदेशों में कितना स्वागत किया गया;

(घ) क्या सरकार इस सिरीज़ में रामकृष्ण परमहंस, गौरांगमहाप्रभु, रमणऋषि, महात्मा गांधी, और अरविन्द घोष के टिकट निकालने का विचार करती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) स्वतंत्रता से ले कर पोस्ट और टैलीग्राफ विभाग द्वारा छपवाये गये डाक के टिकट महात्मा गान्धी के टिकट, वर्तमान पुरातत्व सम्बन्धी सिरीज़, और आधुनिकतम सन्तों और सन्त कवियों की सिरीज़ बहुत अच्छी तरह से सम्मानित हुई है ?

(ख) वर्तमान पुरातत्व सम्बन्धी सिरीज़ की छपी हुई संख्या, उन के निकलने की तारीख से ले कर ३०२१ मिलिअन टिकट हैं, अर्थात्, १५ अगस्त १९४९ से ले कर ३१ मार्च, १९५३ तक। सिरीज़ तब तक चलती रहेंगी, जब तक कि बदली न जायें अथवा वापिस न ले ली जायें ।

(ग) पिछले साढ़े तीन वर्ष के अन्दर भारत में और बाहर टिकट ६२ करोड़ रुपये के मूल्य के बिक चुके हैं। अतः इस प्रकार ये टिकट बहुत अच्छी प्रकार से प्राप्त किये गये हैं।

(घ) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री बलवन्त सिंह मेहता: क्या मैं जान सकता हूं कि इन स्टाम्प्स को निकालने की सरकार की अगली योजना क्या होगी ?

श्री राज बहादुर: अगली योजना विचाराधीन है, किन्तु माननीय सदस्य को यह ज्ञात होगा कि १६ अप्रैल को हम रेलवे शताब्दी के उपलक्ष में एक नया स्टाम्प निकाल रहे हैं जिस का रूप माननीय सदस्य ने देखा भी होगा।

श्री जांगड़े: क्या माननीय कृपा कर के बतलायेंगे कि किन किन सज्जनों ने ऐसे टिकट निकाले हैं और उन को उस के उपलक्ष में कितने कितने रुपये बतौर इनाम के दिये गये हैं ?

श्री राज बहादुर: यह व्यक्तिशः नहीं कहा जा सकता कि किन किन लोगों ने ऐसे टिकट निकाले हैं क्योंकि रूप की अन्तिम स्वीकृति तो विभाग द्वारा विचार विनिमय कर के दी जाती है और इस लिये उस टिकट के निकालने का एक व्यक्ति को श्रेय या दायित्व नहीं मिल सकता ।

श्री बलवन्त सिंह मेहता: क्या रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी की भांति पोस्टल शताब्दी बनाने की भी कोई एसी योजना है ?

श्री राज बहादुर: अवश्य है ।

श्री दाभी: क्या मैं पूछ सकता हूं कि यदि सरकार गुजराती कवि सन्त श्री नरसी मेहता, प्रसिद्ध कवि, जिन्हों ने "वैष्णव जनतों" का गीत गाया, और जो गांधी जी के अत्यन्त प्रिय थे, उन का चित्र भी टिकटों पर छपवाने का विचार रखती है ?

श्री राज बहादुर: मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत से प्रतिनिधित्व और परामर्श अनेक उच्च हस्तियों और नेताओं सम्बन्धी, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, दक्षिणी भारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और पंजाब से आये हैं, और गुजरात से संकेतित हस्तियों में नरसी मेहता भी एक हैं ।

श्री पुन्नूस: क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या श्री नारायण गुरुस्वामी भी उस सूची में सम्मिलित हैं ।

श्री राज बहादुर: मैं ठीक ठीक समझ नहीं पाया ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने अभी बतलाया कि अनेक परामर्श आ चुके हैं और वे सब सचिवालय के पास हैं। निश्चय ही वे उन सब का विचार करेंगे और हम इस विस्तार

में नहीं जा सकते कि आया अमुक व्यक्ति उस में सम्मिलित है या नहीं ?

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रधान के लिये कोई विशेष टिकट छपवाया गया है, जो जनता को प्राप्त नहीं होता ।

श्री राज बहादुर : यह वर्तमान में बिल्कुल विचाराधीन नहीं है ।

श्री जी० पी० सिन्हा: मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन टिकटों की निगरानी करने के लिये कोई स्थायी समिति है ?

श्री राज बहादुर : इस के लिये कोई विशेष समिति नहीं है, क्योंकि कर्मचारिवृन्द ही इस का ध्यान रखते हैं ।

श्री जयपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि ये टिकट, जिन का बहुत स्वागत हुआ स्विटज़रलैंड में भी छपे, और जैसा कि माननीय मंत्री ने बतलाया, महात्मा गान्धी जी के टिकट पुरातत्व-सम्बन्धी सिरीज़ में क्यों रखे गये ?

श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि सम्मान्य मित्र गलत समझ बैठे हैं । गान्धी जी के टिकट पुरातत्व सम्बन्धी सीरीज़ में से नहीं । उन का अपना सैट है । पुरातत्व सम्बन्धी सिरीज़ उन से बनती है जिन्हें निश्चित सिरीज़ कहा जाता है और ये अनिश्चित हैं । गांधी जी के टिकट स्मारक टिकट हैं, और वे पुरातत्व सम्बन्धी सिरीज़ में नहीं हैं ।

श्री जयपाल सिंह : वे स्विटज़रलैंड में क्यों छपवाये गये ?

श्री राज बहादुर : मैं ने पहले ही पिछले प्रश्न के उत्तर में बतला दिया कि हमारे पास पूना में फोटो लेने का प्रैस अब हो गया है, और अब उस के द्वारा टिकट छापे जा रहे हैं ।

श्री मुनिस्वामी : मैं पूछना चाहता हूं कि निर्वाचन कैसे किया जाता है ? क्या यह मंत्री द्वारा होता है अथवा समिति द्वारा ?

श्री राज बहादुर : निर्वाचन विभाग द्वारा होता है, और पिछली बार प्रधान मंत्री महोदय के परामर्श के साथ निर्णीत हुआ था ।

श्री एल० जे० सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार पक्षियों और पशुओं और फूलों को, जो संसार में अद्वितीय हैं, भी सम्मिलित करना चाहती है ?

श्री राज बहादुर : हम विशेष सिरीज़ के लिए विशेष उपयुक्त विषय ढूंढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय जीवन के कृषिक और दूसरे पहलुओं सम्बन्धी उपयुक्त चित्र धारण करेंगे ।

देहली में डाकखानों का परिमाप

*१२६९. **श्री पुन्नूस :** क्या **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग के डायरैक्टर-जनरल ने डाक-सेवाओं के डायरैक्टर को सूचनायें दी हैं, कि वह देहली में कर्मचारियों को सहूलियतों की कमी के सम्बन्ध में सब डाकघरों का परिमाप करे ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या परिमाप अब तक सम्पूर्ण हो चुका है ?

(ग) क्या सरकार सदन की मेज़ पर उस की एक प्रति रखने का विचार रखती है ?

(घ) उस रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी, हां ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री पुन्नूस: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के संघ का प्रतिनिधित्व आया है कि बहुत से डाकघरों में बहुत कम सहूलियतें हैं ?

श्री राज बहादुर: हम ने इस यूनियन तथा दूसरी यूनियन से आवश्यक सहूलियतों आदि के उपबन्ध सम्बन्धी प्रतिनिधित्व प्राप्त किये हैं ।

श्री पुन्नूस: क्या माननीय मंत्री बतला सकते हैं कि वर्तमान में देहली में कितने डाकखानों में कम से कम सहूलियतें मिलती हैं ?

श्री राज बहादुर: यह विशेष स्तर पर निर्भर रहता है । हम पता करने का प्रयत्न कर रहेहैं कि क्या सहूलियतें चाहियें ।

श्री पुन्नूस: क्या सरकार को पता है कि बहुत से डाक घरों में इन सहूलियतों की कमी है ?

श्री राज बहादुर: ये आवश्यक स्थान के मिलने पर आधारित है । और हम उन को तब तक नहीं दे सकते जब तक कि डाकघरों के लिये अधिक अच्छी जगह नहीं मिलती ।

श्री जी० पी० सिन्हा: क्या वह केवल देहली से ही सम्बन्धित है अथवा और भागों के लिये भी ।

श्री राज बहादुर: हमारे प्रयत्न केवल देहली तक सीमित नहीं हैं, अपितु बाकी दूसरे भागों के लिये भी हैं ।

श्री वी० पी० नायर: मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उपमंत्री ने देहली में डाकघरों का निरीक्षण किया, और किन किन सहूलियतों को उन्हों ने आवश्यक समझा ?

श्री राज बहादुर: मैं सविनय निवेदन करता हूं कि मैं ने अपने माननीय मित्र की अपेक्षा अधिक डाकखानों का निरीक्षण किया है ।

श्री पुन्नूस: मैं पूछना चाहता हूं कि इन निरीक्षणों का क्या परिणाम निकला ।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हों ने पहले से ही कह दिया कि वे इस पर विचार कर रहेहैं ।

हवाई डाक का वस्तु भाड़ा भार

*१२७०. **श्री विट्टल राव:** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सचाई है कि हवाई डाक की ढुलाई का वस्तु भाड़ा भार उस भाड़े से अधिक है, जो व्यक्तिगत सम्बन्धों और हवाई यात्रियों द्वारा ले जाये गये दूसरे माल असबाब पर होता है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस के क्या कारण हैं ?

(ग) तत्सम्बन्धी बस्तु भाड़ा भार क्या है ?

(घ) क्या सरकार हवाई डाक के वस्तु भाड़ा भार को दुरुस्त करने का विचार रखती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) प्रथम श्रेणी की डाक की ढुलाई के लिये डाक-दर वस्तु भाड़ा भार से अधिक है । दूसरी श्रेणी की डाकों के लिये वस्तु भाड़ा भार से दर कम है ।

(ख) हवाई ढुलाई में, यात्रियों और वस्तु भाड़ा, यातायात से डाक को अधिमान दिया जाता है ।

(ग) **डाक के लिये** :—प्रथम श्रेणी की डाक : ३ रुपये प्रति टन दूसरे डाक के लिये जिस में मेल पारसल भी १ रु० १२ आने प्रति टन मील सम्मिलित है

वाणिज्यिक वस्तु भाड़े के लिये:—हवाई कम्पनियां वाणिज्यिक वस्तु भाड़ा ले सकती हैं, (अर्थात् यात्रिक गण तथा यात्रियों का सामान आदि पर) दर जो १४ आने से २ रु० १२ आने

प्रति टन मील तक बदलता रहता है, चाहे कार्य रूप में औसत अधिकतम के पास ही रहती है ।

श्री विट्टल राव : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये ऊंचे वास्तु भाड़ा-दर इस विचार से दिये जाते हैं कि हवाई कम्पनियों की सहायता की जाये ?

श्री राज बहादुर : जी, नहीं । क्यों कि हम प्रथम श्रेणी की डाक, अर्थात् पत्र और कारड आदि को अधिमान देते हैं, और इस प्रकार से हवाई कम्पनियों को भी लाभ पहुंच जाता है ।

श्री विट्टल राव : क्या ये ऊंचे भाड़े हवाई यातायात निगम बन जाने के बाद भी चलते रहेंगे ?

श्री राज बहादुर : जी हां । तुलनात्मक ऊंचे दरों के लिये दो कारण हैं । प्रथम तो हम प्रथम श्रेणी की डाक की ढुलाई को अधिमान देना चाहते हैं, दूसरे डाक की रकम और वजन निश्चित नहीं है, यह दिन प्रति दिन बदलता रहता है । उन को इस डाक के लिये आवश्यक स्थान देने की बात को विचार में रखना पड़ता है ।

श्री जयपाल सिंह : क्या खराब हो जाने वाली वस्तुओं को वस्तु भाड़ा दर के मामले में अधिमान दिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : खराब हो जाने वाली वस्तुयें प्रथम तथा दूसरी श्रेणी की डाकों की सूची में नहीं रखी जाती ।

श्री दाभी : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि यदि पोस्ट कार्ड जहाज़ की अपेक्षा रेलवे द्वारा ले जायें जायं तो, यह प्रति पोस्ट कारड खर्च कम कर देंगे ?

श्री राज बहादुर : निस्सन्देह, रेलवे वस्तु भाड़ा से हवाई वस्तु भाड़ा ऊंचा है ।

श्री जयपाल सिंह : मैं केवल यही पूछना चाहता था कि क्या खराब हो जाने वाली वस्तुओं को अधिमान दिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : [खराब होने वाली वस्तुयें साधारण वस्तु भाड़ा की सूची में आती हैं और उन्हें इसी प्रकार से ले जाया जाता है ।

श्री जयपाल सिंह : क्या उन को अधिमान मिलता है अथवा नहीं ? मेरा यही प्रश्न है ।

श्री राज बहादुर : क्यों कि वे मेल नहीं, अतः उन का कोई अधिमान प्राप्त नहीं ।

डाक तथा तार विभाग में भरती

*१२७१. **श्री नानादास :** क्या **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पद्धति, जिस के द्वारा डाक व तार विभाग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का चुनाव तथा भरती की जाती है ?

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिये चुनाव समितियां या चुनाव-आयोग हैं ? और

(ग) क्या सरकार डाक और तार विभाग के लिये लोक-सेवा आयोग बनाने का विचार रखती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भरती और तरक्की स्पार्द्धिक-परीक्षा परीक्षा या योग्यता-परीक्षा द्वारा अथवा ज्येष्ठता और उपयुक्तता या चुनाव द्वारा होती है, जैसा कि सदन की मेज़ पर रखे हुए विवरण में स्पष्ट है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४६**]

(ख) कई श्रेणियों में तरक्की के लिये विभागीय उन्नति समितियां हैं ।

श्री नाना दास : मैं पूछना चाहता हूं कि लोक-सेवा आयोग की अनुपस्थिति में व्यक्तियों के चुनाव में सम्बन्धी का पक्षपात, पासदारी,

तथा घूस आदि को निकालने के लिये किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है ?

श्री राज बहादुर : अयोग्य कर्मचारी लोक-सेवा आयोग द्वारा नहीं चुने जाते ।

श्री जांगड़े : क्या मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात आई है कि ऐसी पोस्ट्स के लिये जितनी सीटें हरिजनों के लिये सुरक्षित रखी जाती हैं उन के सम्बन्ध में अधिकारियों ने यह बतलाया है कि वे सीटें फिल-अप हो गई हैं, लेकिन बाद में पता लगाया तो यह पता चला कि फिल-अप नहीं हो पाई हैं ?

श्री राज बहादुर : जितनी संख्या में आवश्यक क्वालीफिकेशनस के हरिजन उम्मीदवार चाहियें वे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसी लिये उन की संख्या जितनी उन के रिज़र्वेशन के अनुसार होनी चाहिये उस से कम रहती है और यह बात ऐडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है ।

श्री वैलायुधन : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऊपर वर्णित ग्रेडों में होड़-पद्धति को दूर कर दिया है और क्या उन्हों ने इस के स्थान पर सीधी भरती को प्रारम्भ कर दिया है ?

श्री राज बहादुर : यह तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की तमाम सेवाओं या ग्रेडों में नहीं । यह केवल क्लर्की और तत्सम्बन्धी श्रेणियों के बारे में है, जिस के चुनाव के लिये हम भिन्न पद्धति का विचार कर रहे हैं ?

श्री नानादास : मैं पूछना चाहता हूं कि इन सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के काफी व्यक्तियों की नियुक्ति में वर्तमान पद्धति कैसे सहायता करती है ?

श्री राज बहादुर : एक नवीन मार्ग निकाला गया है, जिस के द्वारा हर क्लर्क की आसामियों आदि की भर्ती के लिये परीक्षा की पद्धति को निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं और यह संयोग से इस विचार से रखा गया है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के अपनी रिज़र्वेशन के अनुसार जितने भी व्यक्ति मिलें, उन सब को लगा लिया जाय ।

श्री दाभी : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तीसरी और चौथी श्रेणी के व्यक्तियों को इस प्रकार से भर्ती किया जाता है कि जिस प्रदेश में उन को काम करना पड़ता है, वे वहां उन को उस प्रदेश की भाषा भी सीखने की आवश्यकता न पड़े ।

श्री राज बहादुर : यह बहुत विस्तृत प्रश्न है क्योंकि इन श्रेणियों में विभिन्न प्रकार की आसामियां हैं, और विभिन्न आसामियों के लिये भरती के तरीके भी भिन्न भिन्न हैं ।

श्री नानादास : मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास व्यक्तियों के चुनाव में हुए पक्षपात और घूस आदि की शिकायतें नहीं पहुंची हैं ?

श्री राज बहादुर : यह बहुत साधारण प्रश्न है । यदि कोई विशेष शिकायत है, वह मुझे सूचित की जा सकती है ।

श्री नानादास : सरकार वर्तमान पद्धति से कहां तक सन्तुष्ट है ?

श्री राज बहादुर: हम इससे संतुष्ट हैं अन्यथा हम इसे ना रखते ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या इस विभाग में स्त्रियां हैं ?

श्री राज बहादुर : स्त्री अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई विभेद नहीं है ।

श्री नानादास : क्या मैं पूछ सकता हूं कि प्रति वर्ष लगभग कितनी संख्या में व्यक्ति भरती किये जाते हैं ?

श्री राज बहादुर : संख्या बतला सकना कठिन है । यह प्रति वर्ष बदलता रहता है ।

** ** **

**अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से निकाल दिया गया—सं० व० वि० संपादक

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नों की सूची समाप्त हो चुकी। मैं उन सदस्यों के, जो पहले अनुपस्थित थे, उत्तर न दिये गये प्रश्नों की ओर ध्यान दिलाऊंगा। क्या श्री पी० टी० चाको यहीं हैं ? मैं देखता हूं कि वह अभी तक यहां नहीं हैं ?

श्री विट्टल राव : क्या मैं उन के स्थान पर वही प्रश्न पेश कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री सहमत हों, तो मैं उन्हें आज्ञा दूंगा।

श्री वी० वी० गिरि : मुझे कोई उजर नहीं है।

समानान्तर व्यापार-संघ

*१२५७. **श्री पी० टी० चाको** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या समानान्तर और प्रतिरोधी व्यापार-संघ प्रायः सभी मुख्य उद्योगों और औद्योगिक केन्द्रों में कार्य कर रहे हैं ?

(ख) क्या उसी औद्योगिक व्यवसाय में समानान्तर व्यापार-संघों का अस्तित्व व्यापार संघों को प्रभाव रहित बना देता है ? और

(ग) सरकार, इस बुराई को दूर करने के लिये यदि कोई, तो क्या, कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी, हां। कई मुख्य उद्योगों और कुछ औद्योगिक केन्द्रों में दो या अधिक व्यापार-संघ कार्य करते हैं।

(ख) आदर्श प्रबन्ध होने के लिये एक उद्योग में एक ही व्यापार संघ होना चाहिये। और निश्चय ही एक ही उद्योग में समानान्तर व्यापार संघों का अस्तित्व व्यापार-संघों को निर्बल बना देता है और परिणामतः उन को प्रभावरहित कर देता है। फिर भी कई बार एक ही औद्योगिक व्यवसाय में समानान्तर व्यापार-संघों का अस्तित्व होता है परन्तु केवल नाम मात्र का, और योग्य व्यापार-संघ-नियमों पर कार्य करने वाले शक्ति शाली व्यापार संघ की प्रभावशीलता पर अधिक असर नहीं डालती।

(ग) जबकि सरकार अवांछनीय प्रतिरोध को व्यापार-संघों में से निकालने वाली लहर का स्वागत करना चाहती है, तो भी यह ऐसा मामला है कि वह इस में हस्तक्षेप नहीं कर सकती : यह कर्मकरों के लिये है कि वे एक ही उद्योग में एक से अधिक व्यापार संघ में शामिल होने से इन्कार करते हुए स्वयंमेव व्यापार संघों की उत्पत्ति को निरुत्साहित करें।

श्री विट्टल राव : क्या सरकार को पता है कि कई औद्योगिक व्यवसायों में नियोजक स्वयं प्रतिरोधी व्यापार संघों को इस उद्देश्य से कि दूसरे संघों वाले कर्मकरों की एकता को तोड़ा जाय, शुरु करवाते हैं।

श्री वी० वी० गिरि : यह संभवनीय है।

श्री नम्बियार : क्या यह ठीक है कि सरकार उचित प्रतिनिधित्व वाले वैद्य व्यापार संघों को स्वीकार करने से इन्कार कर देती है जब कि वह अशक्त व्यापार संघों को स्वीकार करती है और इस प्रकार प्रतिरोध को आज्ञा देती है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे इस का पता नहीं है।

श्री निम्बियार : दक्षिणी भारत में एक विशेष संघ के सम्बन्ध में .....

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह अकेला ही मामला है तो वे यह माननीय मंत्री को बतला सकते हैं।

श्री नम्बियार : जी नहीं, मैं जानना चाहता हूं .....

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में दलीलें नहीं चाहियें। माननीय सदस्य अनुपूरक

प्रश्नों के द्वारा जानकारी लेने के लिये प्राधिकारी हैं--उन तत्वों के बारे में जिन का उन को ज्ञान नहीं है । यहां एक विशेष मामला माननीय मंत्री के ज्ञान में है यह उन के लिये खुला है कि वे माननीय मंत्री को प्रतिकार के उद्देश्य के लिये, उस की जानकारी दें । यही तो जानकारी के लिए अनुपूरक और कार्य के लिये सुझाव देने में अन्तर है ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार जनतन्त्रात्मक तरीकों को अपनाने के लिये तैयार है जहां कि प्रतिरोधी व्यापार संघों में विभेद है, और उन संघों को स्वीकार करने के लिये जो कि सब से अधिक सर्व प्रिय समर्थन रखते हैं ।

श्री वी० वी० गिरि : सरकार सदा ही सब बातों में जनतंत्रात्मक दृष्टि रखती है ।

श्री पुन्नूस : जी, नहीं । मेरा प्रश्न था कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : उन का प्रश्न अनिश्चित था । मैं किसी अन्य सदस्य को उन के अनुपूरक रखने के लिये आह्वान दूंगा ।

श्री नानादास : क्या सरकार को विश्वास है कि व्यापार-संघों में कोई भी संघ कर्मकरों की भलाई के विरुद्ध कार्य नहीं करती ?

श्री वी० वी० गिरि : यह संभव हो सकता है कि कई व्यापार-संघ कर्मकरों की भलाई के लिये कार्य नहीं करते ।

श्री सारंगधर दास : क्या कभी सरकार ने प्रयत्न किया है कि किसी औद्योगिक व्यवसाय में गुप्त शलाका लेने की पद्धति को भी अपनाया, जहां कि एक से अधिक व्यापार संघ हों, एसा जानने के लिये कि उन में से कौन सा सर्वाधिक लोक प्रिय है ?

श्री वी०वी० गिरि : मैं ने इस प्रश्न का उत्तर बजट-वाद-विवाद में दे दिया है ।

श्री के० के० बसु: क्या सरकार विशेष व्यक्तियों अथवा संघटना की श्रेणी से मिले हुए व्यापार संघों को स्वीकार करना चाहती है ?

श्री वी० वी० गिरि: मैं ऐसा नहीं समझता ।

श्री ए० एम० टामस : समस्त भारत के आधार पर संगठित व्यापार-संघ कौन से हैं, जिन्हें श्रम मंत्रालय ने नीति तथा दूसरे मामलों के बारे में परामर्श के उद्देश्य से स्वीकार किया हुआ है ?

श्री वी० वी० गिरि : दी आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस,

दी इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस,

दी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस,

और हिन्द मजदूर सभा ।

श्री जयपाल सिंह : क्या यह तथ्य है अथवा नहीं, कि इस्पात उद्योग में, विशेषकर जमशैदपुर में, कुछ संघ दूसरों की अपेक्षा अपने नियोजकों से अधिक सहूलियतें प्राप्त करते हैं ।

श्री वी० वी० गिरि : मुझे इस के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या सरकार किसी व्यापार संघ को श्रम-क्षेत्र में कार्य करने से रोक सकती है ? मैं यह पूछना चाहता हूं, क्योंकि कुछ विरोधी दल के सदस्यों ने सरकार के कार्य की कुछ संघों को स्वीकार करने के बारे मे निन्दा की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह साधारण चर्चा नहीं है । यह प्रश्न किसी और व्यक्ति के नाम था, और मैं ने इसे किसी और व्यक्ति को पेश करने की आज्ञा दे दी थी । और मैं ने इस प्रकार सदा ही बहुत से अनुपूरकों की भी आज्ञा दी है ।

अब यहां दो अल्प-सूचना-प्रश्न हैं, जिन्हें सदन में रखा जायेगा ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

बेलारी जिले में गाड़ियों का निरोध

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि क्या रेलें जो बेलारी ज़िले से गुजरती हैं, स्थानीय लोगों द्वारा रोक ली जाती हैं, और घण्टों तक आन्ध्रा राज्य में बेलारी बन्दरगाह के सम्मिलित किये जाने की प्रतिक्रिया के कारण ठहराई जाती हैं ?

(ख) यदि ऐसा है, तो कितनी गाड़ियां और कितने स्टेशनों पर ऐसी घटनायें अब तक घट चुकी हैं ?

(ग) क्या किसी रेलवे की सम्पत्ति भी नष्ट कर दी गई है ?

(घ) उस क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये रेलवे विभाग ने क्या कार्यवाही की है ? और

(ङ) कब से इस प्रकार की प्रदर्शिनियां गाड़ियों को ठहरा रही हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इस कारण से गाड़ियों के निरोध के बहुत से मामले हो चुके हैं ।

(ख) जानकारी सदन की मेज पर रख दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४७]**

(ग) कुछ गाड़ियों की छतों के नुकसान के, और ऊपर वर्णित मार्ग में बाधा डालने के अतिरिक्त कोटर स्टेशन पर २८-३-५३ को इन्क्वायरर भी तोड़े गये थे । इस नुकसान की लागत अभी पता नहीं ।

(घ) सामयिक और उचित कार्य के लिये असैनिक और पुलिस अधिकारियों का प्रभावपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किया गया है । गति-निरोध भी चालू की गई है । दक्षिणी रेलवे को भी लाइन की गश्त में शीघ्रता करने के लिये तुरन्त ही विचार करने की हिदायतें दे दी गई हैं ।

(ङ) २६ मार्च से ले कर २९ मार्च तक और दोबारा तीसरी और चौथी अप्रैल १९५३ ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : २८वीं मार्च के पद (३) का निर्देश करते हुए, इस प्रकार लिखा गया है

> "नंबर २९८ मिक्सड गाड़ी रायचुर सेगूटी को जाती हुई एक गिरोह द्वारा कुपगल और अडोनी के बीच रोक दी गई थी, जिन की संख्या ५००० के लगभग थी, जिस की प्रतिक्रिया, ५ नंबर मेल पर हुई, जो अडोनी के स्थान पर ८८ मिनट तक रोकी रही ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ? वह उत्तर पढ़ रहे हैं ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : इस पद के सम्बन्ध में मेरा प्रश्न है कि क्या स्टेशनों को अथवा गाड़ी को अथवा उस तिथि के किसी यात्री को कोई हानि हुई ?

श्री अलगेशन : मेरे पास इस से अधिक जानकारी नहीं । विवरण में सारी आवश्यक जानकारी दी जा चुकी है ?

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि कर्नाटक की ओर जाने वाली, और न केवल वही जो बेलारी ज़िले में से जाती है, इसी प्रकार रोक ली गई थी और घंटों तक सारा संचार बिगड़ गया था, विशेषकर ३.४.५३ को, जब कि संयुक्त कर्नाटक प्रान्त के लिये बेलारी ज़िले की मांग के हेतु से बलारी दिवस मनाया जा रहा था ?

श्री अलगेशन : तमाम प्राप्य जानकारी विवरण में दी हुई है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या सरकार को पता है कि बेलारी की जनता को

कुछ वैध मांग का अनादर करने के कारण ही यह सारी आपत्ति खड़ी हुई ?

श्री अलगेशन : मैं नहीं समझता कि यह वैध मांगों पर जोर देन का तरीका है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय उपमंत्री से राजनीति सम्बन्धी प्रश्न नहीं पुछे जा सकते यदि भाषा सम्बन्धी विभाग के कारण विशेष विवरण की वजह से उन्हों ने कानून को अपने हाथों में लिया। मैं ने इस प्रश्न की आज्ञा केवल माननीय सदस्य को रेल सम्पत्ति की हानि की रकम का पता करने के लिये दी थी, और न कि उस उद्देश्य के लिये कि उन की भावनाओं को उत्तजित किया जाय जो कि इस निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह तथ्य नहीं है .....

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था, व्यवस्था । मैं इस अवसर को बेलारी सम्बन्धी निर्णय को बदलने अथवा बिगाड़ने की कोशिश के हेतु में लगाना नहीं चाहता ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को चुप रखने के लिये क्या कार्य किया है?

श्री अलगेशन : यह कानून और व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है । बहुत सी घटनायें हुई और मुझे आशा है कि सदन उन को अपराधी स्वीकार करने में मुझ से सहमत होगा ।

गया नवादह रेलवे लाइन पर रेलों का टकराओ

२. **श्री एस० एन० दास** : क्या रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सच है कि पहली अप्रैल १९५३ को वजीर गंज और तिलाया के बीच गया नवादह लाइन पर २८२ डाउन और २८१ अप माल गाड़ियों के बीच सीधी टक्कर हुई, जिस के परिणामस्वरूप कई व्यक्ति मरे और दूसरों को गम्भीर चोटें लगीं ?

(ख) यदि ऐसा है, तो किन परिस्थितियों के कारण यह टक्कर हुई ?

(ग) इस दुर्घटना में कुल मरे हुए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या ?

(घ) रेलवे की अनुमानित हानि ?

(ङ) अभी तक पता लगाया गया दुर्घटना का कारण ?

(च) और दुर्घटना स्थान पर आराम पहुंचाने वाली गाड़ी कब पहुंची ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ग) जी हां । पहली अप्रैल १९५३ को लगभग १-४० पर २८१ अप और २८२ डाउन माल गाड़ियां मील नम्बर ३१९।५ पर वज़ीर गंज और तिलाया स्टेशनों के बीच आपस में टकरा गइं। ५ व्यक्ति मर गये, एक बुरी तरह घायल हुआ, और २० को हल्के ज़ख्म हुए । वे सब रेलवे के कर्मचारी हैं ।

(ख) तथा (ङ) उच्च अफसरों की सम्मिलित जांच पड़ताल २।३-४-१९५३ को हुई थी । दुर्घटना का कारण यह था कि उन में से एक गाड़ी बिना 'लाइन साफ' मिलने के ही चल दी थी ।

(घ) लगभग ४३,८६८ रुपये ।

(च) गया से आराम पहुंचाने वाली गाड़ी डाक्टरी के साथ घटना स्थल पर ६-३० पर पहुंच गई थी ।

श्री एस० एन० दास: मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी किसी व्यक्ति को बन्दी किया गया है और उस पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है ?

श्री अलगेशन: दोनों स्टेशनों के सहायक-स्टेशन-मास्टरों को गिरफ्तार किया गया था,

और दोनों को ज़मानत पर छोड़ दिया गया है ।

श्री एस० एन० दास : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त भी कोई व्यक्ति उस गाड़ी से सफर कर रहे थे ?

श्री अलगेशन : सब घायल व्यक्ति रेलवे कर्मचारी हैं ।

श्री एस० एन० दास : मैं पूछना चाहता हूं क्या रिलीफ गाड़ी के तीन घंटे देरी से आने का क्या कारण है, जब कि गया और घटना स्थल का अन्तर केवल २२ मील का है ?

श्री अलगेशन : ज्यों ही सूचना मिली, रिलीफ गाड़ी सब सामान के साथ भेज दी गई ।

श्री रघुनाथ सिंह : वहां की टैलीग्राफ लाइन वर्किंग आर्डर में थी या नहीं ?

श्री अलगेशन : मुझे इस का पता नहीं, यह वर्किंग आर्डर में होनी चाहिये ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या लाइन साफ दिया गया था या नहीं और क्या बिना 'लाइन साफ' दिये गाड़ी चल दी थी ?

श्री अलगेशन : गलत लाइन साफ दिया गया था ।

सरदार ए० एस० सहगल : सरकार गलत लाइन साफ दिये जाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री एस० एन० दास : मैं पूछ सकता हूं कि क्या वज़ीर गंज और तिलाया स्टेशन आपस में एक दूसरे से तार द्वारा मिले हुए हैं अथवा नहीं ? (इंटर लोकड हैं या नहीं ?)

श्री अलगेशन : जी हां ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वज़ीखापटम बन्दरगाह

९९४. **श्री नानादास** : (क) क्या **रेल** मंत्री वज़ीखापटम बन्दरगाह की प्रति दिन की ढुवाई और उतराई की टनों में शक्ति कितनी है यह बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) वर्षानुसार १९४७ से १९५२ तक वज़ीखापटम बन्दरगाह पर कुल वार्षिक उतरे हुए और चढ़े हुए माल की टन संख्या क्या थी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री : (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है, और जब तय्यार हो जायेगी, तो सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

आन्धरा में चीनी की फैक्टरियां

९९५. **श्री नाना दास** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आन्धरा राज्य में कितनी चीनी की फैक्टरियां हैं और उन की पीड़ने की शक्ति क्या है ?

(ख) सन १९४७ से प्रस्तावित आन्धरा राज्य में चीनी की कुल कितनी उपज हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख) प्रस्तावित आन्धरा राज्य में १९४७-४८ से चीनी की उपज, चीनी की फैक्टरियों के नाम और उन की पीड़ने की शक्ति बतलाने वाला विवरण सदन की मेज़ पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४८]**

प्रकाश-गृह

९९६. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या **यातायात** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास हाई कोर्ट बिल्डिंग पर मिट्टी

के तेल द्वारा जलाये जाते प्रकाश-गृह के स्थान पर बिजली लगा दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आवश्यक रूपभेद पर कितनी लागत लगी ?

(ग) क्या सरकार भारत में दूसरे प्रकाश गृहों पर भी बिजली लगाने का प्रस्ताव रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग ११,००० रुपये ।

(ग) जी हां, जहां कहीं संभव है ।

हवाई मार्ग (यात्री)

९९७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२ में भारत के अन्तरीय तथा अन्तर्देशीय हवाई मार्गों द्वारा कितने यात्री ले जाये गये ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : ४१०,१९६ और २४,२८४ यात्री भारत की देशीय और अन्तर्देशीय हवाई मार्गों पर क्रमशः ले जाये गये ।

अखिल भारतीय तपेदिक सम्मेलन

९९८. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि २ फरवरी १९५३ से मैसूर में हुए अखिल भारतीय तपेदिक सम्मेलन के क्या परिणाम और सिफारिशें हैं ?

(ख) उन के बी० सी० जी० टीका योजना के बारे में क्या प्रस्ताव हैं और तपेदिक का इलाज करने के लिये नई औषधि सम्बन्धी क्या विचार हैं ?

(ग) क्या भारत की फर्मों या फार्मेसियों में से कोई नये स्तर की आवश्यक औषधि तैयार कर सकने में समर्थ है ?

(घ) यदि हां, तो एसी कौन सी फर्में या फार्मेसियां हैं, और वे प्रति वर्ष किस मात्रा में तैयार कर सकती हैं ?

(ङ) क्या औषधि को सरकारी स्तर पर तैयार करने के कुछ प्रयत्न किये गये हैं ?.

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) तथा (ख) सदन की मेज़ पर इस का विवरण रखा हुआ है [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४९**]

(ग) तथा (घ) जहां तक सरकार को पता है निम्न फर्में आइसोनिकोटिनिक एसड हाइड्रोजाइड की उपज के लिय योजनायें रखती हैं और लगभग वार्षिक मात्रा, जो वह पैदा करेंगी, निम्न प्रकार से है ।

(१) मैसर्ज़ सारा भाई कैमिकल्ज़ बड़ौदा —३,००० पौंड

(२) मैसर्ज़ अलवर्ट डैविड लिमिटेड, कलकत्ता—३,३०० पौण्ड

(३) मैसर्ज़ बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मेस्युटिकल वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता —१५०० पौण्ड

(ङ) सरकार के पास इस औषधि को बनाने का कोई विचार नहीं ।

फर्टीलाइजर (उर्वरक उपज)

९९९. **श्री बी० के० दास**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२ में देश में पैदा हुए उर्वरक की कुल संख्या और उन की कीमत ?

(ख) १९५२ में आयात उर्वरक की कुल संख्या और उन की लागत ?

(ग) १९५२ में विभिन्न राज्यों को उन की देन ?

(घ) १९५३ के लिय खुलने वाला भण्डार ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) इस समय देश में केवल दो कैमिकल फर्टीलाइजर तैयार किये गये हैं, अर्थात् सुपर फौसफेट और अमोनियम सल्फेट, १९५२ में देश में इन फर्टीलाइज़र की २,६६,९३२ टन की पैदावार हुई थी, जिस का मूल्य ८.७१ करोड़ रुपये अनुमान किया जाता है।

(ख) २,३४,९५२ टन, लागत ७·०४ करोड़ रुपये।

(ग) १९५२ में राज्य सरकारों और दूसरे हितों को अमोनिया सल्फेट और सुपर सल्फेट की बांट का विवरण सदन की मेज़ पर रखा हुआ है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५०**]

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास अमोनिया सल्फेट का खुलने वाला भंडार १.१.५३ को १३,००० टन का था। और राज्य सरकारों के पास १,८०,००० टन का था। क्योंकि सुपर फौसफ़ेट अभी तक सरकार द्वारा बांटा नहीं गया है, तो इस फर्टीलाइज़र का खुलने वाला भंडार अज्ञात ही है।

रेलवे लाइनों के साथ गड़बड़ी

१०००. **श्री बाल कृष्णा :** क्या रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि कितने स्थानों पर १९५१-५२ में दक्षिणी रेलवे पर फिश-प्लेट उतार दी गई थी ?

(ख) क्या यह ठीक है कि सरकार ने घोषणा की थी, कि अपराधियों की सूचना देने वालों को २५० रुपये का पारितोषक दिया जायेगा ?

(ग) यदि ऐसा है, तो कितने मामले दर्ज किये गये थे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जानकारी एकत्रित की जा रही है, और जब भी तैयार हो गई, पेश की जायगी।

अज्ञात पत्र कार्यालय

१००१. **श्री बहादुर सिंह**
सरदार हुक्म सिंह : } (क) क्या **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में ऐसे पार्सलों की कुल कितनी संख्या थी, जो भेजने वालों और जिन को भेजे गये, उन के पते के मद्धम हो जाने, और पढ़ सकने योग्य न रहने के कारण, न लिये गये और अज्ञात-पत्र कार्यालय में आ गये।

(ख) क्या इन में कोई अज्ञात-पत्र कार्यालय में खोले जाने के पश्चात् भेजने वालों अथवा जिन को भेजने थे, उन को भेजे गये ?

(ग) बाकी पत्रों का क्या हुआ ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मद्धम और पढ़ने योग्य न रहने वाले पते वाले पार्सलों का अलग रजिस्टर नहीं रखा जाता। १९५२ में अज्ञात-पत्र कार्यालय में १२,८९० पार्सल आये थे।

(ख) जी, हां। १०,२४९।

(ग) उन को 'मृत' माना गया और विभाग के अधिनियमों के अनुसार व्यवहार किया गया। अर्थात् उन को डिपोज़िट में रखा गया था नीलामी द्वारा बेचा गया था विषय सूची की प्रकृति के अनुसार नष्ट कर दिया गया।

टैलीफून एक्सचेंज

१००२. **श्री बहादुर सिंह**
सरदार हुक्म सिंह : } क्या **संचरण** मंत्री ३१ जनवरी १९५३ को भारत स्थित टैलीफून एक्सचेंजों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : वैयक्तिक तथा लाइसेंस वाले टैलीफून पद्धति को मिला कर ७६२.

न्यूनतम मजूरी अधिनियम (पत्थर उद्योग)

१००३. श्री जजवाड़े : (क) क्या **श्रम** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या न्यूनतम मजूरी अधिनियम पत्थर उद्योग पर लागू है अथवा नहीं ?

(ख) क्या यह बिहार के सांथल परगनों की वाकूर और राजमहल-पाषाण-खनियों में प्रचलित है ?

(ग) क्या इस पाषाण-खनि के मजदूर भी दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की तरह प्रसूति और अधिलाभांश लाभों को प्राप्त करते हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : १९४८ का न्यूनतम मजूरी अधिनियम केवल पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर कूटने की सेवा पर ही लागू है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां, निर्देश प्रसूति लाभ तथा अधिलाभांश जो कि खान-प्रसूति-लाभ अधिनियम १९४१ में दिया है, के सम्बन्ध में समझा जाता है ।

आयात खाद्य धान्य (बरबादी)

१००४. डा० अमीन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ दिसम्बर १९५२ को सरकार के भंडार में पड़े हुए आयात खाद्य-धान्य की कुल मात्रा और उस की कीमत ?

(ख) १९५२ में बन्दरगाह में रखने के बुरे प्रबन्ध अथवा अन्य किसी कारण से खराब हुए और बरबाद हुए खाद्य धान्य की कुल मात्रा और उस की कीमत ?

(ग) उसी समय में भारत में लाते समय बरबाद हुये धान्य की मात्रा और कीमत ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) केन्द्रीय सरकार के भंडार में ३१ दिसम्बर, १९५२ को आयात खाद्य धान्य की कुल मात्रा ४,१३,६७० टन, और उस की लागत २,४०२ लाख रुपये है ।

(ख) १९५२ में बन्दरगाहों पर घट जाने और सूख जाने के कारण भण्डार में खाद्य धान्य की हानि की कुल मात्रा ४४८ टन और उस की कीमत २.५ लाख रुपये के लग भग है । ये आंकड़े जनवरी से अक्तूबर १९५२ तक के हैं ।

(ग) १९५२ में रेल द्वारा लाये जाने में खोये गये या खराब हो गये धान्य की अनुमानित मात्रा २,४९१ टन थी जिस की कीमत ९.८ लाख रुपये है । सड़क द्वारा लाये गये अनाज की हानि सम्बन्धी जानकारी प्राप्त नहीं है ।

दरभंगा जिले के लिये तार घर

१००५. श्री एल० एन० मिश्र : क्या **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने दरभंगा जिले के कुछ भागों में तार घर खोलने के लिये सिफारिशें की हैं; और

(ख) यदि ऐसा है, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी क्या प्रतिक्रिया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) बिहार सरकार ने लोकूहा और लूखी के स्थानों पर तारघर खोलने के लिये शर्तें पूछी थीं, और ये उन को भेज दी गई हैं ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ

१००६. श्री बी० एन० राव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ में केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ द्वारा राज्यशः कृषि योग्य बनाई गई भूमि कितनी है ?

(ख) क्या सरकार १९५३-५४ में केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ के ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ाने का विचार करती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ द्वारा कृषि योग्य बनाया गया कुल क्षेत्र ३० मार्च, १९५३ तक १९५२-५३ वर्ष में निम्न था :—

राज्य का नाम	कानज़ द्वारा जंगली भरपूर पृथ्वी का क्षेत्र	पृथ्वी का क्षेत्र (जिस पर हल चलाया गया)
उत्तर प्रदेश	१६,१०० एकड़	*८,२५४ एकड़
मध्य प्रदेश	२३,९०० "	
मध्य भारत	४०,५०० "	
भूपाल	१३,५०० "	
जोड़	९४,७०० एकड़	८,२५४ एकड़

(*के साथ, ७,६२१ एकड़ पृथ्वी के पेड़ काट दिये गये हैं, और १३,२६४ एकड़ हल चलाने के लिये तैयार है)

(ख) जी हां। ३० बड़े ट्रेक्टरों के लिये आज्ञा दे दी गई है, और उन की १९५३-५४ में प्राप्त होने की संभावना है।

बिहार के लिये रेलवे लाइनें

१००७. श्री झूलन सिन्हा : क्या **रेल** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार में नई रेलवे लाइनों की बनावट के लिय या उखड़ी पुखड़ी लाइनों को ठीक करने के लिये या वर्तमान लाइनों के विकास के लिये अनुमोदित तथा लम्बित कार्यान्वित योजनायें ; और

(ख) उन पर प्रत्याशित कुल लागत ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) माधेपुरा मुरली गंज की बनावट तथा भागलपुर-मन्दर हिल का पुनर्स्थापन—ये दोनों ही अनुमोदित कार्य हैं और दोनों ही उन्नति पर हैं। बिहार में और किसी नई लाइन या उखड़ी लाइन का पुनर्स्थापन अथवा वर्तमान लाइनों के विकास के लिये कोई योजनायें अभी तक अनुमोदित नहीं हुई हैं।

(ख) कुल प्रत्याशित लागत ३२.१५ लाख रुपये की मुरली गंज की बनावट पर और ६१ लाख रुपये भागलपुर-मन्दर हिल के पुनर्स्थापन पर लगेगी।

रेलवे कर्मचारियों के लिये आवास

१००८. श्री झूलन सिन्हा : क्या रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३ के अन्त तक भारत में रेलवे कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टरों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है ?

(ख) इस समय कुल कितने क्वार्टर लभ्य हैं ?

(ग) १९५३-५४ में कुल कितनी मात्रा में तैयार हो जाने की संभावना है ?

(घ) बाकी के लिये क्या प्रस्तावित उपबन्ध है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : चार उठाये गये बिन्दुओं पर सम्पूर्ण जानकारी शीघ्रता से प्राप्त नहीं हो सकती पर इकट्ठी की जा रही है। जब भी यह लभ्य होगी, तो सदन की मेज़ पर और माननीय सदस्य के सामने रखी जायगी।

"ड्रेप्रिम—मलेरिया-विरोधी औषधि

१००९. **सरदार ए० ऐस० सहगल** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान मलेरिया-विरोधी औषधि ड्रेप्रिम के साथ किये गये परीक्षण की ओर खेंचा गया है, जिस के न्यूयार्क-रिसर्च लैबोरेट्री में आशातीत परिणाम निकले हैं ?

(ख) क्या यह ठीक है कि उसी औषधि ड्रेप्रिम से मलेरिया-ग्रस्त अफरीका का गांव बीमारी से पूर्णतया मुक्त हो गया है ?

(ग) क्या सरकार औषधि का परीक्षण करने और इस का प्रयोग उन स्थानों में, जहां मलेरिया अपने पूर्ण बल पर है, विशेषकर मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ परगने में, करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) जी, हां ।

(ख) वैज्ञानिक पत्रों में रिपोर्ट आई है कि बैल्जियम कांगों में, औषधि निरीक्षण में २०९ मनुष्य, स्त्रियां और बच्चे पूरे एक मलेरिया ऋतु में सपरैसिव प्रोफीलेक्टिव ड्रेप्रिम के इलाज पर रखे गये थे । प्रति व्यस्क को साप्ताहिक एक बार २५ मिलीग्राम खुराक दी जाती थी । ऋतु की समाप्ति पर उस क्षेत्र में बीमारी पड़ौस के गांओं की अपेक्षा तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ही कम थी ।

(ख) १९५१ में औषधि के प्रकृष्ट लैबोरेट्री परीक्षण और १९५२ में क्षेत्र परीक्षण के विस्तृत कार्यक्रम किये गये हैं और अब भी कई राज्यों में उन्नति पर हैं ।

भारतीय मलेरिया संस्था द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को औषधि की परीक्षाण करने के लिये कहा गया है और यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है । छत्तीसगढ़ भूखण्ड में परीक्षण करने के लिये भारतीय मलेरिया संस्था ने विशेष प्रार्थना नहीं की और स्थान का चुनना मध्य प्रदेश सरकार की मरज़ी पर छोड़ दिया है ।

सुपारी की उपज

१०१०. **श्री एच० एस० प्रसाद** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में अन्तरीय मांग को पूरा करने के लिय सुपारी की पर्याप्त उपज होती है ?

(ख) यदि नहीं, तो किन देशों से सुपारी भारत में मंगवाई जाती है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री किदवई): (क) जी, नहीं ।

(ख) भारत में सुपारी लंका, स्ट्रेट सैटलमेंटस, मलाया और पूर्वी पाकिस्तान से आयात की जाती है ।

कृषि विकास के लिये बिहार को सहायता

१०११. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१-५२ और १९५२-५३ में कृषि विकास के लिये बिहार राज्य को केन्द्रीय सहायता की कुल रकम ?

(ख) किन पदों पर वर्षानुसार रकम खर्च की गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख) सदन की मेज़ पर विवरण रखा हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५१]**

उड़ीसा में चावल का समाहार

१०१२. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में उड़ीसा राज्य में समाहार किये चावल की मात्रा और

इस की गत वर्ष से कैसे तुलना की जा सकती है ?

(ख) समाहार करने की क्या पद्धति है ?

(ग) और समाहार की दर ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) चालू वर्ष में १५-३-५३ तक चावल का समाहार, नवीनतम तिथि तक जिस तक आंकड़े प्राप्य हैं, १,३७,६५० टन का है, जब कि गत वर्ष में १९५२ में ६७,९४९ टन था ।

(ख) उड़ीसा में चावल का समाहार उड़ीसा सरकार द्वारा नियुक्त किये गये समाहार ऐजेंटों द्वारा एकाधिकार पद्धति पर किया जाता है ।

(ग) १९५३ में चावल समाहार का मूल्य १५-९-० रुपये, १२-४-० रुपये, और ११-६-६ रुपये प्रति मन क्रमशः अति सुन्दर, सुन्दर और घटिया चावल के लिये हैं ।

मनीपुर में दुर्लभता की अवस्था

१०१३. श्री एल० जे० सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या ९०३ के भाग (ग), जो दिसम्बर १९५२ को मनीपुर और राज्य में दुर्लभता की अवस्था सम्बन्धी पूछा गया था के उत्तर की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या आसाम सरकार के भण्डार से आयात किये १,४०२ मन चावल, जो राज्य के माल के गोदाम में बिना बिके रखे थे, अब बेच दिये गये हैं ?

(ख) यदि एसा है, तो किस भाव पर ?

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार उन्हें कम भाव पर बेचने का विचार रखती है और इन चावलों को बेचने में देरी का क्या कारण है ?

(घ) क्या यह ठीक है कि चावल घट रहा है ?

(ङ) इस वर्णित आसामी चावल के न बेचने अथवा कम भाव पर बेचने के परिणाम स्वरूप हानि की अनुमानित रकम ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (घ) आसाम से आयात किये गये चावल म से केवल ५२० मन बिन बिका पड़ा है । बाकी मात्रा का चावल सहायता रूप-भाव १५ रुपये प्रति मन के हिसाब से बेच दिया गया था । बचा हुआ ५२० मन मानव उपयोग के लिये बिल्कुल ठीक है और आसाम को वापिस भेजा जा रहा है ।

(ङ) इस का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जोड़क (टेबुलेटरज़)

१०१४. डा० अमीन : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल १,५०,००० रुपये के उपबन्ध में से प्रत्येक राज्य को पार्ट क राज्यों के आवश्यक आंकड़ों के लिये यांत्रिक सहायता की दृष्टि से क्या दिया जायगा ?

(ख) आवश्यक आंकड़ों की जोड़क के लिये यांत्रिक सहायता को चलाने की क्या लागत है ?

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने जांच की है कि क्या पार्ट क राज्यों ने स्वास्थ्य के अतिरिक्त आंकड़ों को कायम रखने के लिये कोई यांत्रिक जोड़क प्रयोग में लाये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) वर्ष भर में प्रत्येक भाग (क) राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार धनराशि को बांटने का प्रश्न विचारेगी ।

(ख) प्रत्येक राज्य जीवन सम्बन्धी आंकड़े की दृष्टि से कार्य की मात्रा के अनसार यांत्रिक जोड़क चलाने की लागत निर्भर रहेगी ।

(ग) जहां तक भारत सरकार को पता है राज्य सरकारों के पास स्वास्थ्य के अतिरिक्त आंकड़ों के लिये यांत्रिक जोड़क नहीं है ।

नजफ गढ़ में स्वास्थ्य केन्द्र

१०१५. डा० अमीन : क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा कृपा करेंगे :

(क) नज़फ़गढ़ में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाने की लागत, भूमि, भवन, फरनीचर, सज्जा में से प्रत्येक के अलग अलग आंकड़े देते हुए ।

(ख) माध्यमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जो इस केन्द्र से सम्बन्धित है, उन का स्थान और प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों से उन की लग भग दूरी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : अब तक नजफगढ़ प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र को बनवाने के लिये कुल अब तक जो लागत लगी है वह लगभग ४,५१,८२० रुपये है, जिस का विस्तार नीचे दिया जाता है ।

	रुपये	आ०	पा०
भूमि	२६,९०६		
भवन (जिस में,कर्मचारियों के आवास सहायक भवन और सेवायें आदि)	४,०६,४३९		
फरनीचर	७,४५२	१४	६
सज्जा (जिस में औषधियां अदि भी सम्मिलित हैं)	११,०२१	१४	९
कुल जोड़	४,५१,८१९	१३	३

(ख) प्रारम्भिक स्वास्थ्य-केन्द्र नजफगढ़ में निम्न कर्मचारीवृन्द लगाये गये हैं ।

(१) स्वास्थ्य के लिये मैडिकल आफिसर (पुरुष)	१
(२) स्वास्थ्य के लिये मैडिकल आफिसर (स्त्री)	१
(३) पब्लिक हैल्थ नरसें	४
(४) सैनीटरी इन्सपैक्टर	१
(५) मिडवाइव्ज़	४
(६) प्रशिक्षित दाइयां	४
(७) छोटा अमला (चपरासी, वार्ड बुआइज़, आया, चौकीदार आदि)	१४
कुल	२९

कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और आक्समिकता-निधि पर आवर्त खर्च १९५२-५३ के लिये ६८,३०० रुपये हैं ।

(ग) प्रारम्भिक स्वास्थ्य-केन्द्र नजफगढ़ के साथ सम्बन्धित निम्न दो माध्यमिक स्वास्थ्य-केन्द्र हैं ।

(१) प्रसूति और बालहित केन्द्र, चावला

(२) प्रसूति और बाल-हित केन्द्र, मिटराओं

पहले नम्बर वाला चार मील की दूरी पर और दूसरे नम्बर वाला प्रारम्भिक स्वास्थ्य-केन्द्र से ढाई मील की दूरी पर है ।

बम्बई उप नगर के डाकघरों का ग्रेटर बम्बई में विलीन करना

१०१६. श्री गिडवानी : क्या संचरण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कब बम्बई उपनगर के डाकघर जो कि ग्रेटर बम्बई में अप्रैल १९५० को विलीन किये गये थे बम्बई नगर में, हस्तांतरित किये जायेंगे और बम्बई डिलिवरी डिस्ट्रक्ट के नम्बर दिये जायगे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : बन्दरा, खार, सान्ता क्रूज़, जुहु, और विले पारले, बम्बई उपनगर के डाक घर पहले से ही बम्बई नगर की सीमा में हैं। दूसरों के हस्तांतरण करने का प्रश्न अभी परीक्षाधीन है।

लोह-कार्य और कोयले की खानों में श्रम

१०१७. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** :

(क) क्या **श्रम** मंत्री लोह-कार्य और कोयले की खानों में श्रमिक की न्यूनतम मजूरी बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या उन को साप्ताहिक छुट्टियों के लिये भी मजूरी दी जाती है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उन के लिये इस का प्रस्ताव रखती है ?

(घ) तत्सम्बन्धी नियमों के अनुसार दिये गये पूरे अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित स्थायी मज़दूर कितने वर्ष की सेवा के बाद बनाया जाता है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (घ)। जानकारी इकट्ठी की जा रही है, और निश्चित समय में सदन की मेज़ पर रखी जायेगी।

गन्ने का उत्पादन व्यय

१०१८. **श्री वी० मिस्सर** : **खाद्य तथा कृषि मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन व्यय प्रति एकड़ कितना कितना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : गन्ने सम्बन्धी उपज की लागत की जानकारी करना अभी तक संभव नहीं हो सका है। और इस कारण से चाही गई जानकारी उचित और आयोजित सूचना पर आधारित लभ्य नहीं है।

चावल का उत्पादन व्यय

१०१९. **श्री वी० मिस्सर** : **खाद्य तथा कृषि मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापानी प्रणाली द्वारा चावल उगाने में प्रति एकड़ उत्पादन व्यय कितना पड़ता है और भारतीय प्रणाली द्वारा कितना; और

(ख) जापानी प्रणाली द्वारा चावल उगाने पर चावल के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख) चावल की उपज की लागत की वर्तमान पद्धति में, बड़े पैमाने पर जांच का काम अभी तक नहीं उठाया गया है। तो भी भारत सरकार तथा भारतीय-कृषि अनुसन्धान परिषद्, आर्थिक पहलू की बाबत जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं, और कृषि के जापानी ढंग के दूसरे पहलुओं पर भी प्रयोग अनुसन्धानिक-क्षेत्रों और किसानों के खेतों दोनों पर ही किये जायेंगे। ऐसा पता लगा है कि कृषि के जापानी ढंग के नीचे प्रयोग आने वाले तरीके, जिन की सिफारिश की गई है, गठित तरीके हैं और उन के परिणाम से पैदावार बढ़ेगी। इस तरीके के साथ धान के खेतों ने ६,००० पौण्ड से अधिक पैदावार दी है। वास्तविक वृद्धि कितनी होगी यह बहुत सी बातों पर निर्भर है, जैसे प्रयोग में आने वाले उर्वरक की मात्रा और भूमि पर किस उत्तमता से बीज बोया जाता है, बीज की क्यारी को खाद कैसे उत्तम ढंग से दी जाती है और कैसे उत्तम बीज चुने जाते हैं, आदि आदि।

यू० पी० में डाकघर

१०२०. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९४८-४९, १९४९-५०,

और १९५१-५२ में जिला अनुसार उत्तर प्रदेश में खोले गये डाकघरों की संख्या ?

(ख) यू० पी० में प्रत्येक डाक घर की जनसंख्या ?

(ग) यू० पी० के पर्वतीय क्षेत्र में, जहां मोटर चलने योग्य सड़कें नहीं, विशेष क्या डाक के प्रबन्ध किये गये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जानकारी देने वाला विवरण साथ लगाया हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५२]**

(ख) ११,०९३, १९५१-५२;

(ग) किसी विशेष क्षेत्र के लिये विशेष प्रबन्ध नहीं किये गये । परन्तु एक डाक घर खोला गया था यदि यह २००० अथवा अधिक जनसंख्या के मापदंड को संतुष्ट करता हो और निश्चित हानि की सीमा में ही हो । और यदि निश्चित मात्रा की हानि से अधिक की हानि को पूरा करने के लिये सहायता प्राप्त होती है, तो एक डाकघर खोला गया था ।

विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न डाक घर खोले गये निम्न प्रकार से हैं ।

	देहरादून	गढ़वाल (पौरी)	टिहरी गढ़वाल (देहराइन)	अलमोड़ा	नैनीताल
१९४७-४८	१	६	शून्य	१	शून्य
१९४८-४९	९	२८	६	४५	१३
१९४९-५०	६	१७	शून्य	११	६
१९५०-५१	३	१	शून्य	२	शून्य
१९५१-५२	६	१	३	शून्य	१
जोड़	२५	५३	९	५९	२०

टिहरी गढ़वाल के विषय में, विशेष अवस्थाओं में ६ डाकघर खाले गये थे यह १९४८-४९ में तत्समय के राज्य के अधिकारियों की सहमति पर खोले गये थे, कि उन के अपने कर्मचारियों की डाक भेजेंगे। जब राज्य उत्तर प्रदेश में विलीन हुई, तो प्रदेश सरकार ने वापिस होने वाले अंशदान देने के लिये सहमत हो गई, ताकि डाकघर हानि की निश्चित परिधि में रहते हुए कार्य कर सकें।

अबरक की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी

१०२१. पंडित एम० बी० भार्गव : श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों द्वारा अबरक की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये क्या न्यूनतम मजूरी निश्चित की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : अजमेर, बिहार, मद्रास, और राजस्थान की सरकारों ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम १९४८ के अनुसार न्यूनतम मजूरी की दर निश्चित की है । उन द्वारा निश्चित की गई न्यूनतम मजूरी सदन की मेज पर रखे गये विवरण में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५३]**

चलते डाकघर

१०२२. श्री एन० प्रभाकर : क्या संचरण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन शहरों के नाम जहां चलते डाकघरों की व्यवस्था है और ऐसे डाकघरों की संख्या; और

(ख) दिल्ली में चलते डाकघरों की संख्या कितनी है और वे किन रास्तों पर चलते हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) —

शहर	चलते डाकघरों की संख्या
देहली	१
कानपुर	२
मद्रास	१
नागपुर	१

(ख) एक, चलते डाकघर देहली का रास्ता सदन की मेज़ पर रखे विवरण में दिया हुआ है ।

विवरण

चलते डाकघर देहली द्वारा अपनाया गया मार्ग

गेरेज	प्र० १५-४०	
देहली जी० पी० ओ०	आ० १५-४२ प्र० १५-५०	
लाजपतराय मार्केट के सामने	आ० १५-५५ प्र० १६-४५	
देहली आर० एम० एस०	आ० १६-५० प्र० १६-५५	देहली आर० एम० के लिये डाक उतारने के लिये
लाहौरी गेट	आ० १७-०५ प्र० १८-१०	डाक के थैलेको बन्द करने के लिये देहली हवाई बी० के लिये और उसी को शीडयूल नं० १५ की डाक गाड़ी के लिये (साप्ताहिक दिन) शी० नं० ७ (रविवार) और शी० नं० १३ (पी० ओ० छुट्टियां) १८-४५ पर इस स्थान पर ।
कैनोट प्लेस (स्नो वाइट के सामने)	आ० १८-२० प्र० १८-५०	
गोल मार्केट	आ० १९-०० प्र० १९-३०	
नार्थ ऐवेन्यु	आ० १९-३५ प्र० १९-५०	
साउथ एवेन्यू	आ० १९-५५ प्र० २०-१०	
कौन्स्टीट्यूशन हाउस	आ० २०-२० प्र० २०-४०	
आई० आर० सी० एक्ज़ीबिशन	आ० २०-५० प्र० २१-०५	
देहली एयर (वैस्ट)	आ० २१-१५ प्र० २१-२५	देहली एयर और देहली आर० एम० एस० से डाकों को निकालने के लिये ।
देहली जी० पी० ओ०	आ० २१-५० प्र० २१-५५	हिसाब का झोला रखने और बाकी वस्तुओं को कार्यालय की तिजौरी में रखने के लिये
गैरेज	आ० २१-५७	

अंक ३ शुक्रवार
संख्या १० १० अप्रैल, १९५३

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

——:०:——

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

समिति निर्वाचन—भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति [पृष्ठ भाग ३१६३]
उद्योग (विकास तथा विनियम) संशोधन विधेयक, १९५२—
वापस लिया गया [पृष्ठ भाग ३१६३—३१६४]
उद्योग (विकास तथा विनियम) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित [पृष्ठ भाग ३१६४—३१६५]
संकल्प—
सरकारी कर्मचारियों की धन सम्पत्ति की जांच के सम्बन्ध
में—अस्वीकृत [पृष्ठ भाग ३१६५—३१९९]
राष्ट्रीय सुरक्षा-परित्राण नियमावली के सम्बन्ध में—चर्चा
असमाप्त [पृष्ठ भाग ३१९९—३२२६]
पूर्वी पाकिस्तान शरणार्थी महिला सदन, चुनार [पृष्ठ भाग ३२२६—३२४३]
राज्य परिषद से संदेश [पृष्ठ भाग ३२४३—३२४४]
अनुसूचित क्षेत्र (विधियों का विलय) विधेयक तथा त्रावनकोर-
कोचीन उच्च-न्यायालय (संशोधन) विधेयक—राज्य परिषद
द्वारा पारित रूप में—सदन पटल पर रख दिये गये [पृष्ठ भाग ३२४४]

443 PSD (मूल्य ६ आने)

लोक सभा

शुक्रवार, १० अप्रैल १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और ऊत्तर

(देखिये भाग १)

३-२ म० प०

समिति निर्वाचन

भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे सदन को सूचना देनी है कि निम्नलिखित दो सदस्य विधिवत् भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति के सदस्य चुन लिए गए हैं:

(१) श्री कमल कृष्ण दास

(२) श्री पी० टी० चाको

उद्योग (विकास तथा विनियम) संशोधन विधेयक, १९५२

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी), मैं उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, १९५१ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं।

यह विधेयक गत सत्र में पुरःस्थापित किया गया था। इसका कार्य क्षेत्र सीमित था तथा उस समय भी मंत्रालय कुछ ऐसे संशोधनों पर विचार कर रहा था जिनका क्षेत्र विस्तृत था। पूर्वानुमान यह लगाया गया था कि १९५२ का संशोधन विधेयक गत सत्र में पास किया जायगा परन्तु ऐसा करना सम्भव नहीं हुआ। चूंकि और भी संशोधन प्रस्तुत किये जाने थे, इसलिए सदन को दो संशोधन विधेयकों पर विचार करना पड़ता। इस असुविधा का निवारण करने के लिए १९५२ के संशोधन विधेयक को वापस लेने तथा इस के स्थान पर एक नया संशोधन विधेयक पुरःस्थापित करने का निश्चय किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रस्ताव सदन के सामने रखा तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया।

उद्योग (विकास तथा विनियम) संशोधन विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी) मैं उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, १९५१ संशोधन करने वाले विधेयक को

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रस्ताव सदन के सामने रखा तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया।

श्री टी० टी० कृष्णामाचारी: मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सरकारी कर्मचारियों की धन-सम्पत्ति की जांच के संबंध में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय: सदन अब २८ नवम्बर १९५२ को सरदार हुक्म सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गए उस प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगा जिसका आशय यह है कि सरकार को सरकारी अधिकारियों की धनसम्पत्ति की जांच करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

सदन ने पहले ही इस संकल्प पर तीन घंटे १७ मिनट चर्चा की है तथा १५ सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है। मैं समझता हूं कि पांच बजे तक इस पर चर्चा करना काफी होगा। मैं माननीय मंत्री को ४-३० म० प० उत्तर देने के लिए कहूंगा।

सरदार हुक्म सिंह (कपूर्थला—भटिंडा): श्रीमान, क्या मंत्री जी के भाषण के बाद मुझ उत्तर देने का मौका मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय: अवश्य, फिर सवा पांच बजे इस संकल्प पर चर्चा समाप्त होगी।

श्री गिडवानी (थाना): सभी लोग इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि आज देशभर में भ्रष्टाचार का दौर दौरा है। वास्तविक अपराधियों को पकड़ने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। यदि किसी भ्रष्टाचार के मामले में किसी बड़े अधिकारी का हाथ हो, तो लोगों के आन्दोलन के बावजूद कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती है। इस सम्बन्ध में मैं संसद के भूतपूर्व सदस्य श्री शिब्बन लाल सक्सेना का वह पत्र पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जो कि उन्होंने एक ऐसे ही मामले के सम्बन्ध में तत्कालीन कांग्रेस प्रधान को लिखा था। इस में लिखा गया है कि भारत सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के प्रमुख ने ई० पी० रेलवे के कुछ उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था तथा उन्होंने नियमों के अन्तर्गत उन अधिकारियों के तत्कालिक स्थानान्तरण की मांग की थी, जिससे कि आरोपों की अच्छी तरह जांच की जा सके। पत्र में लिखा गया है कि रेलवे बोर्ड के स्टाफ मेम्बर श्री नीलकंठन का यह कर्तव्य था कि वह श्री वाम्बा वाला की प्रार्थना मान जाता तथा नियमों के अन्तर्गत उन कर्मचारियों को तबदील कर देता। परन्तु उस ने न केवल उन्हें तबदील करने से इन्कार किया बल्कि वह उन की ओर से उनकी नेकनामी की वकालत भी करने लगा....."

उपाध्यक्ष महोदय: आप किस पुस्तक से पढ़ रहे हैं?

श्री गिडवानी: मैं संसद के भूतपूर्व सदस्य श्री शिब्बन लाल सक्सेना द्वारा लिखी गई पुस्तक 'मैंने कांग्रेस से स्तीफा क्यों दिया" से पढ़ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही कई बार कह चुका हूं कि जब किसी विशिष्ट अधिकारी के आचार की ओर निर्देश करना

अपेक्षित हो, तो उसकी सूचना पहले ही सम्बन्धित मंत्री को दी जानी चाहिये, ताकि वह उत्तर देने के लिए तैयार रहे। हो सकता है कि सूचना गलत हो। अधिकारियों को अपनी सफाई पेश करने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं है। मेरे कहने का यह आशय नहीं कि ऐसी बातों का ज़िक्र करने के लिए अध्यक्ष अथवा सरकार से अनुमति ले लेनी चाहिये। उन्हें केवल इस बात की ओर संकेत करना चाहिये।

डा० एस० पी० मुकर्जी (कलकत्ता दक्षिण—पूर्व): श्रीमान, इस तरह से हमें अपने भाषण का एक प्रारूप मंत्रियों को देना पड़ेगा क्योंकि जब तक कि सम्बन्धित मंत्री यह जान लें कि आरोप क्या है वह उनका जवाब नहीं दे सकते हैं। इस तरह से वाद विवाद का उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा। माननीय सदस्य एक प्रकाशित लेख्य की ओर निर्देश कर रहे हैं जिसकी कि स्पष्टतः सरकार को भी जानकारी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: जहां तक सरकारी प्रकाशनों का सम्बन्ध है, मंत्रियों से इनकी जानकारी की आशा को जा सकती है। अन्य प्रकाशनों की ओर निर्देश किया जा सकता है। परन्तु जब किसी महत्वपूर्ण अधिकारी के विरुद्ध सदन में आरोप लगाया जाये तो सम्बन्धित मंत्री को इस बारे में अपना स्पष्टीकरण देने का कैसे मौका मिलेगा?

डा० एस० पी० मुकर्जी: श्रीमान्, मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने विनिर्णय के गाम्भीर्य को समझ लीजिये। मान लीजिये कि सरकार की ओर से किसी राजनीतिक दल पर आरोप लगाए जायें तथा उनका यहां उत्तर देने के लिए कोई न हो। प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री प्रायः ऐसा करते रहे हैं। ऐसी दशा में हमें भी उन आरोपों का एक संक्षिप्त विवरण पहले ही दिया जाये जिससे कि हम उनका उत्तर दे सकें। श्रीमान मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। हमारे लिए काम करना असम्भव बन जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे अपने विनिर्णय पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं। परन्तु इस मासले में सरकारी अफसरों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच काफी अन्तर है।

श्री एच० एन० मुकर्जी: (कलकत्ता उत्तर—पश्चिम): श्रीमान, जब भ्रष्टाचार के मामलों की ओर निर्देश किया जाता है तो इसका उद्देश्य यह नहीं होता है कि सरकार तत्काल ही इन मामलों की जांच करे। हमारा प्रयोजन यह होता है कि सरकार का ध्यान एक विशेष परिस्थिति की ओर दिलाया जाये। जब तक कि हम इन आरोपों अथवा समाचारों का ज़िक्र न करें, तब तक हम वस्तुस्थिति को सही रूप में प्रकट नहीं कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को गलतफहमी हुई है। मैं ऐसे मामलों की ओर निर्देश करने पर आपत्ति नहीं उठा रहा हूं। मेरे कहने का मतलब केवल यह है कि जब कि किसी व्यक्ति विशेष पर कोई आरोप लगाए जायें तो दूसरे पक्ष को भी अपनी तरफ से सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिये।

डा० एस० पी० मुकर्जी: तो इसका मतलब यह है कि नामों का ज़िक्र न करके केवल 'क' 'ख' 'ग' कहा जाय?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्री गिडवानी : श्री नीलकान्तन तथा श्री बम्बावाला के मध्य हुए पत्र-व्यवहार म से जो इस पुस्तक में प्रकाशित हुआ है, मैं कुछ पत्र पढ़ रहा हूं :

१९ अक्तूबर, १९४९ को लिखा गया पत्र :

विषय—ई० पी० रेलवे दिल्ली के नेत्र-परीक्षक स्टाफ के विरुद्ध मामला

प्रिय श्री नीलकान्तन,

रेलवे सेक्शनल आफिसर, श्री आर० बी० नंगिया द्वारा भ्रष्टाचार तथा कदाचार के आरोपों की जांच की गई थी।

अब तक संकलित की गई साक्ष्य का प्रधान कार्यालय से सम्बन्ध मेरे प्रोसीक्यूटिंग इंस्पेक्टर द्वारा सूक्ष्म-परीक्षण कर लिया गया है। उसी ने रिपोर्ट भी तैयार की है जिसकी एक प्रतिलिपि साथ में रक्खी जा रही है।

अब तक प्राप्त परिणाम यह आवश्यक बना देते हैं कि डी० एम० ओ० डा० एच० एस० छच्छी, डा० अमर नाथ तथा डा० टी० एस० अरोड़ा और नेत्र-चिकित्सक इंदर सिंह के खिलाफ औपचारिक रूप से मामला रजिस्टर कर लिया जाए ।

बे रोक टोक जांच तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि इन पदाधिकारियों का तबादला न कर दिया जाए क्योंकि अधिकतर गवाह रेलवे-कर्मचारी हैं जो सच और मुक्त बात कहने म अपने आपको सुरक्षित नहीं पायेंगे जब तक कि ये पदाधिकारी वहां मौजूद हैं ।

इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि दिल्ली से श्री छच्छी को हटाने के लिए जल्द कार्यवाही की जाए ।

आपका शुभचिन्तक,

(ह०) टी० ए० बम्बावाला

श्री वी० नीलकान्तन का उत्तर इस प्रकार है :

प्रिय श्री बम्बावाला,

आपके १८-१०-४९ के पत्र पर रेलवे बोर्ड ने आपकी प्रार्थना पर ध्यानपूर्वक विचार किया है । किन्तु बोर्ड को जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर वह प्रस्तावित कार्यवाही करने का औचित्य नहीं समझता क्योंकि उसके विचार में इससे सेवा की नैतिकता को गम्भीर हानि पहुंचेगी । डा० छच्छी एक ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके अब तक के पूरे सेवा काल की रिपोर्टें बहुत अच्छी रही है और बोर्ड के सम्मुख जो तथ्य उपस्थित किये गए हैं उनके आधार पर वह ऐसा कोई कारण नहीं देखता कि उनका दिल्ली से तबादला कर दिया जाए । अतएव रेलवे बोर्ड को अत्यन्त खेद है कि वह आपकी प्रार्थना पर अमल करने में असमर्थ है ।

बोर्ड का विचार है कि यह अधिक श्रेयस्कर प्रतीत होता है कि इस मामले पर विभागीय जांच की जाए और उसे प्रसन्नता होगी यदि एस० पी० ई० वह साक्ष्य उसके पास उक्त कार्यवाही के लिए भेज देगा जो कि उसने संकलित किया है ।

मैं यह और कहना चाहूंगा कि यदि ऊपर व्यक्त किया गया बोर्ड का दृष्टिकोण आपको स्वीकार्य हो तो रेल मंत्री की इच्छा है कि तब तक कोई आदेश जारी न किए जाएं जब तक कि मामले को गृह तथा रेल मंत्री को परिचालित न किया

जाए। रेल मंत्री ने यह निर्णय दिया है कि एसे मामलों में जो रेल के पुराने पदाधिकारियों के हितों को प्रभावित करते हैं और जिनमें रेलवे बोर्ड तथा आपके दृष्टिकोण में भेद हो, तब तक कोई आदेश न जारी किए जाने चाहिए जब तक कि रेल मंत्री से मशविरा न कर लिया गया हो।

आपका शुभचिंतक,

(ह०) वी० नीलकान्तन

श्री गिडवानी : यदि आपको कोई आपत्ति है। तो मैं नामों का जिक्र नहीं करूंगा। आप देखते हैं कि यह कहा गया है कि यदि अभियुक्त का तबादला कर दिया गया तो सेवा पर नैतिक कुप्रभाव पड़ेगा। यह भी धमकी दी गई है कि यदि आई० जी० पी० ने इस मामले को छोड़ा नहीं तो रेल मंत्री के हस्तक्षेप से इसे ठीक करा दिया जाएगा।

श्री बम्बाबाला को इस पत्र पर बड़ा खेद हुआ। यहां हम देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च भ्रष्टाचार-निवारक पदाधिकारी भ्रष्टाचार-निवारण में अपनी असमर्थता प्रकट करता है। आगे उसकी शिकायत है कि स्टाफ मेम्बर ने न केवल इन पदाधिकारियों का तबादला करने से इनकार कर दिया वरन् अन्य अनेक ऐसे मामले हैं जिनमें तबादले की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई है। इस प्रकार बी० एन० रेलवे के मुख्य इंजीनियर के जिनके भाई के विरुद्ध मामला चल रहा था, तबादले की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई। एक पदाधिकारी का, जिस पर रेलवे को कई लाख रुपए का धोखा देने का अपराध था, तबादला करने के बजाय उसे छटटी दे दी गई। इसी प्रकार के मामले के लिए मुख्य इंजीनियर ने अपने अन्तर्गत कार्य करने वाले एक इंजीनियर का तबादला करने से इन्कार कर दिया। क्या इस प्रकार का व्यक्ति जो इन मामलों को इस तरह दबा देता है एक मिनट के लिए भी रेलवे बोर्ड का सदस्य रहना चाहिए? क्या इस प्रकार के व्यक्ति के रहते हुए रेलवेज़ में से भ्रष्टाचार दूर किया जा सकता है? क्या रेलवे बोर्ड के सदस्य का यह व्यवहार और रेलवे मंत्री का प्राप्त उन्हें समर्थन क्या स्वयं भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग में नैतिक पतन नहीं लाएगा।

इस प्रकार देश में भ्रष्टाचार-विरोधी सर्वोच्च पदाधिकारी को तथा छानबीन करने वाले अन्य पदाधिकारी को अपने पद से त्याग-पत्र देने को मजबूर होना पड़ा।

अब मैं आयात और निर्यात कार्यालयों का जिक्र करूंगा। सब जानते हैं कि इन विभागों में भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कोई भी काम वहां बिना घूस दिए नहीं हो सकता। १७ जनवरी, १९५३ को विशेष न्यायाधीश श्री बाखले ने एक क्लर्क श्री एम० के० पी० नायर के विरुद्ध घूस के मामले में निर्णय देते हुए कहा था कि "हम देखते हैं कि निर्यात व आयात नियंत्रण कार्यालय में मुक्त रूप से घूस मांगी जा रही है।" इसी कार्यालय के विषय में एक और मामला है जिसके विषय में मैंने एक प्रश्न भी पूछा था किन्तु उस की कोई अनुमति नहीं दी गई।

'टाइम्स आफ इंडिया' में १९-१-'५३ को पूर्ववर्ती असिस्टेंट डिप्टी चीफ कंट्रोलर आफ एक्सपोर्टस श्री जी० आर० मानकीकर का बम्बई में निर्यात सम्बन्धी घोटाले के सम्बन्ध में जो मामला चल रहा है उसमें उनके विरुद्ध जो १४ आरोप

[श्री गिडवानी]

हैं उनमें से एक यह भी है कि सीमा शुल्क विभाग को बेईमानी से फुसला कर प्रतिबन्धित माल के निर्यात की अनुमति दी तथा कुछ जाली कागजात तैयार करने में योग दिया ।

निर्यात विभाग के अन्य कर्मचारी जी० के० काले, बी० एम० सप्रे, पी० एम० एस० मेहता, एस० जी० कामत आदि पर भी अन्य कथित अपराधों के लिए मुकद्दमा चल रहा है ।

देश में होने वाले भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में से प्रकाश में बहुत कम मामले आते हैं उन पर भी काफ़ी नियंत्रण नहीं रक्खा जाता तथा ऊंचे पदाधिकारी हस्तक्षेप करते और अपनी जिम्मेवारी को अपने नीचे काम करने वालों पर टालते हैं। मैं ये सब बातें इसलिये कह रहा हूं कि हमें इन चीजों के प्रति उदासीन रुख नहीं अपनाना चाहिए । यदि हम इस प्रकार की बातें करेंगे कि 'वास्तव में घोटाले की बात कहना ही घोटाला है' तो इससे नए-नए घोटाले रोज बढ़ते ही जायेंगे । इस लिए कांग्रेस सरकार को समय रहते अब भी जाग जाना चाहिए । यदि ऐसे मामलों में वह विरोधी दल का सहयोग चाहेगी तो उसे पूर्ण सहयोग दिया जाएगा । किन्तु दुर्भाग्य से उसका सारा दृष्टिकोण एक संतोषप्रद भावना का है जो कि इंगित करता है कि कोई गड़बड़ी नहीं है, सब चीज ठीक चल रही है । तर्क दिया जाता है कि अन्य देशों में इससे भी खराब स्थिति है । मैंने कभी इस प्रकार का तर्क नहीं सुना । अगर किसी घर में पांच चोरियां हों और मेरे में दो, तो मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे यहां दशा बहुत अच्छी है और इसमें सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कोई तर्क नहीं है । मैं फिर इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि ये इक्का-दुक्का मामले नहीं हैं । चारों ओर इस तरह का भ्रष्टाचार प्रचलित है और उसमें से कुछ ही मामले प्रकाश में आ पाते हैं । इसलिए सरदार हुक्म सिंह ने जो प्रस्ताव रक्खा है सरकार को उसे स्वीकृत करना चाहिए। भ्रष्टाचार को उन्मूलित करने का समय आ चुका है और यदि अभी से इसे दूर नहीं किया गया तो बहुत देर हो चुकेगी । इसलिए मुझे आशा है कि मेरे कांग्रेसी मित्र इसका समर्थन करेंगे और सरकार इसे स्वीकृत कर लेगी ।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पी): मैं विचाराधीन संकल्प के सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि :

"This House is of further opinion that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person who volunteers to give information regarding receipt of illegal gratification or bribery by any government servant shall be proceeded against under any such law."

["इस सदन का यह भी मत है कि इस समय लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अवैध परितोषणा या रिश्वत लिये जाने के सम्बन्ध में सूचना देने के लिये उद्यत हो जाता है, इस प्रकार के किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जायगी ।]

एक निश्चित उद्देश्य से मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है । हमारे देश के

शासन में भ्रष्टाचार हमेशा से चला आ रहा है। कांग्रेस सरकार इस भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकी। बहुत से कांग्रेस के सदस्य भी इस बात को मानते हैं। मैं समझता हूं कि अनौपचारिक बातों में स्वयं माननीय मंत्री भी इस बात को मान सकते हैं कि इस काम में उन्हें सफलता नहीं मिली है।

मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए गये हैं। इसके सम्बन्ध में बहुत सी समितियां नियुक्त की गई हैं और बहुत से योग्य व्यक्तियों ने इस प्रश्न पर विचार किया है। किन्तु फिर भी कांग्रेस सरकार के अन्तर्गत भ्रष्टाचार को संतोषजनक रूप से दूर नहीं किया जा सका। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस विषय में किए गये कामों के सम्बन्ध में एक मूल कमी रही है। मैं जानता हूं कि कांग्रेस के ऐसे बहुत से सदस्य हैं जो भ्रष्टाचार की समस्या पर काफी विचार करते हैं। किन्तु मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि भ्रष्टाचार को केवल तभी दूर किया जा सकता है जब इस सम्बन्ध में जनता का उचित सहयोग प्राप्त किया जाय, क्योंकि भ्रष्टाचार को दूर करना जनता के ही हित में होगा। देश के लाखों मज़दूरों, गरीब किसानों और कम वेतन पाने वालों को भ्रष्टाचार दूर कर दिये जाने से लाभ होगा और भ्रष्टाचार के बने रहने से हानि होगी। इसलिए जनता को इस बात का अवसर दिया जाय कि वह यह बता सके कि किस मंत्री, नेता, अधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने उससे रिश्वत ली। यदि एसा कर दिया जाय तो समाज में आदर पाने वाले ऐसे भद्र पुरुषों का वास्तविक रूप सबके सामने आ जायेगा। मुझे ऐसे मामलों का पता है कि धन लोलुप तथा समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों ने भ्रष्टाचार कार्यों में भाग लिया है मैं यह चाहता हूं कि यह घोषित कर दिया जाय कि जिन लोगों को रिश्वत देने के लिए बाध्य किया गया है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायगी अपितु ऐसे लोगों के विरुद्ध की जायगी जिन्होंने भ्रष्टाचार में जान बूझ कर भाग लिया है। बहुत से मामलों में लोग केवल इस कारण रिश्वत देते हैं कि इसके सिवाय उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं होता। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर ले और इसमें जनता का सहयोग प्राप्त करे।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीन में इस समस्या को कैसे हल किया गया। भारत से जो लोग वहां गये और जिन्होंने वहां की दशा देखी है उनका यह कहना है कि वहां भ्रष्टाचार के प्रश्न को बहुत सफलता पूर्वक हल किया गया है। ऐसे कैसे किया जा सका? वहां सरकारी अधिकारियों में फैले हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन चलाया गया और साम्यवादी दल के बड़े बड़े नेताओं को वहां की जनता के सामने खड़ा किया गया और उनसे उनके विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों का उत्तर देने के लिये कहा गया। यदि इसी प्रकार का काम भारत में भी किया जाय तो मुझे विश्वास है कि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। इससे नरम तरीका अपनाने से भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता। भारतीय दण्ड विधान के अनुसार रिश्वत देने वाले को

[श्री पुन्नूस]

भी दण्ड दिया जायगा और गत वर्ष हमने एक कानून बनाया था जिसके अनुसार यह एक हस्तक्षेप्य अपराध है। इससे सामान्य लोग इस मामले में आगे नहीं आयेंगे। अतः मेरा सदन से यह निवेदन है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये इस संशोधन के साथ वह इस संकल्प को स्वीकार कर ले।

श्री खंडेकर (कोल्हापुर व सतारा) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मुझे इस बात का खेद है कि यह संकल्प व्यापक नहीं है और इसमें केवल अधिकारियों का ही उल्लेख है। मैं चाहता हूं कि इसमें विधान मण्डलों के सदस्य, मंत्रिगण तथा सतारूढ़ दल के सदस्य भी सम्मिलित कर लिए जायें। भ्रष्ट मनोवृति के भी विरुद्ध हूं। मान लीजिये कि महाराष्ट्र का एक मंत्री है तो वह यह चाहेगा कि उसके मन्त्रालय में अधिक महाराष्ट्रीय व्यक्ति आ जायें। यह प्रान्तीय भावना है और एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। इसी प्रकार सम्प्रदाय वाद तथा जातिवाद की भावना भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है और हम लोगों में ऐसी भावनायें बहुत हैं।

अब मैं विधान मंडलों के सदस्यों के प्रश्न को लेता हूं। पूना में मैं एक मंत्री से मिलने गया। उनके मकान पर विधान मण्डल के २५ सदस्य उपस्थित थे और ऐसा लगता था जैसे कि दरबार लगा हो मैंने मन्त्री महोदय से पूछा कि 'आप अपना काम कैसे करते हैं?" उन्होंने उत्तर दिया कि मुझ तीन-चार घंटे रोज़ इसी प्रकार बिताने पड़ते हैं,' जब मैंने उन सदस्यों के विषय में पूछा कि वे विधान सभा में अधिक भाग क्यों नहीं लेते, तो मुझे बताया गया कि वे तो ऐसा ही करते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय की इस बात से असहमत हूं कि संसद् सदस्यों को मंत्रियों के पास जाकर उनसे विचार विमर्श करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा कानून हो कि सदस्य मन्त्रियों के पास न जा सके। इन बातों का परिणाम भी भ्रष्टाचार होता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के प्रितिष्ठित व्यक्ति मुझसे पूछा करते हैं "आप तो पण्डित जी से बहुत बार मिले होंगे"। और यदि म उन्हें यह बता दूं कि मैं पण्डित जी से बहुत बार मिला हूं और व्यापारियों से कुछ रुपया बनाना चाहूं तो ऐसा किया जा सकता है। किन्तु जब मैं उन्हें यह बताता हूं कि मैं पण्डित जी से कभी नहीं मिला तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार भी खराब होता है।

कल मेरे मित्र ने मेरी आलोचना क ते हुए कहा था कि मुझे जेल में भेज दिया जाना चाहिये था। मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उनकी बात का उत्तर दूंगा। पिछले चुनाव के दौरान में मैं एक गांव की सभा में भाषण दे रहा था। उसमें मैंने बम्बई सरकार की मद्य निषेध नीति के सम्बन्ध में कुछ कहा था। जब वहां से आकर मैं अपनी कार चलाने लगा तो मुझे बताया गया कि गांव के लोगों ने मेरी बात के प्रशंसा स्वरूप कार में दो बोतलें रख दी हैं। उन्हें खोलने पर मालूम पड़ा कि उनमें शराब थी। इस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जहाँ बुरे कानून होते हैं वहां भ्रष्टाचार इस प्रकार से फैलता है।

मैं समझता हूं कि डाक विभाग, तार विभाग तथा यह संसद् ये तीन ही ऐसे विभाग है जिनमें भ्रष्टाचार नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि संरक्षण (पैट्रेनिज) देना भी एक बहुत बुरा भ्रष्टा-

चार है सत्ता का मद बहुत बुरा होता है जिन व्यक्तियों को सत्ता का मद होता है वे उसका दुरुपयोग करते हैं। और अपने खास आदमियों को संरक्षण देते हैं। हम देखते हैं कि ऐसी ही बातों का यह परिणाम हुआ कि बम्बई के "टाइम्स आफ इण्डिया" तथा पूना के 'सकल' इन दोनों समाचार पत्रों को दण्ड दिया गया। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो लोग ऐसे पदों पर कार्य करते हैं जहां से और लो ो पर अपना प्रभाव डाला जा सकता है, उन्हें बहुत ही सावधानी से कार्य करना चाहिये। यद्यपि अधिकारी मंत्रीगण आदि प्रत्यक्षरूप से भ्रष्टाचार में भाग नहीं लेते किन्तु वे अप्रत्यक्षरूप से ऐसा करते हैं। यह बात राज्य के मन्त्रियों के सम्बन्ध में पूरी तरह से होती है। चरितार्थ अक्सर मन्त्री अपने परिवार वालों के साथ जिलों का दौरा करने निकलते हैं। उनका सारा खर्च जिला अधिकारी भुगतते हैं क्योंकि मन्त्री जी तो अपने पास से कुछ देते नहीं हैं। जब अधिकारियों को मन्त्रियों के स्वागत में रुपये खर्च करने पड़ते हैं तो स्वाभाविक ही है कि वे यह रुपये व्यापारियों तथा अन्य लोगों से किसी न किसी प्रकार वसूल करेंगे। अतएव, इस प्रकार के अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता है।

परमिट के देने में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है यह तो सभी लोग जानते हैं। यदि आप भ्रष्टाचार रोकने में सफल नहीं हो पाते तो कम से कम ऐसा तो करिये कि प्रशासन करने वालों के सामने वह चीजें न आने दें जिससे प्रेरित हो कर वे भ्रष्टाचार में फंसते हैं। उन्हें अरस्तु के "रिपब्लिक" में बताये गए तरीकों पर रखा जाना चाहिये।

निर्वाचनों में अनेक प्रकार का भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लोग धर्म की आड़ लेकर अपने अपने पक्ष में वोट डलवाने का प्रयत्न करते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि भ्रष्टाचार के लिए आप अधिकारियों को ही ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। अधिकारी अलग तो हैं ही नहीं। वे भी समाज का एक भाग हैं। मेरे विचार में, अधिकारी भ्रष्टाचारी इसलिए हैं क्योंकि भारतीय लोग भ्रष्टाचारी हैं। अधिकारियों में भी उतना ही भ्रष्टचार फैला हुआ है जितना कि हम लोगों में। मुझे केवल इतना ही कहना था।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): इन दिनों भ्रष्टाचार की समस्या की ओर जनता का काफी ध्यान गया है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

आज यह कोई भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि स्वराज्य मिलने के पश्चात् जनता सन्तुष्ट है या भ्रष्टाचार कम हो गया है। मेरे विचार में तो उसको अब अनेक रूप दे दिये गए हैं। यहां पर अनेक सदस्यों ने अनेक मंत्रालयों में होने वाले भ्रष्टाचारों का उल्लेख किया है किन्तु खेद इस बात का है कि सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी है। मैं इस सम्बन्ध में, विशेषरूप से, सरकारी अधिकारियों के मामले को सामने रखना चाहता हूं। अधिकारियों में भ्रष्टाचार घटने की बजाय दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। परन्तु सरकार इसे रोकने का कोई प्रयत्न नहीं कर रही है। फीरोज़पुर छावनी के ही मामले को लें लीजिये। पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध रिपोर्ट किए जाने

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं।

अब सवाल यह उठता है कि यह भ्रष्टाचार किस प्रकार बन्द किया जाये। ब्रिटिश शासन में पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के अनेक नियम बनाये थे, विशेषकर, जहां तक उनका अधिकारियों से सम्बन्ध था। मैं यह नहीं कहता कि उस समय भ्रष्टाचार नहीं था। तब भी था किन्तु अब तो वह और भी बढ़ गया है। मेरा निवेदन है कि ज्यों ही किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाये उसे तुरन्त ही मुअत्तल कर दिया जाना चाहिए तथा उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कार्यवाही करने में देर नहीं होनी चाहिये। यद्यपि इस कार्य के लिए सरकार ने विशेष पुलिस स्थापना की व्यवस्था की है, फिर भी मुझे पता लगा है कि स्वयं इस विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। अक्सर ये अधिकारी मुकदमा चलाने में अनुचित रूप से देर करते हैं, साक्ष्य को गायब कर देते हैं, आदि। मैं पूछता हूं कि जब इसी विभाग में, जो कि भ्रष्टाचार रोकने के लिये बनाया गया है, भ्रष्टाचार होता हो तो वे इसकी रोकथाम के बारे में कार्यवाही क्या कर सकते हैं? सरकार को इस सम्बन्ध में कड़ाई से काम लेना चाहिए। मंत्रियों को चाहिए कि वे समस्त विभागों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए तुरन्त ही एक जांच कमेटी नियुक्त कर दें।

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भ्रष्टाकार राजनीति से आरम्भ होता है। मंत्रियों को सावधानी से काम लेना चाहिए। यद्यपि मंत्री स्वयं जान कर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं देते किन्तु कुछ समाज-विरोधी लोग उन्हें चाय पार्टियों आदि में बुला कर उनके विश्वासपात्र बनने का प्रयत्न करते हैं। वे उनके लड़कों या पत्नियों को उपहार आदि देकर मंत्री पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्रीगण इस प्रकार की चेष्टाओं से दूर ही रहें। मेरे विचार में इन सब बातों की देख रेख करने के लिए संसद् की ओर से एक जांच कमेटी नियुक्त की जानी चाहिए।

दिल्ली को ही ले लीजिये। आप देखेंगे कि यहां पर बड़े बड़े मकान या कोठियां उन्हीं ठेकेदारों की हैं जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से ठेका लेते रहे हैं। मैं आपको ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं जिनमें कुछ ही वर्षों के अन्दर कुछ लोग लखपती बन गये हैं। क्या आप बतला सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ है? कोई जादू से तो ऐसा हुआ ही नहीं है।

यदि आप चाहते हैं कि लोग वर्त्तमान सरकार में विश्वास रखें तो आपको प्रशासन में से भ्रष्टाचार को बिल्कुल दूर कर देना होगा। आज आप कहीं चले जाइये लोग यही कहते मिलेंगे कि इस सरकार के ज़माने में बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो सकता है, न्याय तो जैसे रह ही नहीं गया है। इन सब बातों के लिए अधिकतर भ्रष्टाचारी ठेकेदार और भ्रष्टाचारी अधिकारी ज़िम्मेदार हैं। यदि आप चाहते हैं कि जनता आप के साथ सहयोग करे, यदि आप पंच-वर्षीय योजना में उसकी सहायता चाहते हैं तो आप समाचार पत्रों में विज्ञापन और अपीलें छपवाने की बजाय ठोस कार्यवाही करके इस बात का सबूत दीजिए कि आप भ्रष्टाचार को जड़ से नष्ट कर देना

चाहते हैं। जब तक आप ईमानदारी और लगन का परिचय नहीं देते तब तक आप जनता का सहयोग प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं।

सभापति महोदय : श्री अलगू राय शास्त्री तथा श्री नारायणदास इस प्रस्ताव पर बोल चुके हैं। किसी सदस्य को एक प्रस्ताव पर दो बार बोलने की अनुमति देने वाला कोई नियम नहीं है।

प्रो० मैथ्यू (कोट्टयम्) : श्रीमान् हम भी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितने कि मेरे माननीय मित्र हैं। इस के लिए निस्सन्देह कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता है कि इस संकल्प से इस कार्य में किस प्रकार सहायता मिलेगी। यदि एक आयोग प्रत्येक 'उत्तरदायी अधिकारी' की बचत की जांच करने के लिए नियुक्त किया जाये तो प्रश्न उठेगा कि 'उत्तरदायी अधिकारी' कौन है और कौन नहीं। तो क्या समस्त भारत के समस्त अधिकारियों की बचत की जांच की जानी अपेक्षित है। साथ ही पहले कहा गया है कि प्रत्येक मामले की सूचना इस सदन को दी जाये। यदि आयोग केवल १०० मामले ही भेजे तो बिना गवाही या प्रलेखों के यह सदन यह कैसे निश्चय कर सकता है कि यह भ्रष्टाचार के मामले ठीक ही हैं। क्या हम सदन को अदालत बना देना चाहते हैं? संसद् किस प्रकार मामलों का निर्णय कर सकती है? यह बात मेरी समझ में नहीं आई है इस के लिए यदि कोई तरीक़ा है तो मैं इस संकल्प का अवश्य समर्थन करूंगा। परन्तु जैसा सुझाया गया है वह तो काम करने का ठीक तरीका है नहीं। यह तो बहुत ही अव्यवहार्य तरीका है।

पंडित के० सी० शर्मा (मेरठ ज़िला—दक्षिण) : समस्या उतनी सरल नहीं जितनी की संकल्प में दिखाई गई है। सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य सामान्य व्यक्तियों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। जिन कारणों से अन्य व्यक्ति लोभ का शिकार बन जाते हैं प्रायः उन्हीं कारणों से सरकारी कर्मचारी भी लोभ में फंस जाते हैं। अतः सरकारी कर्मचारियों को अन्य जनता से पृथक करना कठिन है।

भ्रष्टाचार एक पुराना रोग है, आज या कल उठ खड़ी हुई चीज़ नहीं है अपनी लाभप्रद स्थिति का लोग सदैव से ही लाभ उठाते आये हैं। भ्रष्टाचार का यह भी कारण है कि कुछ व्यक्ति किसी वर्ण अधर्म या जाति विशेष के कारण अपना एक पृथक राज्य बनाये जाने की मांग करते हैं। यह भी उसी प्रकार का भ्रष्टाचार है जैसा कि कोई सब-इन्सपैक्टर पुलिस थाने के स्थान पर पांच अपराधियों का चालान कर के उस धन से अपनी पुत्री को पाठशाला में पढ़ाता है। विवाह की समस्या को ही देखिये। स्वरूपवान युवकों को सुन्दर कन्यायें नहीं मिल पाती हैं, बदसूरत चरित्रहीन परन्तु धनवान व्यक्ति उन को वर लेते हैं क्या यह उस से बड़ा भ्रष्टाचार नहीं है? क्या वह सब-इन्सपैक्टर इस व्यक्ति से भी बड़ा अपराधी है?

शताब्दियों से इन कठिनाइयों के निवारण के लिए कुछ नहीं किया गया है। आखिर धन जमा करने का प्रयोजन क्या है? अपनी सन्तति में विश्वास का न होना ही इसका कारण है।

मंत्री के मामले को लीजिए। यदि वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता है तो यह देखना मंत्रिमंडल का कार्य है कि वह योग्य है अथवा नहीं। यदि वह आयोग

[प्रो० मैथ्यू]

सिद्ध हो तो उसे निकाल दिया जाये यदि यह किया जाये तो सब-इन्स्पैक्टर भी भ्रष्ट नहीं रहेगा।

अब राज्य कर्मचारियों की बात लीजिये। मैंने संघ लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध में यह पूछा था कि उस में विश्व-विद्यालयों से आये कितने व्यक्ति थे। मुझे एक संख्या बताई गई थी। मैं एक प्रश्न पूछता हूं: जो व्यक्ति कल्पना लोक में विचरते रहते हैं और कल्पना ही में आनन्द प्राप्त करते हैं क्या वह नवयुवकों की, जिन्हें प्रशासन के कठोर शूलों का सामना करना होगा, योग्यता तथा क्षमता की जांच करने के योग्य हैं? आज जैसी कठिन स्थिति में संसार कभी नहीं रहा था। पहले तो एक वर्ग विशेष, जिसे जन्म से ही प्रशासन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाता था, प्रशासन जैसे कठिन कार्य को किया करता था आज वह वर्ग लुप्त हो गया है। सामान्य व्यक्ति क्षेत्र में आ गए हैं, आप को उन्हें कार्य के योग्य बनाना होगा।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण हुए कुछ नवयुवकों से मैंने यह पूछा था कि वह सरकारी नौकरी में क्यों आ रहे थे। उन का उत्तर था "जहां वेतन अधिक मिलता है," अर्थात् सरकारी नौकरी बनिये की दुकान है। सरकारी नौकरी कोई लाभ कमाने का स्थान नहीं है, यदि बात नहीं है तो जनता को ऐसा प्रशासन कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। यदि यह सिद्धांत मान लिया जाता है तो यह भी मानना पड़ेगा कि उक्त अधिकारी को सुन्दर पत्नी मिलनी चाहिए तथा उन्मुक्त जीवन बिताने में सहयोग देने वाले मित्र होने चाहियें; और फिर यह बातें बढ़ती ही चली जायेंगी। जब तक अधिक वेतन तथा न्यूनतम जिम्मेवारी की बात रहेगी ऐसा होता ही रहेगा।

मैं इस संकल्प के सिद्धांत को स्वीकार करता हूं, परन्तु तो भी मुझे यह स्वीकार नहीं है। इससे तो यह सदन अदालत का कमरा बन जायगा। सदन का कार्य विधान बनाना है मामलों पर निर्णय देना नहीं है। यह तो न्यायपालिका का कार्य है। संविधान ने तीन विभिन्न विभाग बनाये हैं, विधान सभा विधान बनाने के लिए; कार्यपालिका न्याय प्रशासन के लिए तथा न्यायपालिका न्याय करने के लिये। अतः यह संकल्प संविधान की भावना के भी प्रतिकूल है।

श्री गुरुपादस्वामी ने बताया था कि आज चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और बाजार के मनुष्यों से लगाकर अफ़सर तक सभी भ्रष्ट हैं। यह कोई सरल प्रश्न नहीं है। यह दृष्टिकोण तो निराशावादियों तथा पलायनवादियों की सी बातें हैं। यह उस वर्ग की बातें हैं जिसमें वास्तविकता का सामना करने अथवा कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का कोई साहस नहीं है।

डा० काटजू: इस संकल्प पर पूर्ण रुपेण चर्चा हो चुकी है। यह तो निश्चय है कि भ्रष्टाचार, जहां भी वह पाया जाय, वह घृणास्पद है। परन्तु इस सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं तथा जो वक्तव्य दिये गये हैं उनसे मुझे दुःख हुआ है।

हम यह भूल जाते हैं कि जिन सरकारी कमचारियों पर हम दोषारोपण कर रहें हैं वह भी तो हमारे भाई बन्धु हैं उन पर दोषारोपण करना स्वयं अपने

आप पर दोषारोपण करना है, क्योंकि यह निश्चय है कि उनके लालन पालन शिक्षा दीक्षा में, पारवारिक परिस्थितियों इत्यादि में अवश्य कोई बड़े दोष रह गये होंगे जिनके कारण वह सरकारी नौकरी में आने के बाद इतने भ्रष्ट हो गये हैं मेरे एक माननीय मित्र ने तो यहां तक कह दिया कि सभी भारतवासी भ्रष्ट हैं, और क्योंकि सभी भ्रष्ट हैं इसलिये इस समस्या का किसी प्रकार से समाधान हो ही नहीं सकता है इसी से मुझे यह लग रहा है कि हम इस समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार का बिष वमन तो जैसे आजकल का फ़ैशन ही हो गया है।

इस संकल्प को प्रस्तुत करने वाले सदस्य ने कहा कि सरकार इसका विरोध करती है। यह ठीक है, मैं इसका विरोध केवल इसलिये नहीं करता कि इसमें अनुचित शब्द हैं, अपितु इसका समस्त ढांचा ही बुरा है। इसमें कहा गया है कि सरकार को सरकारी कर्मचारी की सम्पत्ति, धन तथा वैभव की जांच करनी चाहिए, चाहे वह उसके अपने नाम में हो अथवा उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के नाम में संयुक्त अथवा अलग अलग हो। यह एक जांच न होकर अन्वेषण हो जायगा। इसमें कहा गया गया है कि वह व्यक्ति जो संविधान के अधीन पद धारण करता हो। इसमें राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सभापति, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तथा उपसभापति और लोक सेवा आयोग के सभापति भी आते हैं और यह संकल्प इन सभी के विरुद्ध है। इसके पश्चात कहा गया है कि वह व्यक्ति जो कि भूत सरकार का अथवा अन्य राज्य सरकार का उत्तरदायी प्राधिकारी हो इसमें आई० ए० एस०, आई० पी० एस० आई० एफ० एस०, लेखा सेवा, और इंजीनीयरी सेवाएं सभी आ जाती हैं जो भारत सरकार के उत्तरदायी अधिकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त इस संकल्प के अनुसार राजस्व इकट्ठा करने वाले, अनुज्ञा देने वाले ठेके देने वाले प्राधिकारियों में तहसीलदार और डिप्टी कलैक्टर भी आते हैं और रेलवे के प्राधिकारी और खाद्य विभाग के प्राधिकारी भी सम्मिलित हैं, क्योंकि वे गाड़ियां और खाद्य सामग्री का अर्जन एवं उत्सर्जन करते हैं। इसमें और भी कहा गया है कि निवृत्ति पाने वाले सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में एक आयोग निश्चित किया जाना चाहिये, जो ऐसे प्राधिकारी की सम्पत्ति के विषय में किसी प्रकार की गवाही अथवा लेख पत्र देखने के लिये और पूरी खोज करने के लिए सक्षम हों। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा एक ही आयोग होगा ? यदि इसे सारे देश के लिए किया जाय, तो इसके लिए १०,००० या २०,००० प्राधिकारी चाहिएं और इसके अनुसार विधान सभाओ तथा संसद के सदस्य और मंत्रीगण उत्तरदायी प्राधिकारियों में आ जाते हैं।

श्री अलगूराय शास्त्री : इसके लिए ठेकेदारों तक को भी सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है

डा० काटजू : क्रियात्मक रूप में इसके लिए बहुत आयोग चाहियें और इसके सदस्यों पर ५० लाख रुपये का खर्च आयेगा। तथा इसके सदस्यों के व्यवहार की जांच करने के लिए भी उच्चतर आयोग की आवश्यकता होगी। और इस प्रकार यह क्रम कभी समाप्त नहीं होगा। मैं इस बात की हंसी नहीं उड़ा रहा हूं। मानो आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

[डा० काटजू]

संकल्प में और भी कहा गया है कि यदि किसी प्राधिकारी के पास ऐसी सम्पत्ति है, जिसे वह ईमानदारी के साथ अर्जित नहीं कर सकता तो उस मामले की रिपोर्ट इस सदन के पास की जानी चाहिए और इसके सदस्यों की भी जांच होनी चाहिए, और वह रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जानी चाहिये जो इसके पश्चात उचित कार्यवाही करने का विचार करेगा। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार से संसद विधि और विधान बनाने के स्थान में जांच पड़ताल करने की समिति नहीं बन जायगी? ठेकेदारों, अफसरों आदि सब की जांच करना इस सदन का कर्त्तव्य नहीं है। अन्य देशों का ऐसा अनुभव है कि जब संसद न्याय संबन्धी जांच पड़ताल के मामलों में लग जाती है, तो यह जनता में अपना विश्वास खो बैठती है। पुराने समय में हाउस आफ कामन्स चुनाव याचिकाएं सुना करता था। परन्तु ऐसा अनुभव किया गया कि वह अच्छा ढंग नहीं था।

डा० एस० पी० मुखर्जी : इसीलिए तो हम आपके बहुत से निर्णयों से असंतुष्ट हैं।

डा० काटजू : आप निस्संदेह असंतुष्ट हैं। परन्तु ये न्याय संबन्धी मामले हैं। इस संकल्प में यह भी कहा गया है कि जांच आयोग की नियुक्ति सरकार द्वारा न होकर इस सदन के २१ व्यक्तियों द्वारा की जाय, जो इस आयोग को नियुक्त करने की आवश्यकता, औचित्य और संभाव्यता पर विचार करें। और तब वह जांच आयोग सदन के पास रिपोर्ट करे कि क्या किया जाना चाहिये।

मेरा विनम्र निवेदन यह है कि यह संकल्प बहुत हानिकारक है। इससे देश की नैतिकता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सारे कर्मचारी इतने बुरे नही हैं जितने वे बतलाए जाते हैं। लाखों लोग हमारे सम्बन्धी हैं और विश्वविद्यालयों के योग्य विद्यार्थी हैं। मैं नहीं कहता कि सब लोग ईमानदार हैं परन्तु मैं चाहता हूं कि वे ऐसे हों। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि द्वितीय महायुद्ध ने लोक नैतिक-स्तर को और विशेषतया कर्मचारियों के नैतिक-स्तर को बहुत प्रभावित किया है न केवल इसी देश में, अपितु विदेशों में भी। युद्ध के दिनों में यह आवश्यक था कि प्रति मास लाखों और करोड़ों रुपये का खर्च किया जाय और उसका कोई नियंत्रण रखना समय की आवश्यकतानुसार संभव भी नहीं था। और उस समय बहुत से लोगों ने रुपया इकट्ठा कर लिया। मुझे विश्वास है कि सैंकड़ों कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें आपकी और मेरी तरह स्वतंत्र भारत का गर्व है, और वे इतनी ही ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, जितनी से आप और मैं। यदि आप सबको एक सा ही मानकर सब की सामान्यतया निन्दा करेंगे तो यह बात उन लोगों को बुरी लगेगी इससे बड़े बुरे परिणाम भी निकल सकते हैं क्योंकि जब एक बार अनुसाशन संयम और आत्म सम्मान का भाव नष्ट हो गया, तो मैं नहीं समझता कि लोगों की क्या अवस्था होगी।

इस संकलप ने वर्तमान वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया है। सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में ऐसा उपबन्ध है, जिसके अनुसार सब प्राधिकरियों को अपनी अपनी अचल

सम्पत्ति के सम्बन्ध में वार्षिक विवरण देना पड़ता है। और इन आचरण नियमों के अनुसार आई० ए० एस० प्राधिकारियों को २०० रुपये से अधिक चल सम्पत्ति अधिग्रहण करने की अवस्था में विवरण देनी पड़ती है।

केन्द्रीय सेवाओं के बारे म भी एक ऐसी ही उपबन्ध रखने का विचार है। और फिर जहां कहीं भी किसी सरकारी कर्मचारी अथवा राजनीति पद धारी की ईमानदारी के सम्बन्ध में कोई संदेह हो वह पूर्णतया छिप नहीं सकता है। सदन को याद होगा कि गत वर्ष जांच आयोग अधिनियम नाम का एक अधि-नियम पास किया गया था इस अधिनियम का विषय विस्तृत है तथा यह सर-कार को ऐसे जांच आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है जिन में कि जांच अधिकारी साक्ष्य नियमों से बाध्य नहीं होगा तथा वह कोई भी जांच कर सकता है। इसी तरह से मैं १९४७ में पास किये गये और एक अधिनियम की ओर भी निर्देश करता हूं जिसका हाल ही में संशोधन किया गया। इसका नाम भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम (१९४७ का द्वितीय) है। इस अधिनियम में आपराधिक अवचार नाम का अपराध है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी पर इस सिलसिले में मुकदमा चलाया जाय तो उसे इस बात की सफाई पेश करनी होगी कि उसने वह सम्पति कहां से प्राप्त की है जो कि अभियोग पक्ष की दृष्टि में गलत तरीकों से प्राप्त की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी उद्देश्य पूर्ति के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त है। परन्तु कठिनाई यह है। क्या आप न्यायाविक तथा निष्पक्ष वैदिक अन्वीक्षा चाहते हैं यदि आप अफवाहों के आधार पर काम करना चाहते हैं तो आप भले ही यह कहें कि 'उसे पहले फांसी लगा दो और फिर उसकी वैदिक अन्वीक्षा करो।' परन्तु जब आप चाहते है कि संविधान के अंतर्गत उसे अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिये तो फिर न्यायाधीश अथवा जांच करने वाले अधिकारी को यह कठिनाई पेश आती है कि साक्ष्य देने के लिए कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने रिश्वत देने वाले को भी अपराधी ठहराया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या हमें उसे हार पहनाने चाहियें? यदि आप रिश्वत देने की निन्दा नहीं करते हैं तो समाज में उसका बहिष्कार कैसे हो सकता है। ऐसी दशा में वह साक्ष्य देने भी नहीं आता है। और जब तक कि वह साक्ष्य न दे जांच आयोग कैसे काम कर सकता हैं। किसी सदस्य ने बताया कि रिश्वत देने वाले पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिये, उसे छूट मिलनी चाहिये ऐसा सामान्यतः हुआ करता है। परन्तु फिर भी वह साक्ष्य देने नहीं आता है।

जहा हमें समाज में फैली इस बुराई पर चिन्ता है, वहां हमें ऐसी कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिससे कि असंतोष की भावना फैल जाये इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करके हम अपने आप को संसार की दृष्टि में गिरा रहे हैं क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता हैं कि कोई भी भारतीय राष्ट्रपति से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी तक, भ्रष्टाचार से परे नहीं है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम इस बुराई को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। श्री गाडगिल

[डा० काटजू]

पहले ही कह चुके हैं कि सन् १९४७ तथा १९५२ के वर्षों में ११८ गजेटिड अफसरों पर मुकदमे चलाए गए हैं। २१ मामले अनिर्णीत पड़े हैं तथा ३७ दोषसिद्धियां हुई हैं। जहां तक सारी स्थिति का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हू कि १९४९ के वर्ष म स्पेशल पुलिस ने ५७६ मामलों की जांच की, ३९६ मुकदमे दायर किए गए तथा १५५ दोषसिद्धियां हुईं। १९५० में यह आंकड़े क्रमशः ३६२, १६९ तथा ४० थे तथा १९५१ में यह २१९, १०२, तथा ७० थे। इस का अर्थ यह है कि सरकार इस सारी बुराई से बेखबर नहीं है तथा वह इस का अन्त करना चाहती है। हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये तथा ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिस से कि जन साधारण में असंतोष की भावना फैल जाये। हम यहां जो कुछ कहते हैं जनता उसे बहुत महत्व देती है। यदि सरदार हुक्मसिंह अथवा कोई अन्य सदस्य यह कहे कि सारा देश भ्रष्टाचारी है, तो क्या होगा? हमारा सत्यानाश होगा। फिर न केवल इस सरकार को हटाना होगा अपितु इस संसद को भी हटाना पड़ेगा।

मैं इस संकल्प का कई बातों के कारण विरोध करता हूं। यह ठीक ढंग में पेश नहीं किया गया है, इस की शब्द-रचना अच्छी नहीं तथा इस में बुराई को बढ़ चढ़ कर दिखाया गया है। यह अव्यवहार्य है। सरदार हुक्म सिंह स्वयं एक प्रशासक रहे हैं, क्या वह इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि एक जांच कमीशन बीस हजार से लेकर चालीस हज़ार ज़िम्मेदार सरकारी कमचारियों के सम्बन्ध जांच कर सकता है? यदि हम सभी भ्रष्टाचारी हैं तो हम एक दूसरे को कैसे उठा सकेंगे। श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री फिरोज गांधी (जिला प्रतापगढ़ पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व): क्या जम्मू तथा काश्मीर रज्य ने ऐसा कानून नहीं बनाया है?

डा० काटजू: हो सकता है, उन्होंने वहां ऐसा किया हो। किन्तु मैं अपनी टांगों पर खड़ा होना चाहता हूं।

सरदार हुक्म सिंह: अब तक हम बराबर यह सुनते रहे हैं कि विरोधी दल की आलोचना ध्वंसात्मक होती है किन्तु अब मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में देखना चाहता हूं कि सरकार की आलोचना कहां तक रचनात्मक होती है। मैं ने प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दिया था कि संकल्प के शब्दों से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि इस में निहित भावना को स्वीकृत कर लिया जाये। यह कहा गया कि इस की शब्द व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं सुन्दर भाषा के प्रयोग में चतुर नहीं हूं किन्तु जहां तक प्रस्तुत भाषा का प्रश्न है इसे तो कार्यालय में परिवर्तित किया गया है, यह मूल रूप से मेरे द्वारा प्रयुक्त भाषा नहीं है। हो सकता है कि मेरी मूल भाषा इस से भी खराब हो किन्तु प्रस्तुत संकल्प तो उस भाषा में परिवर्तित की हुई भाषा में है।

जहां तक इस संकल्प का प्रश्न है, मुझे कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री जी ने इस का विरोध करते समय एक वकील की तरह बहस करने का प्रयत्न किया है, इस में निहित भावना को नहीं आंका है। उन्होंने एक क्षण भी यह सोचने का विचार नहीं किया कि इसकी भाषा क्या है। यदि कांग्रेस के किसी सदस्य ने यह कहा होता कि अमुक स्थान पर भाषा ठीक नहीं है, अमुक बात व्यवहार्य नहीं है, अमुक चीज़ के स्थान पर यह निविष्ट कर दिया जाना चाहिए तो

मुझे प्रसन्नता होती और मैं ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया होता । मेरा प्रयोजन तो सरकारी सेवाओं से भ्रष्टाचार को दूर करना है, मै किसी विशिष्ट बात पर अड़ना नहीं चाहता ।

संकल्प की आलोचना करते हुए यह कहा गया कि इसमें वास्तविक स्थिति को अतिरंजित किया गया है । मैं ने तो प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं यह स्वीकार करता हूं कि अनेक पदाधिकारी बहुत उच्च स्तर के हैं । उनके लिए मेरे हृदय में प्रशंसा है । फिर अतिरंजित वाली बात कहना ठीक नहीं है ।

यदि इस संकल्प को इस की मूल भावना में स्वीकार कर लिया जाए तो पदाधिकारियों को यह घोषित करना पड़ेगा कि उनकी सम्पत्ति कितनी है । किसी भी देश में इस पर आपत्ति नहीं की जाती । अमरीका के प्रेसीडेंट को भी पद-ग्रहण से पूर्व और उसके छोड़ने पर अपनी सम्पत्ति घोषित करनी पड़ती है । इस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर कि सिद्धान्ततः आपत्ति की जा सके । मैं अपने मित्रों को बतला दूं कि इस संकल्प के अखबारों में प्रकाशित होते ही पाकिस्तान ने इसे अंगीकृत कर लिया । कुछ राज्यों ने भी इसे अंगीकृत कर लिया है । उत्तर प्रदेश ने इसे अंगीकृत कर लिया है, काश्मीर ने इसे अंगीकृत कर लिया है । इसके सिद्धान्तों में कोई ऐसी बात नहीं है । यदि भाषा में कोई खराबी हो तो उसे सुधारा जा सकता है । संशोधन प्रस्तुत किया जाए, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं । किन्तु मैं अब तो यही निदान निकाल सकता हूं कि इस की भावना को स्वीकार करने और तदनुसार कार्य करने को तैयार नहीं है । सरकार का यह दृष्टिकोण अपनाना उसका दुराग्रह ही कहा जा सकता है । अन्यथा ये सारी बातें तो इस संकल्प में हैं सिद्धान्त रूप में योजना आयोग के प्रतिवेदन में स्वीकार कर ली गई हैं जिसकी तैयारी में छब्बीस लाख रुपये व्यय किए गए हैं ।

डा० काटजू : मैं ने यह नहीं कहा कि मैं संकल्प में निहित भावना को पसन्द नहीं करता अथवा अमुक-अमुक बातें नहीं पसन्द करता । मैं ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को उचित तरीके से मिटाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री रघवय्या (ओंगोल) : तब इसे स्वीकार कर लीजिए ।

सरदार हुक्म सिंह : उक्त आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय ६ में कहा गया है कि लोक हितकारी राज्य में सेवा जनता की सहकारिता तथा सदभावना पर निर्भर रहती है और यह तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब कि प्रसाशन ईमानदारी तथा सक्षमता पूर्ण हो तथा इसके लिए भ्रष्टाचार का उन्मूलन आवश्यक है ।

ठीक यही बात मैं ने अपने संकल्प में अपेक्षित की है । भ्रष्टाचार रोकने के के लिए हमें निवारक और सुधारक दोनों प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिए ।

प्रतिवेदन में आगे कहा गया है कि भ्रष्टाचार प्रशासन में कहीं भी हो सकता है किन्तु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां यह अधिक मात्रा में प्रचलित है ।

ठीक यही बात मैं ने अपने संकल्प में कही है जहां कि लाइसेंस के प्रश्न पर चर्चा की गई है ।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि

[सरदार हुक्म सिंह]

कथित दुराचार के मामलों की जांच करने के लिए किसी व्यवस्था-तन्त्र का प्रबन्ध किया जाए और तथ्य मालूम किए जाएं। सन् १९४७ भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम का उल्लेख करते हुए इस में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के अपराधों से सम्बन्धित कानून को दृढ़ बना दिया गया है तथा इस में ऐसे मामलों का भी उपबन्ध है जिन में सरकारी नौकरों के पास आमदनी के ऐसे साधन पाये जायें जिनके सम्बन्ध में वे कोई सन्तोषप्रद उत्तर नहीं दे सकते।

ठीक यही बात मेरा संकल्प चाहता है। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि इस बात पर भी विचार करना अच्छा होगा कि प्रति वर्ष के प्रारम्भ में सरकारी नौकरों से उनकी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में विवरण पेश करने को कहा जाये। इस समय यह बात केवल अचल सम्पत्ति के लिए लागू होती है।

ठीक यही चीज़ मेरे संकल्प में है अर्थात चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों का विवरण देना। ये सब सिफारिशें पंचवर्षीय योजना में आ गई हैं। मेरे संकल्प में वे ही सब हैं। इसमें कोई विचित्र चीज़ नहीं है।

इस संकल्प की इस प्रकार की आलोचना करना कि यह अव्यवहार्य है, इस की भाषा अच्छी नहीं है, इसमें दिए गए सुझावों का अर्थ होगा हमारे राष्ट्र को अपराधियों का राष्ट्र कहना, कोई तर्कयुक्त चीज़ नहीं है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार इसे केवल इसीलिए स्वीकार नहीं करती कि विरोधी दल की वह कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। जब कि सरकार का दृष्टिकोण इस प्रकार का है तो उसे यह आशा नहीं करनी चाहिए कि दूसरों की आलोचना रचनात्मक ही हो। उसे इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कम से कम आज की चर्चा में सरकार ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि यह उस विरोधी दल की बातों का अनुसरण कर रही है जिस के बारे में वह बहुत शिकायत करती थी।

सभापति महोदय : अब मैं मत दिए जाने के लिए संशोधन प्रस्तुत करूंगा। इनमें से दो संशोधन तो ऐसे हैं जिन के द्वारा संकल्प में कुछ और बात आदिष्ट किए जाने का सुझाव है और दूसरे संशोधन ऐसे हैं जिन में इस संकल्प में कुछ बातें रखने या उसमें से कुछ बातें हटाने के सुझाव हैं इन संशोधनों की संख्या २६ है। इस लिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापिस लेना चाहते हैं। अन्यथा मैं इन सभी संशोधनों को एक एक करके मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

श्री एन० पी० सिन्हा (हज़ारीबाग पूर्व): मैं अपना संशोधन संख्या ९ वापिस लेता हूं।

संशोधन सदन की अनुमति से वापिस ले लिया गया।

सभापति महोदय : पहिले मैं सदन में मतदान के लिये उन दो संशोधनों को पृथक् रूप से प्रस्तुत करूंगा जिनमें संकल्प में कुछ अन्य बातें आदिष्ट किये जाने का सुझाव है। बाकी सब संशोधनों को मैं एक साथ रखूंगा।

संशोधन प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं सरदार हुक्म सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प को मतदान के लिये रखता हू ।

इसके पश्चात् उक्त संकल्प पर सदन में मत विभाजन हुआ ।

इसके पक्ष में ५२ तथा विपक्ष में १७४ थे ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

राष्ट्रीय सुरक्षा-परित्राण नियमावली के सम्बन्ध में संकल्प

श्री नम्बियार (मयूरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "इस सदन का मत है कि साधारण अनुशासन प्रक्रिया को अपनाए बिना सरकारी कर्मचारियों के निकाल दिए जाने के संबंध में रेल, डाक, रक्षा तथा अन्य सभी केन्द्रीय सेवाओं में लागू की गई राष्ट्रीय सुरक्षा परित्राण नियमावली, १९४९ को तुरन्त प्रतिसंहृत किया जाए और इस नियमावली के अधीन निकाले या निलंबित किए गए सभी व्यक्तियों को फिर से नौकरी में लगाया जाए।"

आज स्थिति यह है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को भय बना रहता है कि राजनीतिक रूप देकर उनको....

श्री एम० एल० द्विवेदी (हमीरपुर जिला) : श्रीमान्, मुझे विशेषाधिकार संबंधी एक प्रश्न उठाना है । विभाजन-घंटी बजने पर जैसे ही मैं पुस्तकालय से आकर सदन-कक्ष में आधा प्रविष्ट हो चुका था, तभी मुझे बाहर खींच लिया गया, इस प्रकार में चाहने पर भी मत न दे सका और मेरा वह विशेषाधिकार छिन गया ।

सभापति महोदय : संकल्प पर मत ग्रहण हो चुका है, और उसका निश्चय हो गया है । दूसरी बात के विषय में अध्यक्ष महोदय से बाद में शिकायत की जा सकती है ।

डा० एस० पी० मुकर्जी (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : यह किसने किया ?

श्री एम० एल द्विवेदी : द्वार-रक्षक ने ।

संसद् कार्य-मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : मेरे विचार से यह गम्भीर बात है और इसकी जांच होनी चाहिए ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस मध्य) : यदि संसद के सदस्य के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो उसका प्रतिकार होना ही चाहिए ।

सभापति महोदय : संकल्प की मत-तालिका में माननीय सदस्य का नाम तो अब नहीं जोड़ा जा सकता, पर दूसरी बात गंभीर है और अध्यक्ष महोदय से इसकी शिकायत होनी चाहिए तथा जांच के बाद संबंधित व्यक्ति के ऊपर यथोचित कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री नम्बियार : सरकारी कर्मचारियों को अपने संघ बनाने का पूरा अधिकार होना चाहिए, पर इस समय वह उनको प्राप्त नहीं है । ये नियम भारत-सरकार अधिनियम के अधीन महाराज्यपाल श्री राजगोपालाचारी द्वारा लागू किए गए थे । सरकारी कर्मचारियों के निकाले जाने के संबंध में आरोप-पत्र लगाने, स्पष्टीकरण मांगने और जांच करने के बाद संबंधित व्यक्ति की बात मौखिक रूप में सुनने की जो प्रक्रिया साधारण स्थिति में

[श्री नम्बियार]

अपनाई जाती है, वह प्रक्रिया इन नियमों के अधीन नहीं अपनानी पड़ती।

प्रश्न यह है कि इस नियमावली के लागू होने के समय जो परिस्थितियां थीं, क्या वे आज भी हैं या नहीं। महायुद्ध के बाद न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि औद्योगिक कामकर भी आशा करते थे कि कांग्रेस सरकार बढ़ी हुई महगाई की दृष्टि में उनकी मांगों पर विशेष ध्यान देगी और उनके वेतन बढ़ाएगी और उचित महंगाई भत्ते दिलवाएगी। पर उनकी कठिनाइयों पर विचार करने की तो बात ही अलग, सरकार ने उलटे दमन नीति ही अपनाई। इन नियमों में भी निवारक-निरोध की गंध है। सरकारी कर्मचारी को पहले जेल में डाल दिया जाता था और इस प्रकार उसके परिवार को भी दुखी किया जाता था। फिर उसे आरोप-पत्र दिया जाता था। अदालती जांच न होती थी और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता था।

केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में कहा गया था कि जीवन-यापन व्यय में २० इकाइयों की वृद्धि पर प्रत्येक कर्मचारी को ५ रुपए मिलेंगे; पर बाद में मंहगाई उन सिफारिशों के अनुसार नहीं दी गई और बेचारे कर्मचारियों की आशाएं फलीभूत न हुईं। रेल-कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन-वर्ग जब १९४८ में ६० रुपए का अधिकारी था, तो उसे ३० रुपए दिए गए। इस प्रकार रेल-कर्मचारियों को वेतन आयोग द्वारा अनुमोदित वेतन और भत्ते नहीं मिले। दूसरे उनको खाद्यान्न तथा अन्य लगभग २६ मदें सस्ते भाव पर मिलती थीं, पर जैसा सदन को याद होगा श्री सन्थानम् की अध्यक्षता में बनी अनाज-दुकान जांच समिति की सिफारिश पर रेलवे में यह प्रणाली समाप्त कर दी गई। उनके ऊपर यह दूसरा प्रहार था। संविधान ने भी कर्मचारियों के हड़ताल करने का अधिकार छीना नहीं है। पर इन कर्मचारियों को हड़ताल करने से रोकने के लिए उन पर नाना प्रकार के दबाव और जोर डाले जाते हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं और तंग किया जाता है। १९४८ में भी इन्हीं मांगों के कारण अखिल भारतीय रेल-कर्मचारी संघ ने हड़ताल करने का निश्चय किया था, क्योंकि सरकार उनको किसी प्रकार संतुष्ट न कर सकी थी।

यही दशा डाक कर्मचारियों की भी है। आपको याद होगा कि उन्होंने भी १९४९ में हड़ताल करने की धमकी दी थी और रेल कर्मचारी भी उनका साथ दे रहे थे। पर अंत में बातचीत चली और एक वर्ग सहमत नहीं हुआ। पर अन्य वर्गों ने हड़ताल का निश्चय किया और अखिल भारतीय आन्दोलन तेजी से चल रहा था। उसी समय इस नियमावली को लागू किया गया। उसी समय ऐसी स्थिति थी, पर वे नियम आज भी चल रहे हैं। उसी दिन पास ही काल्का में गांधी नामक एक रेल-कर्मचारी को इन्हीं नियमों के अधीन एक आरोप-पत्र दिया गया है। उसके निकाले जाने का एक कारण यह भी है कि वह एक ऐसी सभा में उपस्थित था, जिसमें एक साम्यवादी ने भाषण दिया और भाग लिया था।

अतः यह सारी बात सरकारी कर्मचारियों पर एक राजनैतिक आक्रमण है। इसका आशय यही है सरकारी कर्म-

चारी को किसी प्रकार की ट्रेड यूनियन गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। जो कुछ उन्हें दिया गया है उसी को उन्हें स्वीकार करना है और उस के विरुद्ध कोई आन्दोलन नहीं करना है। यह आदेश केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सभी सरकारी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा।

इस आदेश की शब्दावली इतनी द्वयर्थक है कि यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी से कोई अधिकारी अप्रसन्न हो जाय तो उसे इस नियम के अनुसार दंडित किया जा सकता है। किसी के प्रति भी 'समुचित सन्देह' होने अथवा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति से जिस के प्रति 'समुचित सन्देह' हो सम्बन्ध रखने का आरोप लगाया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि विध्वंसकारी कार्यवाहियां कौन सी हैं? इस की कोई परिभाषा नहीं की गई है और न स्वयं नियम में ही यह बताया गया है कि किन गतिविधियों को विध्वंसकारी कार्यवाहियां कहा जायेगा।

यदि किसी सरकारी कर्मचारी को बरखास्त अथवा सेवामुक्त करना अभीष्ट हो तो उसे असैनिक सेवा, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा पुनरावेदन नियमों के अनुसार सेवामुक्त किया जा सकता है। परन्तु इस प्रणाली को निलम्बित कर दिया गया है। इन नियमों के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना कोई कारण बताये बरखास्त किया जा सकता है।

यही बात रेलवे सेवा के लिए भी है। उस अवस्था में आदेश सचिव, रेलवे पर्षद् द्वारा दिया जायेगा। सरकारी कर्मचारियों के वैध आन्दोलनों को दबाने का यह प्रयत्न है। इस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम अधिकारों का अपहरण करना है।

इसी सम्बन्ध में गृह मंत्रालय ने एक और परिपत्र-संख्या २५-११-४९ दिनांक १४ अप्रैल, १९४९ जारी किया था। उस में कहा गया है :

> "सामान्य नियमों के अनुसार किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी के सेवामुक्त करने में बहुत विस्तृत जांच के पश्चात् पर्याप्त प्रमाण तथा गवाहों देना अपेक्षित होता है अतः विध्वंसकारी गतिविधियों में लगे सरकारी कर्मचारियों के लिए इस प्रणाली का काम में लाया जाना प्राय असंभव है।"

अतः ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए :

"स्थिति पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात कुछ तदर्थ नियमों का बनाया जाना आवश्यक समझा गया जिन के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को नियम ५५ में दी गई प्रणाली का सहारा लिए बिना ही निवृत्त किया जा सके।"

इस परिप के दूसरे पैराग्राफ में और भी मजेदार बात दी हुई है।

> "निम्नलिखित संगठनों को विध्वंसकारी समझा जाये :
>
> साम्यवादी दल,
>
> भारत का क्रान्तिकारी साम्यवादी दल,
>
> भारत का क्रान्तिकारी समाजवादी दल,
>
> राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,
>
> मुस्लिम नेशनल गार्ड तथा खाकसार"

और मामलों की जांच करने के लिए एक पर्षद् या समिति बनाई जायेगी जिस में यह चार सदस्य होंगे :

[श्री नम्बियार]

"गृह मंत्रालय का एक अधिकारी, विधि मंत्रालय का एक अधिकारी, चर विभाग का एक अधिकारी और चौथा सम्बन्ध मंत्रालय का एक अधिकारी । गृह मंत्रालय का नाम निर्देशित व्यक्ति परामर्शदात्री समिति का सभापति होगा ।"

यह तो निस्संदेह असरकारी समिति नहीं है। साम्यवाद के प्रति सहानुभूति रखना ही काफी है । उन सभी दलों को जो कांग्रेस की सत्ता के विरुद्ध हैं या जिन को विरुद्ध समझा जाता है इस सूची में शामिल कर लिया गया है । आदेश की शब्दावलि इस प्रकार की है जिस से यह स्पष्ट होता है कि सूचना देने के कार्य से लगाकर जांच इत्यादि करने का सभी भार गुप्तचर विभाग पर है।

इस आदेश के लागू करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को यह आदेश दिये गये हैं:

"प्रान्तीय सरकारों से नियमों में वर्णित अधिकारियों की सहायता करने के आदेश अधीनस्थ प्रान्तीय अधिकारियों को देने की प्रार्थना की जाती है जिससे कि वह नियमों के अनुसार कार्यवाही कर सकें।"

इस प्रकार एक विशिष्ट विचार धारा का एकाकीकरण करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि यह नियम कांग्रेस दल पर भी इसी भांति लागू हों। इस प्रकार की विभेदात्मक कार्यवाही करने से सरकारी कर्मचारियों के मूल अधिकारों का अपहरण होता है ।

इन नियमों के अनुसार कई २५० रेलवे कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया गया है और ७० को निलम्बित कर दिया गया है । इनके अतिरिक्त डाक तथा तार विभाग रक्षा सेवाओं के असैनिक कर्मचारी तथा नौसेवा पोतघाट के कर्मचारियों को भी निकाला गया है। कुल मिला कर कोई ६०० कर्मचारियों को इन नियमों के अन्तर्गत बरखास्त अथवा निलम्बित किया गया है।

इन नियमों के विरुद्ध एक सुदीर्घ आन्दोलन चलाया गया था। कमकरों को हड़ताल करने का अधिकार है, परन्तु उन के इस अधिकार की उपेक्षा करके उनको बरखास्त कर दिया गया है। यह तो स्पष्ट ही उनको बलि का बकरा बनाना है। केवल साम्यवादी दल का सदस्य होने के नाते ही नहीं अपितु इन अभागों के परिवारों के प्रति समवेदना रखने वाले व्यक्ति के नाते मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह साधारण कारीगरों को इन घृणित नियमों की सहायता से त्रस्त न करें। यदि उनकी सहानुभूति किसी दल विशेष से हो तो उन को उसे प्रकट करने का अधिकार हो । साम्यवादी दल पर सरकार ने अपनी इच्छानुसार जब चाहा तब प्रतिबन्ध लगाया है। यदि वह सभी साम्यवादियों को जेल में ठूंसना चाहती है तो हम तैयार हैं परन्तु केवल ट्रेड यूनियन का सदस्य होने के नाते बेचारे साधारण कर्मचारियों को क्यों बलि का बकरा बनाया गया है। साउथ इंडिया रेलवे के केवल उन्हीं १०० कर्मचारियों को निकाला गया है जो कि वहां ट्रेड यूनियन आन्दोलन के संस्थापक थे और जो उस के मंत्री अथवा अध्यक्ष आदि थे।

रेलवे कर्मचारी इसे सहन नहीं कर सके, उन्होंने आन्दोलन किया, वह अदालत भी चढ़े। एक तार वाले के मामले में आदेश को न्यायालय ने रद्द कर दिया और उसे १०० रुपये खर्चे के दिलाये । रेलवे पर्षद् ने इस निर्णय को किसी प्रक्रिया विशेष पर लागू होने वाला समझा और उस ने अपनी प्रक्रिया को बदल दिया । पहला सेवा मुक्त आदेश वापस लेकर उसे दुबारा नोटिस दे दिया

गया। परन्तु उसे अभी तक बहाल नहीं किया गया है। मुझे दक्षिण के रेलवे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं इस सम्बन्ध में सभी से मिल चुका हूं। पिछले सत्र में २८ जुलाई १९५२ को विरोधी दल के सभी नेताओं ने श्री लाल बहादुर शास्त्री के समक्ष इस मामले को रखा था और उन्होंने दो या तीन बहुत गंभीर को छोड़ कर शेष पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का वायदा किया था। हम को बहुत आशायें थीं। परन्तु आठ महीनें बाद अब वह यह उत्तर देते हैं कि उन सेवामुक्त किये गये कर्मचारियों को पुनः सेवामुक्त करने के कोई कारण नहीं हैं। केवल दो चार के अतिरिक्त वह उन को पुनः सेवायुक्त करने को तैयार नहीं हैं। इस समय यह स्थिति है।

मेरे पास रेलवे कर्मचारियों के अनेक तार आये हैं और मैंने उनकी प्रतियां श्री लाल बहादुर शास्त्री या श्री अलगेशन के पास भेज भी दी हैं। इन तारों से पता लगता है कि दक्षिण भारत में रेलवे कर्मचारी कितने उत्तेजित हैं। अखिल-भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ ने भी इस सम्बन्ध में एक संकल्प पारित किया है जिसमें उन्होने राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों को अनिवार्यरूप से छुट्टी पर भेजे जाने का विरोध किया है।

मजदूरों की लगभग सभी संस्थाओं ने उन मजदूरों के बहाल किए जाने तथा इन नियमों को हटा लेने के सम्बन्ध में संकल्प पारित किए हैं। यहां तक कि अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ ने भी प्रधान मंत्री, श्री जवाहर-लाल नेहरू को इस सम्बन्ध में सन्देश भेजा है। इस अन्तर्राष्ट्रीय संघ के २४ देश सदस्य हैं तथा संयुक्त राष्ट्रों ने भी इसे मान्यता प्रदान की है।

यह केवल कुछ मजदूरों का सवाल नहीं है बल्कि मजदूर संघ के लिए काम करने के अधिकार का प्रश्न है। आप कह सकते हैं कि वे विध्वंसकारी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। पहले तो ऐसी बात ही नहीं है और यदि आप समझते हैं कि मजदूर संघ का काम करना विध्वंसकारी कार्यवाही है तो आप उनके ऊपर न्यायालय में मुकदमा क्यो नहीं चलाते। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं जो देश के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं उन्हें तो सजा दी ही जानी चाहिए। हम ने हर तरीका अजमा लिया है। मंत्री से मिल चुके हैं, सदन में सरकार को समझाने का प्रयत्न कर चुके हैं किन्तु कोई नतीजा नहीं निकला। उच्च न्यायलय का निर्णय दिखला चुके हैं तथा और जो कुछ चाहें हम करने के लिए तैयार हैं। मेरा सदन से केवल इतना निवेदन है कि वह मंत्रालय से अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए कहे। इस कार्यवाही से ५०० परिवार कष्ट पा रहे हैं। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बन चुका है। माननीय प्रधान मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से विचार करें। मैं इस सम्बन्ध में डा० काटजू से भी मिल चुका हूं किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ है। मेरा केवल इतना कहना है कि आप मुअत्तल किए गये व्यक्तियों को बहाल कर दीजिये और इन नियमों को हटा लीजिए। तब ही आप की पंचवर्षीय योजना सफल हो सकेगी।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम्): मैं इस संकल्प के समर्थन ही में बोलना चाहता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि

[डा० लंका सुन्दरम]

इन ६०० रेलवे कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं किया गया है। मेरे कहने का अभिप्राय यह न लगाया जाये कि मैं अन्तर्ध्वसको के पक्ष में हूं। यदि कोई सरकारी कर्मचारी विध्वंसकारी कार्य करता है तो उसे अवश्य ही दण्ड दिया जाना चाहिए। मुझे तो केवल इस बात पर आश्चर्य है कि ११ महीनों के अन्दर भी रेल मंत्री इन बेचारे रेलवे कर्मचारियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार न कर सके। जब निवारक निरोध अधिनियम वाले मामलों में आपने न्यायिक बोर्डों की व्यवस्था कर दी है तो क्या आप इन मामलों के सम्बन्ध में ऐसी ही कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? मेरे विचार में अब भी ऐसा किया जा सकता है।

यह नियम, वास्तव में, १९४९ में बनाये गए थे जब कि युद्ध जैसी परिस्थितियां थीं। मेरे विचार में अब इन नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु अब तो आवश्यक सेवा नियम भी बन गये हैं। इन नियमों का किस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है इसका एक उदाहरण मैं आप के सामने रखता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग १०० भंगियों नें वेतन में वृद्धि, कुछ मंहगाई भत्ता तथा वर्दी की मांग की। मगर हुआ यह कि उन बेचारों को आवश्यक सेवा नियमों के अन्तर्गत पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। में पिछले तीन वर्षों से उनका मामला लड़ता रहा हूं किन्तु कोई सुनवाई नहीं की गई है। यह तो उन मजदूरों का हाल है जिन्होंने मजदूर संघ बना रखे हैं तथा उन्हें पंजीबद्ध भी करा रखा है। इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण मैं सैनिक इंजीनियरिंग सेवा संघ, विशाखापटनम के सम्बन्ध में देना चाहता हूं। इस मामले में तो इस सदन के अनेक सदस्य मेरा साथ भी दे रहे हैं जिनमें उपाध्यक्ष महोदय भी एक हैं। उक्त संघ के सचिव ने उच्च अधिकारियों को एक पत्र लिखा कि गैरिज़न इंजीनियर और ठेकेदार मिल कर सरकारी धन को हड़प रहे हैं। इसके बारे में जांच की जाये। नतीजा यह हुआ कि उसे तुरन्त ही नौकरी से अलग किए जाने का नौटिस दे दिया गया परन्तु स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी अंय्यगार की मेहरबानी के कारण चार महीने पश्चात नोटिस रद्द कर दिया गया।

परन्तु जब वह फिर वापस अपने काम पर रिपोर्ट करने गया तो अकार्य-कुशल बतला कर उसे फिर नौकरी से अलग कर दिया गया। यह व्यक्ति सात व्यक्तियों के परिवार का पालन करता था और अब बेचारा संघ के कार्यालय में मामूली वेतन पर कार्य कर रहा है। और तो और गैरिज़न इंजीनियर की इतनी हिम्मत हो गई कि वह मेरे पास यह कहने आया कि इस व्यक्ति का प्रार्थनापत्र आगे न भेजा जाये!

मैं यह बात बहुत साहस के साथ कह रहा हूं क्योंकि मेरे माननीय मित्र जो गृह कार्य मंत्रालय के इंचार्ज हैं, दुर्भाग्य से उस उत्पीड़न से परिचित नहीं हैं जो कि वास्तव में हो रहा है।

देश के कानून इस प्रकार बदल दिये गये हैं कि एक कानूनी हड़ताल करने की भी कोई गुजायश नहीं है। इस का कारण यह है कि सरकार, सब से बड़ी सेवा योजक है तथा अनेक मंत्रालयों में, रेलों में, डाक तथा तार विभाग में, टेलीफून की सेवाओं में, रेलों की कोयले की खानों

में, जहाज़ बनाने के कारखानों में, सिन्द्री इत्यादि में पचीस तीस लाख आदमियों से काम लेती हैं तथा उनके वेतन रहन सहन की परिस्थितियों तथा ट्रेडयूनियन कानून के अन्तर्गत उनके अधिकारों की समस्या को हल करने में असमर्थ हैं ।

इस मास की सात तारीख को विशाखापटनम की घटना के सम्बन्ध में एक अल्प सूचना प्रश्न किया गया था । घटना यह थी कि गत मास की ३० तारीख को दो बजे शिपयार्ड मज़दूर यूनियन के कर्मचारियों को बुलाकर बरखास्त करने की सूचना दे दी गई तथा दूसरे दिन प्रातःकाल ८१३ मजदूर काम पर से निकाल दिए गये । ऐसा इसलिए किया गया कि यदि वैधानिक रूप से चौदह दिन को सूचना दी जाती तो यह लोग श्रम संसाधन अधिकारी के पास जाते, औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित हो जाता और तब किसी को निकाला न जा सकता।

एक सेवायोजक के रूप में सरकार हमेशा दो कार्य करती है मजदूरों से उनकी इच्छा के विरुद्ध काम लेने के लिए सरकार यह घोषणा कर देती है कि अमुक सेवा 'परम आवश्यक सेवा' है और दूसरे यह कि जैसे ही हड़ताल की सूचना दी जाती है वे उसे अवैध घोषित कर देती है । जब मजदूरों ने काम न करने का दृढ़ निश्चय कर लिया तो आपकी घोषणा का प्रयोजन क्या है ।

इस का पता लगाने के लिए कि क्या गृहकार्य मंत्री सेवा योजक के रूप में सरकार की नीति के बढ़ते हुए पतन को रोकने के लिये कुछ कर सकते हैं मैं एक दो रचनात्मक सुझाव देने का विचार करता हूं ।

रेलो में, डाक व तार विभाग में, तथा इसी प्रकार की अन्य सेवाओं में छटनी हो रही है और हर जगह इस का विरोध किया जा रहा है । जब एक मजदूर काम पर से हटाया जाता है तो सारी मजदूर सभा उसका साथ देती है । इस देश की यही प्रथा रही है । इस लिए मैं कहता हूं कि यदि ऐसा न किया गया तो मज़दूर आन्दोलन में बहुत बड़ा विप्लव हो जायगा ।

यदि विभिन्न मत्रालयों में राजकीय सेवा की शर्तें समान नहीं हैं तो उन को समान बनाना चाहिये विशेषकर वे जो मजदूर सभाओं को मान्यता देने तथा यूनियन के अधिकारियों के कथित दुराचार की जांच की प्रक्रिया के नियमों से सम्बन्ध रखती हैं । प्रत्येक मंत्रालय तथा मंत्रालयों के प्रत्येक विभाग ने कानून अपने हाथ में लिये हैं । इसलिये यदि वे ऐसा नहीं करेगे तो उनके लिये गृह कार्य मंत्री के रूप में कार्य करना कठिन हो जायगा ।

मैं आशा करता हूं कि सेवा योजकों तथा कर्मचारियों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता है विशेषकर वे विधि जिनका उन यूनियनों से सम्बन्ध हैं जहां सेवा योजक सरकार हैं ठीक ठीक बनाये जायेंगे ।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आजमगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम): सभापति महोदय, मेरे मित्र नम्बियार साहब ने जो प्रस्ताव रखा है मैं खेद के साथ उसका विरोध करने खड़ा हुआ हू । आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि मैं क्यों विरोध कर रहा हूं । मैं जानता हूं कि जब यहां विदेशी शासन

[श्री अलगू राय शास्त्री]

था तब विदेशी शासन ने अपनी रक्षा के लिये वे कायदे कानून बनाये थे । उस समय जो देश में स्वाधीनता की लहर थी उस में सभी देशभक्तों का हाथ रहता था और हमने १९४२ के आन्दोलन में यह देखा कि देशभक्त जनता ने उन साधनों को भी नष्ट कर दिया था जो कि जनता के लिये उपयोगी दिखलाई पड़ते थे । वह आन्दोलन ठीक उसी तरह का आन्दोलन बन गया था जैसा कि महाराणा प्रताप के ज़माने में उस समय हुआ था जब अकबर की फौजों के साथ उन की लड़ाई थी । उस समय जनता के लोग स्वयं अपने कुंवों में ज़हर डाल देते थे और अपनी फ़सलों को बरबाद कर देते थे क्योंकि जनता यह समझती थी कि उनसे शत्रुओं को लाभ होता था । इस भावना में अपनी ही चीजों को अपने हाथों से बरबाद करना आवश्यक हो गया क्योंकि उसका लाभ विदेशी हुकूमत को मिलता था और उन्हीं साधनों से विदेशी हुकूमत हमारे ऊपर अपना शासन चलाती थी । उस वातावरण में विदेशी हुकूमत ने अपनी रक्षा करने के लिये इस प्रकार के कानून बनाये थे जिस से लोगों को ज़रा ज़रा सी बात पर जेलखाने में रख सके । एक मामूली कांस्टेबिल अच्छे से अच्छे आदमियों को, बड़े से बड़े आदमियों को, जिन में हमारे माननीय गृह मंत्री भी हो सकते हैं, बन्द कर दिया करता था । एक समय ऐसा था कि विदेशी हुकूमत ऐसा करती थी । आज जब जनता का शासन स्थापित हुआ है, जब प्रजातंत्र इतने बड़े आधार पर इस देश में अपना काम कर रहा है, जब प्रत्येक बालिग को मतदान का अधिकार है और उसने अपने मत से एक शासन व्यवस्था बनाई है, तो उस शासन व्यवस्था के प्रति उसी प्रकार का दृष्टिकोण रखना कि जो विदेशी शासन के प्रति इस देश में रहा, उचित नहीं है और आज खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन क़ायदे क़ानूनों को यदि जारी रखना पड़ रहा है तो केवल इस कारण कि इस तरह का ऐलीमेंट (तत्व) हमारे देश में मौजूद है जो सरकार को पैरेलाइज करने के लिये और उसके चलते हुए काम को ठप कर देने के लिये अग्रसर है । मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जहां कदापि स्ट्राइक की आवश्यकता नहीं थी, किसी प्रकार की हड़ताल की आवश्यकता नहीं थी, वहां आज नारे लगाये जाते हैं वेजेज़ का नाम लेकर, और तरह से भी सहानुभूति के आंसू बहाये जाते हैं । जिन लोगों के हित के लिये और जिस वर्ग का नाम लेकर यह कार्यवाहियां की जाती हैं उसी वर्ग के हितों के लिये वह घातक हो रही हैं । यहां कहा जाता है कि जो कोई सरकारी कर्मचारी खादी पहन कर या गांधी टोपी लगा कर आता है तो उस पर मौजूदा सरकार बड़ी दयालु रहती है और जो ऐसा नहीं करता है उसके लिये अदयालु रहती है । मैं अपने मित्र से यह पूछूंगा कि वह दिखलायें कि इस सेक्रेटेरियट में कितने सरकारी कर्मचारी खद्दर पहनने वाले हैं और कितने गांधी टोपी लगाने वाले मैं नहीं समझता कि सरकार किसी भी तरह से इस भावना से प्रेरित होती है कि कौन खद्दर पहन कर आता है और कौन खद्दर पहन कर नहीं आता है । एफीशियंसी और इनएफीशियंसी की बात हो सकती है किन्तु सरकार पर यह लांछन लगाना कि जो सरकारी कर्मचारी

कांग्रेस के साथ सहानुभूति रखते हैं उन के साथ सरकार नरमी का व्यवहार करती है और जो कांग्रेस के विरुद्ध हैं उनपर सख्ती करती है, यह गलत है । अगर आज इस ज़मीन में यह कायदे कानून मौजूद हैं तो उसका कारण यह नहीं है कि यह कांग्रेस सरकार, जो कि जनता के मत से यहां पर आकर स्थित हुई है, वह चाहती है कि ऐसे रेग्यूलेशन्स रखे जायं या ऐसे कानून रख जायं, बल्कि उसको विवश होकर उस परिस्थिति के कारण इनको रखना पड़ रहा है जिस परिस्थिति को पैदा करने में हमारे उन भाइयों का हाथ है जो कि इस प्रकार के प्रस्ताव लाते हैं । उनका काम है कि इस प्रकार के लोगों को जो हमारे आवश्यक कामों में लगे हुए हैं उनको छोटे मोटे लाभ दिखाकर वह उभार देते हैं और जिनकी ओर से यह प्रस्ताव आया है उन भाइयों के रिवोल्यशन की जो टेकनीक है उसका यह एक अंग है कि लोगों को किसी प्रकार के सुलहनामों पर मत आने दो और झगड़ों को बराबर जारी रखो, क्रान्ति चिरजीवी हो, क्रान्ति चलाते रहो । जो मौजूदा समाज का ढांचा है उससे उनको नफरत है । वे यह समझते हैं कि इस ढांचे में जो सरकार होगी वह कोअरसिव होगी, वह सत्ताधारियों की सरकार होगी, पूंजीवादियों की सरकार होगी । जो डिमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ को चला रहे हैं उनकी ओर उनकी निगाह नहीं जाती है । मेरे वह मित्र यह देखते हैं कि इस सरकार को तो नष्ट करना है । इस सरकार को नष्ट करने का उनका तरीका यही है कि इस के जो अंग प्रत्यंग हैं उनको पैरेलाइज कया जाय और वह ऐसे उपायों से जो उनको अपील करें । उसमें सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि जो श्रमिक वर्ग हैं उसके सामने बड़े बड़े नारे लगाये जायं कि देखो तुमको मजदूरी कम मिलती है, मिनिस्टर बड़े बड़े मजे कर रहे हैं, वे यों कर रहें हैं और वों कर रहे हैं और आप दुःख की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं । मौके बेमौके यहां पर बिड़ला और टाटा का नाम भी आ जाता है और वे सरकार के साथ वाबिस्ता कर दिये जाते हैं जैसे कि यह सरकार बिल्कुल उन्हीं के चलाये चल रही हो । इस सरकार के ऊपर, जो कि बालिग मताधिकार के ऊपर चुनी गयी है और जो लोग चुने गये हैं उनको जनता ने उनकी उन सेवाओं पर दृष्टि रख कर चुना है जो कि स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने लायक हैं तरह तरह के लांछन लगा दिये जाते हैं । यह प्रजातंत्र की बलिहारी है कि कांग्रेस ने इस सिद्धान्त को माना है कि आप जो कुछ भी चाहें कह सकते हैं, और जो कुछ भी बोलना चाहें स्वतंत्रतापूर्वक बोल सकते हैं । जिन देशों में उस प्रकार की सरकारें चल रही हैं जिसके सिद्धान्त कि हमारे नम्बियार साहब और उनकी तरफ बैठे हुए उनके साथी मानते हैं, उनके विरुद्ध कोई इस प्रकार के नारे नहीं सुनाई पड़ते, न अखबारों में न रेडियो में उनके विरुद्ध कुछ सुनाई देता है । वहां जो बातें होतीं हैं वह बाहर नहीं सुनाई पड़तीं । लेकिन कल तक जो वहां हो रहा था उसका नक्शा अब बदलता नजर आता है । कुछ शान्ति की सी बातें सामने दिखाई पड़ने लगी हैं । अभी हाल ही में डलेस का जो ब्यान हुआ है उस में जरूर उन्होंने कुछ फंडामेंटल्स के बारें में कहा है कि जो एक मजदूर तानाशाही सिद्धान्त पर अवलम्बित सरकारें हैं उन के साथ कोई शान्ति या समझौते की बात चल सकती है, इस में सन्देह

[श्री अलगू राय शास्त्री]

है यह बात उन्होंने कही और उन फंडामेंटल्स को मैं भी पहचानता हूं कि जिसमें हम श्रमिक वर्ग की तानाशाही को स्वीकार करते हैं, जिस में हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि पूंजीवादी प्रथा के ऊपर हमारा विश्वास नहीं। क्रान्ति के आधार पर हम सत्ता चाहते हैं। जिसमें हम हिंसा को एक उचित सिद्धान्त मान लेते हैं और उसे प्रोत्साहित करने के लिये छुपे तरीके पर काम करने का सिद्धान्त रखते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम उस वर्ग की जिस को आज मज़दूर वर्ग कहा जाता है, उस वर्ग की तुलना पूरी सामाजिक स्ट्रक्चर को देख कर करें तो हमारे समाज में जिस तरह का जीवन का स्तर हमारा है उस को देखते हुए ऐसा नहीं जान पड़ता कि जिन मज़दूरों की मज़दूरी को कम बता कर उन्हें उकसाया जाता है और भड़काया जाता है, वह वास्तव में कम है। जो हमारा पूरा राष्ट्र है, उसकी जो सामाजिक अवस्था है उस के अनुसार सचमुच तुलना करें तो वह इतनी बरी अस्वथा नहीं है। उन को उस स्तर के अनुसार और अनुपात से ही वेतन मिलता है। हो सकता है कि कुछ थोड़े से आदमियों के बारे में, उनके वेतन का अनुपात कुछ अधिक हो। अभी यहीं उस दिन पता चला कि रशिया में क्या है। वहां के वेतन के स्तर की कुछ चर्चा चली। नीचे मज़दूरी करने वाले मज़दूर का वेतन अगर ३०० रूबल्स है तो ऊपर १० हजार और २० हजार तक की बात कही गयी थी। मुझको पूरे तौर पर उसका पता नहीं है। लेकिन स्तर की बात वहां भी दिखाई पड़ती है। वहा भी इसी स्तर का तारतम्य है, ज़मीन और आसमान का तारतम्य वहां भी है। यहां भी ज़मीन आसमान है, तो वहां भी ज़मीन आसमान की बात है। यहां नीचे ज़मीन है, आसमान ऊपर है, यह वहां भी है। जो टेक्निकल और हाईली स्पैशैलाईज्ड काम हैं उनको कुछ ज्यादा वेजेज (मंजूरी) देनी पड़ती है, कुछ उनकी प्रीवीलैजेज़ ज्यादा होती हैं। एक आदमी को जरूरत पड़ती है कि मोटर कार पर चले, एक दूसरा आदमी पैदल भी चल सकता है। मगर यहां की दुनिया को भुलाकर, यहां की जनता की इच्छा से आई हुई सरकार को दफ़न कर, उसके स्थान पर ऊंची अट्टालिका बनाने का स्वप्न देख कर जो लोगों को भड़काया जाता है, उनको जो कहा जाता है कि तुम दबे हुए हो, तुम्हारा कोई पुरसां हाल नहीं है, तुम पिसे जा रहे हो..

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : यह सत्य है।

श्री अलगू राय शास्त्री : इस में सत्य का अंश होता तो मैं मान लेता। मैं तो सत्य को मानने तथा, असत्य को त्यागने के लिये सदा तत्पर रहने वालों में से हूं।

डा० लंका सुन्दरम् : कभी भूल जाते हैं।

श्री अलगू राय शास्त्री : नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सत्य की रक्षा के लिए ही जीवन दिया है और उसके लिये आप भी सत्य के अनुयायी बनें तो आपका भी कल्याण हो जावेगा।

श्री गिडवानी (थाना) : शास्त्री जी, कुछ अध्यापकों का भी हाल सुनाइये।

श्री अलगू राय शास्त्री : वह भी सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश के अध्यापक तो गुमराह हैं। "आन क लरिका पाई, त कीरा की बियरीं में हाथ नंवाई", ऐसी कहावत भोजपुरी में है। एक दूसरे का बच्चा मिल जाय तो सांप के बिल में उसका हाथ डालकर सभी आनन्द लेते हैं।

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : फिर कहिये पुनः।

श्री अलगू राय शास्त्री : भोजपुरी में कहावत है : "आन क लरिका पाई, त कीरा को बियरी में हाथ नंवाई', । जो दूसरे का बच्चा मिल जाय तो सांप के बिल में उसका हाथ डालकर आज़मा सकते हैं कि सांप की बाईटिंग क्या होती है। तो अध्यापक इस तरह मिल गये हैं। लिहो, लिहो करके उनको भुलावा दिया जा रहा है, भड़काया जाता है उनके दुःख से मतलब नहीं उनके सुख से मतलब नहीं और मेरे भाई उनको भड़काते हैं।

श्री गिडवानी : आप ४० रुपये रोज लें और उनको ४० रुपये माहवार आप दें।

श्री अलगू राय शास्त्री : बहुत अच्छा तो आप उसमें से चन्दा करके उनको दीजिये। अभी गिडवानी 'जी तो अध्यापक तक ही सीमित नहीं हैं। मेरे मित्र गिडवानी जी तो अभी रिफ्यूजीज से भी कुछ सत्याग्रह कराने का जिक्र कर रहे हैं।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति; मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे प्रस्ताव पर बोलें।

श्री अलगू राय शास्त्री : मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मैंने बैक ग्राउण्ड दिया (पृष्ठभूमि दी) कि इस रिजोल्यूशन (संकल्प) के पीछे यह राजनीतिक भावना है। इस कारण अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार करके हम उन रूल्स और रेग्यूलेशन्स को रद्द कर दें तो हमारे इन मित्रों को बड़ी खुली छूट मिल जायगी इस मुल्क की सारी शासन व्यवस्था को उलट पुलट कर देने की।

इसलिए मैं पुरज़ोर और बड़ी गम्भीरता के साथ इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इसको स्वीकार न किया जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री वेंकटारमन् (तंजोर) : राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिरक्षण नियमों के द्वारा मज़दूरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है तथा मेरे मित्र श्री नम्बियार ने इन को उन्मूलन के लिये बड़े ज़ोरदार तर्क दिये हैं।

आक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के औद्योगिक सम्बन्धों के प्रोफेसर के मत के अनुसार मज़दूर सभा कार्य दो प्रकार का होता है। एक तो वह जो वास्तव में मजदूरों की कठिनाइयों को दूर करना चाहता है तथा उन के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना चाहता है। दूसरा वह जो मजदूरों की कठिनाइयों तथा उन के दुःखदैन्य का लाभ उठाकर किसी व्यक्ति विशेष के लिये राजनितिक समर्थन तथा अनुयायी जुटाना चाहता है या देश में अव्यवस्था फैलाना चाहता है। मजदूर सभावादियों तथा राजनीतिक आन्दोलनकारियों में यही अन्तर है। इस लिये ऐसा न हो कि इस से वास्तविक मजदूर सभावादियों को, उन के भाव को गलत समझने के कारण या उनके अनुयायियों की भारी संख्या होने के कारण कोई धक्का पहुंचे। ऐसे उदाहरण

[श्री वेंकटारमन्]

हो सकते हैं जहां भूल से वास्तविक मजदूर सभावादो को राजनीतिक आन्दोलनकारी समझ लिया जाय तथा राजनीतिक आन्दोलनकारी अपने व्यवहार से अपने को वास्तविक मजदूर सभावादो दर्शाने का प्रयत्न करे। इस लिये इस सम्बन्ध में कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता है जिस का कठोरता से पालन किया जा सके। यह तो जभी हो सकता है जब वह व्यक्ति जिस प्रकार का उत्तरदायित्व हो वह हर मामले में इन सिद्धान्तों का प्रयोग करे।

१९४८-४९ में इस देश के कुछ दलों का यह मत था कि वे कारखानों, रेलों, डाक व तार विभाग, खेतों में तथा कृषि के क्षेत्र में जनता के संगठित विप्लव द्वारा इस देश का प्रशासन बदल सकते हैं। उन्होंने इस का प्रयोग करने का प्रयत्न किया। उसी समय अनेक मजदूरों को हड़ताल आदेश दिया गया उन की दुख दरिद्रता (निवारण) करने के लिये नहीं वरन राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिये। इन्हीं परिस्थितियों में दक्षिण भारत रेलवे लेबर यूनियन ने अखिल भारतीय रेलवेमेन्स फिडरेशन के आदेश के विरुद्ध कि जिस से वह सम्बद्ध थी दक्षिण भारत रेलवे में हड़ताल की घोषणा कर दी। ऐसे समय की विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिये ही राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाये गये थे। अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ ने पहले तो उनके कष्टों पर विचार किया और हड़ताल करने की सलाह दी किन्तु अन्त को संघ की बैठक फिर हुई जिस में हड़ताल न करने के निदेश सभी संघों को जारी किये गये। इसके बावजूद भी दक्षिण भारत रेल श्रमिक संघ ने एक हड़ताल की जो अवैध थी।

श्री नम्बियार : मार्च १९४९ में कोई भी हड़ताल नहीं हुई थी। दक्षिण भारत रेल संघ ने भी हड़ताल वापस ले ली थी। अतः माननीय सदस्य का यह कहना गलत है।

श्री वेंकटारमन् : मैं तिथि के संबंध में निश्चित रूप से नहीं कह सकता किन्तु इतना अवश्य कह सकता हूं कि दक्षिण भारत श्रमिक संघ को अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ से निकाल देने के कारण उन लोगों ने हड़ताल की थी। इसे निकाल देने का कारण यह था कि दक्षिण भारत रेल श्रमिक संघ रेल प्रशासन द्वारा स्वीकृत नहीं है। और बाद को अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ ने उन्हें वापस लेने से इन्कार भी कर दिया क्योंकि उन्होंने संघ की आज्ञाओं का पालन नहीं किया था।

श्री नम्बियार : इसके कुछ तथ्य भी होंगे।

श्री वेंकटारमन् : मेरा निवेदन है कि हड़ताल का उद्देश्य कर्मचारियों की दशा सुधारने का नहीं था यदि ऐसा होता तो उन्होंने अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ के आदेशों का पालन किया होता। हड़ताल हिंसात्मक रीति से हुई जिसमें कुछ मेरे यहां की रेल यूनियन के कर्मचारियों के साथ हिंसात्मक व्यवहार किया गया और कुछ को अपमान सहन करना पड़ा था। इन सब के अतिरिक्त भी रेल संघ अपने अपने काम पर डटे रहे। इसी कारण राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों की रक्षा के लिये नियम बनाये गये। ये नियम उस समय के लिये पूर्ण उचित थे और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति का सामना करने के लिये

बनाये गए थे, जिन्होंने यह सोचा था कि वे समाज का क्रम तथा तत्कालीन सरकार का परिवर्तन भी देश के संगठित कृषकों एवं श्रमिकों की जागृति से कर देंगे।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे नियम वास्तव में आज के सामान्य श्रमसंघ के कर्मचारियों के विरुद्ध हैं अथवा कर्मचारियों को संगठित करने में मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं? आज दो तीन लाख रेल कर्मचारी संगठित हैं। अतः यदि मेरे मित्र का विचार सही होता तो प्रत्येक श्रम संघ कर्मचारी को राष्ट्रीय सुरक्षा नियम् की रक्षा के अन्तर्गत अपनी-अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता। मेरे विचार से ये नियम उन लोगों को दण्डित करने के लिये बनाये गये थे जो रेलों की कार्य-प्रणाली को उलटना चाहते थे, सेवाओं में अव्यवस्था उत्पन्न करना चाहते थे अथवा इन सब चीजों से अपने दलों को लाभ पहुंचाना चाहते थे। इसका निर्णय किस प्रकार हो रहा है इस में मत विभिन्नता हो सकती ह किन्तु सरकार ने इस के लिये एक उत्तरदायी सदस्यों का मण्डल बना दिया है। मैं नहीं समझता कि कोई सरकारी सह-सचिव इस कार्य में कम दक्ष होगा।

दलों के अभ्यावेदन के लिए उनको लिखित अभ्यावेदन देने की भी अनुमति है।

श्री के० के० बसु : इसको न्यायपालिका पर क्यों न छोड़ दिया जाये?

श्री बेंकटारमन् : यदि ये मामले न्यायपालिका के सम्मुख लाये गये तो वे राष्ट्रीय सुरक्षा नियम की रक्षा के अन्तर्गत न आकर फौजदारी अपराधों की भांति उन पर मुकदमा चलाया जायेगा और उनको जेल भेजा जायेगा। कभी कभी कुछ कार्य न्यायालय में सिद्ध नहीं किये जा सकते, किन्तु एसे होते हैं कि सेवाओं की सुरक्षा में घातक सिद्ध हों, तो उनका निवारण दूसरे रूप में होना चाहिए। जन सुरक्षा अधिनियम इसमें भी लागू होता है।

एक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री वेंकटारमन् : यदि कोई मामला न्यायालय में लाने योग्य है तो अवश्य लाया जाना चाहिए। यदि उनका न्यायालय में लाना सम्भव नहीं है तो उन्हें न्यायाधिकरण के सम्मुख लाना होगा जो यह निर्णय करेगा कि उनकी सेवाओं को जारी रखना लोकहित में है अथवा नहीं। मैं इस बात का इच्छुक हूं कि कर्मचारियों के सामान्य श्रमसंघ के कार्यकलापों की रक्षा की जानी चाहिए। लोक हितकारी सेवाओं की एक सब से बड़ी कमी यह है कि वे बेचारे हड़ताल नहीं कर सके। वे केवल १४ दिन हड़ताल करने की सूचना दे सकते हैं। इसके पश्चात् संराधन जो लोक हित सेवाओं में आवश्यक होता है, उससे भी झगड़े का निपटारा नहीं हो पाता, और तब सरकार को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा १० (१) (ख) के अधीन मामले को न्यायाधिकरण के पास पंच निर्णय अथवा अधिनिर्णय के लिए भेजना पड़ता है।

डा० लंका सुन्दरम् : मैंने विज़गापटनम में जहाज़ निर्माण कारखाने का उदाहरण दिया था जिसमें बिना १७ घंटे तक की पूर्व सूचना दिये ही सरसरी जांच कर बरखास्त कर दिये गए थे। इसका क्या उपाय है?

श्री वेंकटारमन् : लोक हितकारी सेवाओं में निर्धारित समय के पूर्व ही सूचना देकर हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त है। अतः यदि झगड़ों का निबटारा

[श्री वेंकटारमन्]

संराधन द्वारा नहीं होता है तो सरकार को एसे मामले अधिनिर्णय के लिए भेजने पड़ते हैं। लोक हितकारी सेवाओं में कर्मचारियों की काफी रक्षा रहती है, जबकि निजी सेवाओं में कर्मचारी को अधिनिर्णय का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः मैं समझता हूं लोक हितकारी सेवाओं के कर्मचारियों की स्थिति निजी सेवाओं के कर्मचारियों से काफी सुदृढ़ रहती है।

विज़गापटनम में ज़हाज़ बनाने के कारखाने के मामले में मेरा मत है कि किसी भी परिस्थिति में कर्मचारियों को बर्खास्त तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि कई वर्ष तक काम करने के बाद भी वे बेकार हो जाते हैं और जीविका कमाने में बड़ी कठिनाई हो जाती है। किन्तु हर मामले में यह बात लागू नहीं हो सकती। हां जहां तक विज़गापटनम के ज़हाज़ बनाने के कारखाने का संबंध है, मुझे आशा है कि उनको पुनः काम पर लगा लिया जायेगा।

डा० लंका सुन्दरम् : यह तथ्य नहीं है।

श्री वेंकटारमन् : मैं नहीं कह सकता कि तथ्य नहीं है, अथवा वह विधि सही नहीं है, जो मैं कह रहा हूं।

डा० लंका सुन्दरम् : यदि १४ दिन पूर्व सूचना दे दी गई थी, तो कर्मचारियों ने इसका निर्देश संराधन मण्डल को कर ही दिया होता और वे कारखाने म होते और मण्डल के समक्ष गए होते तथा प्रबन्ध समिति को यह सिद्ध करना पड़ता कि नौकरी से निकालना न्यायसंगत है। अब वे बेकार हो गये हैं, और मण्डल को इसके अधिनिर्णय में कई महीने लगेंगे। यही सब से बड़ा अन्तर है।

डा० काटजू : क्या हम इस संकल्प से बाहर नहीं होते जा रहे हैं? संकल्प केवल इन नियमों को वापस लेना चाहता है, जबकि हम श्रमसंघ विधि की ही चर्चा किये डाल रहे हैं।

सभापति महोदय : हां, इन सबका संकल्प से कोई भी संबंध नहीं है।

श्री वेंकटारमन् : संबंधित मंत्रालयों द्वारा इन मामलों पर विचार किया जा रहा है और मुझे पूर्ण आशा है कि न्याय किया जायेगा।

कुछ भी हो उन परिस्थितियों में ये नियम चल गए थे किन्तु अब उन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि उनको चलते रहना चाहिये अथवा नहीं। अब स्थिति में काफी सुधार हो गया है। हड़ताल तथा अन्य झगड़े भी कम हो गये हैं। औद्योगिक उत्पादन एवं औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में समुचित उन्नति हो गई है। यदि सरकार यह समझती है कि अभी उन नियमों की आवश्यकता देश को है, तो जहां कहीं आवश्यक हो उनमें संशोधन किये जाने चाहिये। अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मामले पर विचार करेगी और उचित संशोधन करेगी।

सभापति महोदय : अब हम आधे घंटे का वाद विवाद आरम्भ करेंगे।

पूर्वी पाकिस्तान शरणार्थी महिला सदन, चुनार

सभापति महोदय : अब पहला व्यक्ति पांच मिनट में और बाकी सदस्य दो या तीन मिनट में अपना भाषण पूर्ण करने का प्रयत्न करें और माननीय मंत्री को, मैं समझता हूं, दस मिनट चाहिएं। अतः सब सदस्य अपना भाषण निश्चित समय में ही समाप्त कर लें।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : दस मिनट पर्याप्त हैं ।

सभापति महोदय : श्री टी० के० चौधरी वादविवाद प्रारम्भ करें। और जो सदस्य इस में भाग लेना चाहते हों, वे केवल प्रश्न रखें ।

श्री टी० के० चौधरी : इस सदन में इस वादविवाद को उठाने का मेरा उद्देश्य यह है कि हम सब का ध्यान पूर्वी बंगाल के शरणार्थी महिला सदन चुनार की भयानक दशा की ओर दिलाया जाये । जिनकी दशा बास्तव में ही बड़ी शोचनीय है, और यदि इस के प्रबन्ध का योग्य ध्यान रखा जाता, तो ऐसी बात नहीं हो सकती थी । चुनार महिला सदन में लड़कियों को छः महीने में कपड़ों का एक जोड़ा मिलता है, और सर्दी में भी पर्याप्त कपड़े नहीं मिलते । इन बेचारी लड़कियों को साबुन आदि की सुविधायें भी ठीक से नहीं मिल पातीं, और उनके लिये राशन की भी कमी रहती है । यह वहाँ पर कुप्रबन्ध होने के कारण ही हो रहा है । श्रीमती सुचेता कृपलानी और श्रीमती उमा नेहरू ने भी इस बात का समर्थन किया है, और पुनर्वास मंत्री से भी कहा था। परन्तु अभी तक सदन में उनकी सुविधाओं के लिये कुछ नहीं किया गया है ।

श्री फीरोज़ गांधी (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला रायबरेली—पूर्व) : कोई गणपूर्ति नहीं है ।

श्री त्यागी : उन के अपने दल के लोग उपस्थित नहीं हैं ।

सभापति महोदय : अब गणपूर्ति है । माननीय सदस्य बोलें ।

श्री टी० के० चौधरी : पढ़ने वाली लड़कियों ने कई बार हड़ताल की, परन्तु उस को बलपूर्वक तुड़वा दिया गया । और एक नई प्रिंसिपल के आने से खुराक की दशा कुछ सुधरने लगी थी । परन्तु कुछ ही दिनों में उसे और बदल कर पुरानी प्रिंसिपल को पुनः वहां रख दिया गया । तब लड़कियों ने हड़ताल की । जिस पर उन्हें कैम्प से बलात् बाहर निकाला गया और उन को पांच दिन बिना खुराक और आश्रय के रेलवे स्टेशन के पास रहना पड़ा । कुछ दिनों के बाद उन को बलात् वापिस लाया गया, तथा उनको मारा पीटा गया । ये २५० लड़कियां थीं, जिनकी आयु ११ वर्ष से १६ वर्ष के बीच है । यह गम्भीर बात है कि इन नौजवान लड़कियों को क्यों कैम्प से बाहर पुलिस की गाड़ियों में ले जाया गया । इन में से २६ या २७ को गिरफ्तार कर के अज्ञात स्थान पर रखा गया । मेरा माननीय मंत्री से यह प्रश्न है कि उन्होंने चुनार कैम्प में ऐसी बुरी अवस्था क्यों होने दी ? और इन युवतियों तथा किशोर कन्याओं के कष्टों को दूर करने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया।

मैं दूसरी बात यह कहूंगा कि पश्चिमी बंगाल से आए हुए बंगाली शरणार्थियों के साथ भी सद्व्यवहार नहीं किया गया । माननीय मंत्री को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए ।

सभापति महोदय : तीन और सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किये थे, क्या उन में से कोई बोलना चाहता है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं पूछना चाहती हूं कि क्या श्रीमती मित्रा के पास खाद्य, वस्त्र और शिक्षा के ढंग के

[श्रीमति रेणु चक्रवर्ती]

सम्बन्ध में ३ मार्च से पहले भी कोई शिकायतें आई थीं, और क्या उन्होंने उन में से कोई एक भी शिकायत पुनर्वास मंत्रालय को भेजी ? और क्या यह तथ्य है कि चुनार महिला सदन का प्रबन्ध कुमारी कलसी के आने से खाद्य और दूसरी प्रकार की सुविधाओं की वृद्धि हुई और तुरन्त ही वहां अध्यापिकाओं और शरणार्थी पढ़ने वाली लड़कियों में वैर भाव उत्पन्न हो गया ?

कहते हैं कि तीसरी रात्रि को कुमारी कलसी बेहोश हो गई, और प्रातः २ बजे उसे जो डाक्टरी सहायता दी गई, वह पास के शरणार्थि और चौकीदार के द्वारा दी गई, और अध्यापिकाओं ने उस की सहायता नहीं की । क्या यह ठीक है, और इस के क्या कारण हैं ? उत्तरदायी डाक्टरों ने सहायता में देरी की ?

इस बात की दृष्टि से कि चुनार महिला सदन में केवल शरणार्थी स्त्रियां ही रहती हैं, क्या सरकार सलाहकारों का परामर्श लेने का विचार रखती है, अथवा इस पुनर्वास केन्द्र को चलाने में सहायता देने और इन सब बातों की जांच करने के लिये परामर्शदात्री समिति स्थापित करना चाहती है ? बंगाल सरकार ने विधान सभा में कहा है कि यदि एक बार शरणार्थी बंगाल से बाहर चले जाते हैं, तो सरकार का उन के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता । क्या यह बात ठीक है, मैं यही पूछना चाहती हूं ।

श्री के० के० बसु : कई ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जिन का प्रभाव पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को बंगाल से बाहर बसाने की सरकार की नीति पर पड़ता है, क्या सरकार सब दलों के संसदीय सदस्यों द्वारा इस बात की जांच करवाने का विचार रखती है और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन घटनाओं में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और उन पर क्या दोषारोपण किया गया है ?

सभापति महोदय : श्री तुषार चटर्जी अनुपस्थित हैं । श्रीमती उमा नहरू ।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी--पश्चिम) : जनाब चेयरमैन साहब, यह चुनार का किस्सा जो इस हाउस के सामने आया है, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह सारा बनाया हुआ किस्सा है और मुझे रंज है कि जो भी कन्स्ट्रक्टिव (रचनात्मक) काम हम करते हैं कुछ न कुछ हमारे पीछे एक आफत सी लगी रहती है । मैं आप को यह बताऊं कि मैं खुद उस होम में गई थी जहां पर कलसी थी जिसकी चर्चा आज आप सुन रहे हैं ।

श्रीमती रेण चक्रवर्ती : क्या यह प्रश्न है अथवा भाषण ?

सभापति महोदय : वह जानकारी दे रही हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वह भाषण कर रही है, क्या हम भी भाषण दे सकते हैं ?

सभापति महोदय : भाषणों का कोई प्रश्न नहीं ।

श्रीमती उमा नेहरू : मैं सदन का अधिक समय न ले कर केवल दो एक पोआइन्ट बताती हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा निवेदन है कि हमें भी भविष्य में केवल प्रश्न पूछने को पाबंदी नहीं होनी चाहिए । हमें भी बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए ।

सभापति महोदय : जिस विवाद के बारे में किसी सदस्य को कुछ जानकारी हो, उसे वह अवश्य बतलानी चाहिए ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : तो हमें भी अपना मामला रखने देना चाहिए ।

सभापति महोदय : इस प्रकार सब को बोलने की आज्ञा देने से समय बीत जायगा और विवाद का उद्देश्य पूरा न हो सकेगा । माननीय सदस्य संक्षेप में बतला कर समाप्त करें ।

श्रीमती उमा नेहरू : जनाब चेयरमैन साहब, मैं दावे से बोल रही हूं, क्योंकि मेरा सुपरविज़न का चार्ज है । यह मज़ाक नहीं है । मैं आप को बता दूं कि मैं इन दूसरी तरफ़ के लोगों को देखती हूं तो मुझे कहना पड़ता है कि खुदा की मार इन पर है और इन की अक़्ल पर भी इन की समझ में नहीं आता कि एक मकान हम ने तैयार किया, एक कन्स्ट्रक्टिव काम हमारा है और वे यहां उस को नष्ट करने के लिए खड़े हुए हैं । मैं उन को बता देती हूं कि जो कंस्ट्रक्टिव काम हम कर रहे हैं वे इसे नष्ट नहीं कर पायेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : ये आपत्तिजनक दोषारोपण हैं, जिनका हम जोरदार विरोध करते हैं ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । इस प्रकार से आपत्ति नहीं उठानी चाहिए । श्रीमती उमा नेहरू को अपनी बात पूरी करने देना चाहिए । तथा श्रीमती उमा नेहरू को भी केवल जानकारी ही देनी चाहिए । यह सलाह देने का समय नहीं है ।

श्रीमती उमा नेहरू : मैं, जनाब चेयरमैन साहब, ऐडवाइस देने खड़ी नहीं हुई हूं, क्योंकि मैं ऐडवाइस उन को दूंगी जिन के कुछ दिमाग हों । लेकिन मुझे आप से सिर्फ़ यह कहना है कि मैं उस मकान से डील कर रही हूं, उस अपने कुटुम्ब से जिसकी मैं मां हूं । और आज मेरे उस घर में कोई बाहर वाला छिप कर आवे तो मैं ज़रूर दखल दूंगी ।

मुझे आप से एक बात कहनी है कि जिस वक्त हमारे कामरेड भाई और कामरेड बहन वहां घुसीं और वहां देखा और कलसी का जिसका चर्चा है, तो मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, मैं कहना नहीं चाहती थी कि कलसी जो वहां पर अपने आप को स्थापित करना चाहती थी । मुझे रंज है कि जो मेरी रिफ्यूज़ी बहनें वहां इस्टर्न पाकिस्तान से मुसीबत में आईं उन के लिये यह नई मुसीबत पैदा हुई । मिसेज़ मित्रा जो वहां नौकर रखी गयी हैं, वह मैं आप को बताऊं कि निहायत रिलायबल (विश्वसनीय) आनैस्ट (ईमानदार) और निहायत ट्रस्टफुल (विश्वस्त) स्त्री है । वह उस इंस्टीट्यूशन की मां हैं । वह वहां से छुट्टी पर गई हुई थीं । छुट्टी के बाद जब वह वापिस हमारे यहां आती है तो यह आफ़त खड़ी होती है । कलसी जो एक टैम्पोररी औरत रखी गई थी, और जो पूरी बात जानते हैं उन्हें पता है कि कलसी ने किस तरह वहां इन्तज़ाम किया अपने आप को स्थापित रखने का, जिस की वजह से यह सब तमाशा और झगड़ा हुआ ।

जहां कमज़ोरी है वहां ये मित्र घुस पड़ते हैं । मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि

[श्रीमती उमा नेहरू]

हमारे मिनिस्टर साहब पूरी बात बतायेंगे। लेकिन इतना आप से बता दूं कि मिसेज़ मित्रा जो निहायत आनैस्ट हैं उन को हम न वापस बुलाया। बस उन को वापस लाने के हम गुनाहगार हैं।

डा० एस० पी० मुकर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व): मुझे इस के बारे में पता है, यदि आप अनुमति दें, तो मैं दो तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा।

एक सदस्य: विवश हैं।

डा० एस० पी० मुकर्जी: मुझे व्यक्तिगत जानकारी है।

श्री फीरोज गांधी: क्या आप ने बोलने के लिये नाम दिया था?

डा० एस० पी० मुकर्जी: इससे पहल बोलने वाले सज्जन ने भी नाम नहीं दिया था।

श्रीमती उमा नेहरू: मैं ने नाम दिया था।

सभापति महोदय: डा० मुकर्जी बोल सकते हैं।

डा० एस० पी० मुकर्जी: मैं सभापति की अनुमति से बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, न कि फ़िरोज गांधी की अनुमति पर।

श्री फीरोज गांधी: मैंने केवल आप के बोलने के अधिकार पर आपत्ति की थी।

डा० एस० पी० मुकर्जी: मैं इस मामले की ठीक बातों को जानता हूं। इनमें से कुछ महिलायें मार्च में दिल्ली आईं और मुझ से मिलीं। मंत्री महोदय की अनुपस्थिति में मैंने मंत्रालय के सचिव श्री चन्द्रा को फोन किया और वे इन महिलाओं से मिले भी। उनकी शिकायत काफी पुरानी है। इस मामल में प्रान्तीयता की भावना का तो प्रश्न ही नहीं था। यह आरोप लगाना ठीक न होगा कि इस संस्था में गर-बंगालियों ने बंगालियों के विरुद्ध कुछ किया। इन महिलाओं को इस संस्था के प्रबन्ध तथा इसके प्रबन्धकों के विरुद्ध तथा वहां गबन किये जाने के बारे ने शिकायतें थीं उनकी यह भी शिकायत थी कि उन्हें ठीक खाना नहीं मिलता था और उनकी देखभाल अच्छी प्रकार से नहीं की जाती थी। फिर यह पंजाबी महिला वहां आई। वहां के कर्मचारी वर्ग को प्रान्तीयता के आधार पर इस के विरुद्ध हड़ताल करने के लिये भड़काया गया। इस पंजाबी महिला ने इनसे कहा कि इसमें प्रान्तीयता की भावना से काम नहीं लेना चाहिये और मुझ पर विश्वास करना चाहिये। उन्होंने कहा कि वे अब इस प्रबन्ध से बहुत अधिक संतुष्ट थीं और श्रीमती मित्रा के समय से अब उनकी देखभाल अच्छी प्रकार से की जाती थी। मैं श्रीमती मित्रा को जानता हूं। उनका बहुत अच्छा रिकार्ड था। मैंने माननीय मंत्री से कहा कि इस मामले पर ध्यान दिया जाय। बहुत प्रकार के आरोप लगाये गये थे। इन में से कुछ ठीक हो सकते हैं और कुछ गलत हो सकते हैं। मंत्री महोदय ने मुझे बताया कि इस संस्था का प्रबन्ध उत्तर प्रदेश की सरकार करती है, और वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कुछ समय बाद उन्होंने बताया कि वह इस मामले की जांच करवायेंगे।

मेरा सुझाव यह कि इस मामले में इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिएं। इन शरणार्थियों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिये और मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिये जिससे

बंगाल में लोगों में यह भावना फैले कि बंगाल के बाहर बंगालवासियों का ध्यान नहीं रखा जाता। इस मामले की जांच की जानी चाहिये। श्रीमती नेहरू, श्रीमती सुचेता कृपलानी तथा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ये तीनों संसद् सदस्य वहां जाकर दोनों पक्षों की बातें सुनें और देखें कि वहां क्या हुआ। इस मामले में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं और उन्हें यों ही दबा न दिया जाय।

श्री रूपनारायण (जिला मिर्जापुर व जिला बनारस--पश्चिम--रक्षित--अनुसूचित जातियाँ) : चेयरमैन साहब यहां पर जो लोग सदस्य बोले हैं, उन्होंने वहां जा कर नहीं देखा है। लेकिन जब मैंने चुनार के झगड़ की खबर पाई तो मैं वहां गया और मैंने वहां दो तीन दिन रह कर सारी परिस्थितियों की जांच की। वहां सारा झगड़ा वाकई में प्रिंसिपल के ट्रांसफर को लकर हुआ था। मिस कलसी के आने से पहले वहां की लड़कियों की हालत अच्छी थी। मिसेज़ मित्रा वहां पर थीं तो कोई शिकायत नहीं थी मिसेज़ मित्रा जब वहां से छुट्टी गई और वापस आने वाली थीं तो यह झगड़ा हुआ। मिस कलसी वहां नहीं रखी गयी थीं तो कभी कोई शिकायत किसी लड़की ने नहीं की थी कि खाना अच्छा नहीं मिलता, कपड़ा अच्छा नहीं मिलता। यह कभी सुनाई नहीं दिया। जब मिसेज़ मित्रा बंगाल जाने लगीं तो लड़कियों ने उन्हें वापस बुलाने को लिखा। इस बीच जब मिस कलसी आई तो स्टाफ से उनकी नहीं बनी। इस का नतीजा यह हुआ कि मिस कलसी ने लड़कियों को उभारना शुरू किया। मिस कलसी ने लड़कियों को मिला कर काम बनाना चाहा और मिलाने के लिये लड़कियों को सिनेमा तक दिखाया गया। मिस कलसी ने खुद सिनेमा दिखाने के लिये उन को बाहर जाने के लिये अलाऊ किया है। कुछ उन के साथ में कम्युनिस्ट लोग हैं। मिस कलसी ने लड़कियों को बताया कि तुम को २५ रुपये मिलते थे, उस में से ५ रुपये मिसेज़ मित्रा ले लिया करती थीं और तुम को नहीं देती थीं। इस तरह से वहां एक एजीटेशन लड़कियों में पैदा किया गया। यह ऐजीटेशन यहां तक बढ़ा कि जब मिसेज़ मित्रा का तार आता है कि मैं फिर चुनार आती हूं तो वहां का वातावरण क्षुब्ध हो गया। जब मिसेज़ मित्रा किले के अन्दर आना चाहती हैं तो उस समय लड़कियां करीब २५० लड़कियां आ कर गेट पर एकदम ऐसी सट कर खड़ी हो जाती हैं कि कोई भी आदमी उस फाटक से पास नहीं कर सकता। हालत यहां तक पहुंची कि चौबीसों घन्टे लड़कियों का वहां पहरा हो गया और उन्होंने वहां पर अपना ही पूरा इन्तज़ाम कर लिया। जो कुछ भी था सब का इन्तजाम उन लड़कियों ने अपने हाथ में कर लिया। वहां पर पूरा कंट्रोल उन का हो गया।

तब अधिकारियों में एक सनसनी फैली कि क्या किया जाय। लड़कियों का मामला था। कोई उन को छू नहीं सकता था, कोई उन के साथ कुछ कर नहीं सकता था सिवाय समझाने बुझाने के। समझाने बुझाने के लिए कई आदमी गये, कांग्रेस के लोग भी गये। लेकिन किसी तरह से लड़कियों ने एक बात नहीं सुनी। जब लड़कियां किसी तरह से राज़ी नहीं हुईं तो यह तय हुआ कि "अच्छा तुम जहां जाना चाहती हो, वहां चली जाओ, हम इन्तज़ाम कर देते हैं। तुम जहां जाना चाहो जाओ, हम तुम को ज़बरदस्ती नहीं रख सकते हैं और न रखना चाहते हैं।" लड़कियों के नाम लिख लिए गए कि वे कहां कहां जाना चाहती हैं। इस के बाद उन को जाने के लिए अलाऊ किया

[श्री रूप नारायण]

गये । लेकिन उन लोगों के बाहर जाने पर वहां पर काम्युनिस्ट पार्टी के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने उनको एक्सप्लाइट करना चाहा । उनका वहां प्रोपैगेंडा शुरू हो गया और लड़कियों ने कहीं भी जाने से इन्कार कर दिया । हालत यह हो गयी कि चुनार स्टेशन के पास किले के बाहर लड़कियों ने धरना देना प्रारम्भ कर दिया । और यह जो कहा जाता था कि उन को खाना नहीं दिया गया--अभी कम्युनिस्ट सदस्य ने कहा है--यह बात नहीं है । असल में वह जगह कैम्प से दो मील की दूरी पर है, इसलिए खाना कैम्प से नहीं हो सकता था लेकिन अधिकारियों ने पब्लिक से कह कर उन के खाने का इन्तज़ाम कराया और उनको खाना दिया गया, इसलिए यह कहना कि खाना नहीं दिया गया, गलत है । आपने यह भी कहा कि उनको ज़बरदस्ती बाहर कर दिया गया और फोर्स से बाहर कर दिया गया, तो यह भी चीज़ ठीक नहीं है बल्कि यह उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था, और उनकी इच्छा पर उनको वापस भेजा गया । जब वे किसी तरह नहीं मानीं, तब उन में से जो रिंग लीडर थीं और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर के हाथ में काम कर रही थीं, उनको मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट जेल में थोड़े समय के लिए भज दिया गया और उनके जाते ही सब मामला शान्त हो गया और.....

सभापति महोदय : अब ७.२० म० प० हो चुका है । श्री ए० पी० जैन ।

श्री त्यागी : जब कोई लड़की कम्युनिस्ट हो जाती है तो वह किसी को नहीं मानती ।

श्री ए० पी० जैन : यह शिविर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा चलाया जा रहा है इसलिए वास्तव में यह विषय तो राज्य की विधान सभा के वाद विवाद का है ।

फिर भी चूंकि जो प्रश्न उठाय गये हैं उन का सम्बन्ध विस्थापित व्यक्तियों से है इस लिए मैं संक्षेप में घटनाओं का विवरण बता देना चाहता हूं । श्री त्रिविधि कुमार चौधरी ने १९ मार्च १९५० को चुनार महिला सदन की घटनाओं के सम्बन्ध में जो बातें कही हैं उन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने घटनाओं का जो ब्योरा भेजा है वह इस प्रकार है । श्रीमती नलिनी मित्रा इस सदन के संस्थापन के समय से ही इस की प्रिंसिपल थीं। १,१/२ वर्ष कार्य करने के पश्चात् श्रीमती नलिनी मित्रा नवम्बर १९५२ में पश्चिमी बंगाल की प्रांतीय शिक्षा सेवा में स्थान दिये जाने के कारण, पश्चिमी बंगाल जाना चाहती थीं । उन के स्थान पर अस्थायी रूप से, देहरादून की वाइस-प्रिंसपल कुमारी कलसी नियुक्त की गईं । परन्तु चूंकि श्रीमती मित्रा ने इस सदन को बड़ी सफलता पूर्वक चलाया था इस लिए पश्चिमी बंगाल की सरकार से कहा गया कि वह श्रीमती मित्रा को इस सदन में प्रिंसपल के रूप में फिर काम करने के लिए अपने वर्तमान पद से मुक्त कर दें तो उचित होगा । यहां यह बता देना चाहिए कि नवम्बर १९५२ में मैं स्वयं चुनार शिविर में गया था । श्रीमती मित्रा के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी । इस के बजाय इस शिविर के निवासियों, स्टाफ, सभी सदस्यों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने सर्वसम्मति से प्रार्थना की कि मैं पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री

से कह सुनकर श्री मित्रा को वापस भिजवा दूं । श्री मित्रा को इस सदन में फिर वापस कर दिया गया । इस लिए मेरा विचार है कि श्रीमती मित्रा एक अत्यंत सफल प्रिंसपल हैं ।

कुमारी कलसी की नियुक्ति होने पर संभवतः बंगाली स्टाफ की इंगित पर, एक विरोधी आन्दोलन खड़ा हो गया जो चाहता था कि कुमारी कलसी को हटा दिया जाय । इस परिस्थिति का सामना करने के लिए कुमारी कलसी ने कर्मचारियों तथा शिविर के निवासियों के एक दल को अपनी ओर करने के लिए शिविर के निवासियों को कुछ ऐसी सुविधायें दे दीं जो वास्तव में अनुचित थीं । इस प्रकार दो दल बन गये—एक वह जो कुमारी कलसी का पक्षपात करता था और दूसरा वह जो कुमारी कलसी का विरोध करता था । इस झगड़े से श्रीमती मित्रा का कोई सम्बन्ध नहीं था क्योंकि वे तो इस बीच में बंगाल में ही थीं । श्रीमती नलिनी मित्रा के आगमन के एक दिन पूर्व वह दल जो कुमारी कलसी का पक्ष करता था, बहुत विक्षिप्त था और उस ने एक अफ़वाह उड़ाई कि स्टाफ के कुछ सदस्यों ने कुमारी कलसी को विष देने का षड्यन्त्र रचा है । चुनार के असिस्टेण्ट सर्जन तथा एक लेडी डाक्टर बुलाये गये परन्तु उन की जांच से पता लगा कि विष देने का कोई चिन्ह नहीं है । ४ मार्च १९५३ को दूसरे दिन जब श्रीमती मित्रा आयीं तो कुमारी कलसी का पक्ष करने वाली कुछ लड़कियां रास्ता रोक कर खड़ी हो गईं । इसी बीच वह दल जो कुमारी कलसी का विरोधी था उस में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वह श्रीमती मित्रा को वापस बुलाने का पक्षपाती बन गया । १५ दिन तक श्रीमती मित्रा सदन में प्रवेश नहीं कर सकीं । कुमारी कलसी का पक्ष करने वाले इसी मांग पर अटल रहे कि कुमारी कलसी को ही प्रिंसिपल रक्खा जाय तथा स्टाफ के ६ सदस्य जो कुमारी कलसी का विरोध करते हैं उन को निकाल दिया जाय । १३ मार्च १९५३ को कुमारी कलसी चुनार से देहरादून अपने पुराने पद काम करने को चली गई । इसी अवसर पर यह अफवाह उड़ाई गई कि कुमारी कलसी को मार कर गंगा में फेंक दिया गया है । डा० मुखर्जी तथा प्रो० साहा ने भी जो सूचना मुझे लिख कर दी उस में भी कुमारी कलसी को विष देकर मार डालने की बात कही गई थी । परन्तु कुमारी कलसी अच्छी भली देहरादून में उपस्थित हैं ।

इस गड़बड़ी को शान्त करने के लिए लखनऊ तथा इलाहाबाद से महिला सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को, पश्चिमी बंगाल के एक अधिकारी तथा एक लेडी डाक्टर को बुलाया गया । इन सब ने, तथा प्रादेशिक संचालक, जिलाधीश और पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने आन्दोलन करने वालों को शान्त करने का प्रयत्न किया । सदन के निवासियों को आश्वासन दिया गया कि शिकायतों की जांच की जायगी, जिन का अपराध होगा उनको दण्ड दिया जायगा, जिन शिक्षार्थियों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है उन को इलाहाबाद तथा अन्य उत्पादन केन्द्रों म भेज दिया जायगा तथा यदि उन में से कोई इस सदन में नहीं रहना चाहती हैं अथवा इस राज्य के उत्पादन केन्द्रों में नहीं जाना चाहती हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार, पश्चिमी बंगाल के परामर्श से, उनको वापिस भेजने को तय्यार हैं । परन्तु आन्दोलनकारियों ने उग्र रूप धारण कर लिया और कुछ शिक्षकों को बन्दी बना लिया । उनके

[श्री ए० पी० जैन]

नेताओं ने निवासियों को सदन छोड़ कर चले जाने के लिए भड़काया । १८ मार्च १९५३ को ३२ महिलायें अपने बच्चों सहित शिविर छोड़कर चली गईं । कुछ समय बाद कुछ और औरतें तथा बच्चे भाग गये और इस प्रकार निवासियों में से १५४ व्यक्ति चुनार रेलवे स्टेशन के सामने मुसाफिर खाने में डेरा डाल कर पड़ गये ।

१९ मार्च १९५३ को श्रीमती मित्रा को किले में ले जाया गया। जिला न्यायाधीश ने बच्चों और स्त्रियों को शैड से चले जाने के लिए कहा, परन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया । ऐसी अवस्था में २० मार्च को उनके ६ नेता पकड़ लिए गये । सत्याग्रहियों को पुनः सदन में जाने के लिए कहा गया, परन्तु उनकी इनकारी पर छः और नेताओं को पकड़ लिया गया, और बाकी व्यक्तियों को उसी दिन सदन में ले जाया गया ।

उन आने वाले व्यक्तियों ने प्रिंसपल, असिस्टेंट इंस्पैक्टर और अध्यापकों पर धावा किया और सामान को तोड़ डाला तब २३ तारीख को सशस्त्र पुलिस को बुलवाया गया। २८ स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया । इस बार यह सब शान्तिपूर्वक हुआ। गिरफ्तार किए गए २१ बच्चों और ४० स्त्रियों को पश्चिमि बंगाल में पुनः भेज दिया गया। इन तथ्यों की दृष्टि से वह २०० या २५० व्यक्तियों को बलात् से निकालने का विवरण गलत सिद्ध होता है । वास्तव में १५० व्यक्ति अपने आप ही सदन छोड़ गए । ये व्यक्ति चुनार स्टेशन के शैड में लेट गए, और अशान्ति फैलाने का कारण बन गए। ऐसी अवस्था में उनके लिए खाने का प्रबन्ध भी नहीं किया जा सका । स्त्रियों पर शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। केवल २० तारीख को उनके छः नेताओं को पकड़ने के लिए सख्ती करनी पड़ी, जिन्होंने विरोध किया था । अब स्थिति सुधर गई है । और सरकार गैर सरकारी व्यक्तियों की परामर्शदात्री समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है । और अब वह अन्य शिकायतों और दुखों की जांच कर रही है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं पूछना चाहता हूं कि यह जांच किसने की है, जिसके आधार पर माननीय मंत्री जी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं ।

श्री ए० पी० जैन : यू० पी० के सेवा नियोजन और पुनर्स्थापन के प्रादेशिक निदेशक उस स्थान पर स्वयं गए थे । और उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी दी जा रही है । यू० पी० सरकार ने सब समय न केवल स्त्रियों और बच्चों को ही अपितु हजारों परिवारों को बसाने में इस मंत्रालय की सहायता की है । मेरा विश्वास है कि जिस यू० पी० सरकार के विरुद्ध ये शिकायतें की जा रही हैं, उसने अपनी शक्ति के अनुसार भरसक काम किया है । वहां के मुख्य मंत्री ने तार दिया जिसमें पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों को बसान में अनुभूत कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। उन्होंने लिखा है "कि मैं इन शरणार्थी लोगों की सहायता करने का बहुत इच्छुक हूं और उनको बसाने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक संभव सहायता देने को तैयार हूं । राज्य सरकार को पर्याप्त हानि हुई ह और इसका बहुत भार भी पड़ा है । परन्तु तो भी हम सेवा के पथ से विमुख नहीं हुए हैं ।

[श्री ए० पी० जैन]

चुनार गढ़ स्टेशन की घटना ने स्थिति को बहुत बिगाड़ दिया है। इन अनुभवों की दृष्टि से हम इस मंत्रालय से निवेदन करते हैं कि इसको सुलझाने के लिए इसे हमारे ऊपर ही छोड़ दिया जाय। यदि केन्द्रीय सरकार पुनर्वास का सारा काम सीधे अपने हाथ में लेना चाहे तो हम इसके लिए कृतज्ञ होंगे।

पुनर्वास का काम कठिन है और हमें इसके लिए राज्य सरकारों की सहायता लेनी पड़ती है। यदि किसी सदन में अशान्ति फैले, तो राज्य सरकार को इसका नियन्त्रण करना पड़ता है। माननीय सदस्यों को आलोचना करते समय सब बातों को पहले से विचार लेना चाहिए।

डा० एस० पी० मुकर्जी : हमने यू० पी० सरकार की आलोचना नहीं की है।

श्री ए० पी० जैन : तो यह और क्या है ?

श्री के० के० बसु : क्या यू० पी० सरकार आलोचना से बाहर है ?

राज्य परिषद् का सन्देश

सचिव : मैं राज्य परिषद् के सचिव द्वारा भेजा गया राज्य परिषद् का सन्देश पढ़ता हूँ।

"मुझे राज्य परिषद् के प्रक्रिया के नियमों और कार्य-संचालन के ९७वें नियम के उपबन्धों के अनुसार मुझे निम्न विधेयकों की प्रतियां भेजने का आदेश दिया गया है, जो ९ अप्रैल १९५३ को परिषद् की बैठक में पारित हो गये हैं।

१. अनुसूचित क्षेत्र (विधियों का विलय) विधेयक १९५३।

२. त्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, १९५३।

अनूसूचित क्षेत्र (विधियों का विलय) विधेयक और त्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक--

सचिव : मैं सदन पटल पर राज्य परिषद द्वारा यथा पारित दो विधयकों को रखता हूं।

१. अनुसूचित क्षेत्र (विधियों का विलय) विधेयक १९५३,

२. त्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक १९५३

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, १४ अप्रैल, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।